

भारतीय मजदूर संघ

उत्तर प्रदेश

के

अधिवेशनों में

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी व अन्यान्य नेताओं

के

भाषण



श्री गुरुभ्यो नमः



समस्त कला, कौशल व विज्ञान के सृजनकर्ता;
उद्योगों के मूल पुरुष एवं श्रमिकों
के आदि देव
भगवान विश्वकर्मा
के
चरण कमलों में
सादर समर्पित



❀ निवेदन ❀

प्रस्तुत पुस्तक में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ के १० वर्षों के कार्य की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य है—इस नवोदित संस्था के क्रमशः विकसित हुये कार्य की जानकारी देना।

यद्यपि भारतीय मजदूर संघ “भारतीय समाज-रचना” अर्थात् भारतीयता को अन्तिम उद्देश्य मानता है, तो भी जब तक भारतीय विशेषताओं से युक्त “भारतीय समाज-व्यवस्था” के पुनर्निर्माण का प्रयत्न सफल नहीं हो जाता, उसे वर्तमान ढाँचे में ही कार्य करना है।

अस्तु, सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पहलुओं को सामने रख कर मजदूर समस्याओं के निराकरण के लिये इस संगठन की एक रूपरेखा जो बन रही है, मजदूर संघ के हिताकांक्षी जनों का परामर्श व सहयोग आवश्यक है।

इतना ही विनम्र निवेदन है।

मकर संक्रान्ति १४ जनवरी, ६४

रामनरेश सिंह
महामन्त्री
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाते हुये

भगवान विश्वकर्मा



जिनकी जयन्ती प्रति वर्ष १७ सितम्बर को

‘राष्ट्रीय श्रम दिवस’

के रूप में मनायी जाती है

भारतीय मजदूर संघ

उत्तर प्रदेश

के

अधिवेशनों में

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी व अन्यान्य नेताओं

के

भाषण



—भारतीय मजदूर संघ

प्रकाशक—

महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

२, नवीन मार्केट

कानपुर

मूल्य १ रु०५० पैसे

मुद्रक—

टिप-टाप प्रिन्टर्स

२४/९१, बिरहाना रोड,

कानपुर-१

फोन : ६९१११

अनुक्रमणिका

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ</u>
१— भारतीय मजदूर संघ की स्थापना	१
२— वार्षिक अधिवेशन तथा प्रतिनिधि सम्मेलन	३
३— सम्पन्न किये गये उल्लेखनीय कार्य	८६
४— विशेष तिथियाँ	९४
५— सम्बद्ध यूनियनों	९५
६-- संगठन की रूपरेखा	१००
७-- भारतीय मजदूर संघ क्यों ?	१०१
८-- महामन्त्री श्री ठेंगड़ी जी का संक्षिप्त परिचय	११३



- ★ जब तक शिक्षा के नवीन आदर्श द्वारा मालिकों की मनोवृत्ति नहीं बदली जाती तब तक ट्रेड यूनियनों द्वारा कोई स्थाई लाभ होना सम्भव नहीं, और शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन राष्ट्र द्वारा ही हो सकता है ।
- ★ और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक श्रमिक वर्ग के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अपने हानि-लाभका प्रश्न खुद हल करे । उसे अपने स्वत्वों के लिए स्वयं लड़ना होगा ।
- ★ जब तक इस वर्ग के भाग्य विधाताओं को सामाजिक अन्याय तथा मानवता के शोषण से कोई हिचक नहीं है, तब तक श्रमिक संघों की आवश्यकता रहेगी ही ।
- ★ वर्तमान परिस्थिति में श्रमिक संघ के बिना काम चल नहीं सकता । बल्कि यों कहना चाहिए कि समाज के आर्थिक जीवन के लिए इन संस्थाओं का रहना परम आवश्यक है ।



भारतीय मजदूर संघ की स्थापना

श्रमिक क्षेत्र में कम्युनिस्ट एवं अन्य वामपंथी श्रमिक नेताओं व उनके अराष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तथा इंटुक की सरकार एवं मिलमालिकों की जी-हुजूरी करने वाली नीति के दुष्परिणामों को देख कर दिनांक १५ नवम्बर सन् ५३ को प्रदेश के औद्योगिक केन्द्र कानपुर में 'भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश' नामक एक यूनियन की स्थापना की गई। इस संगठन का उद्देश्य—श्रमिकों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करते हुये उनके हितों की रक्षा करना था। इसका पंजीकरण दिनांक २१ दिसम्बर सन् ५३ को हुआ। अपने जन्मकाल से ही यह यूनियन प्रदेश के सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये बनाई गई थी, अतः महासंघ (फेडरेशन) की आवश्यकता को भी पूर्ण करने में सक्षम थी, पर दिनांक २३ जुलाई सन् १९५५ को लोकमान्य तिलक के पावन जन्म दिवस पर जब भोपाल में श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित एक अ० भा० संगठन के निर्माण की दृष्टि से श्रमिक नेताओं को आह्वान किया तब कानपुर के ये नेता भी पीछे न रहे, और वहां से स्फूर्ति लेकर महासंघ (फेडरेशन) की स्थापना के लिये वे प्रयत्नशील हुये। फलस्वरूप २४ फरवरी, ५७ के दिन ५ पंजीकृत यूनियनों के सहयोग से 'भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेशीय-शाखा' की स्थापना की गई। जिसे पर्याप्त तननुच के उपरान्त दि० १९ दिसम्बर, सन् १९६० के दिन राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की है। उस दिन तक १८ पंजीकृत यूनियनों इस महासंघ से सम्बद्ध थीं।

उत्तर प्रदेश में जिन श्रमिक नेताओं ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में सहयोग दिया तथा प्रारम्भिक कठिनाइयों को झेलते हुये उसे आगे बढ़ाया और जिनपर आज भी उसे गर्व है, वे हैं—सर्वश्री ठाकुरदास साहनी (जो कि आजकल सहारनपुर में एक चीनी मिल के मैनेजर हैं), स्व० परमात्माचरण सबसेना, रामकृष्ण त्रिपाठी, शिवकुमार त्यागी, शिवकुमार सिंह, स्व० ईश्वरदयाल सबसेना, हंसदेवसिंह गौतम, यज्ञदत्त शर्मा तथा भगवत्शरण रस्तोगी।

हमारे ये हुतात्मा



स्व० श्री ईश्वरदयाल सक्सेना

(२१ नवम्बर ६३ की रात्रि ११ बजे, जो थंलीशाहों के एजेन्टों की गोलियों के शिकार हो गये)

सन् १९६० तक महासंघ को मान्यता न मिलने के कारण प्रदेश के अन्य जिलों व कारखानों में यूनियनों की स्थापना करना तथा सम्बद्ध करना सम्भव नहीं था। अतः स्वाभाविक ही इससे सम्बद्ध यूनियनों की संख्या कम रही और सारे कार्य व हलचल का केन्द्र कानपुर में ही सीमित थी। उस समय लोहा उद्योग में लगे हुये कर्मचारियों का एक विशाल सम्मेलन दिनांक ५ जनवरी, ५८ के दिन कानपुर में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन व समय समय के प्रतिनिधि सम्मेलन भी कानपुर में ही करने पड़े।

उल्लेखनीय अधिवेशनों व सम्मेलनों में व्यक्त किये गये विचार तथा विवरण यहाँ अलग शीर्षक में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।




भारतीय मजदूर संघ



के

महामंत्री



श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

के

अध्यक्ष




बिनयकुमार मुखर्जी (लखनऊ)

उपाध्यक्ष



नित्यानन्द स्वामी एडवोकेट (देहरादून)



बरमेश्वर पाण्डेय एडवोकेट
(वाराणसी)

वार्षिक अधिवेशनों व प्रतिनिधि सम्मेलनों के

उल्लेखनीय भाषण

कानपुर (नारायणी धर्मशाला) में दि० २ अक्टूबर, १९६० के दिन भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेशीय शाखा के प्रतिनिधि सभा के अवसर पर स्वागताध्यक्ष श्री जगन्नाथप्रसाद श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री, गणेश फ्लावर मिल्स वर्कर्स यूनियन, कानपुर का भाषण

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान वसुदेव जी ठेंगड़ी एवं प्रतिनिधि बन्धुओं,

औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानपुर नगर में आज आप सबका स्वागत करते हुये मुझे कितना हर्ष हो रहा है, शब्दों में उसे प्रकट करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। मैं समझता हूँ यह मेरा ही सौभाग्य नहीं है, वरन् पूरे कानपुर नगर का सम्मान है कि आप सब यहां एकत्र हुये। सचमुच भा० ठेंगड़ी जी की उपस्थिति ने इस अवसर की महत्ता और सी अधिक बढ़ा दी है। हम लोग उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकेंगे-ऐसी मैं आशा करता हूँ।

बन्धुओं! आज जैसी भीषण परिस्थिति है; आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संकट है, किसी से छिपा नहीं। एक ओर हमारी सरकार की पंच-वर्षीय योजनायें चल रही हैं, दूसरी ओर गरीबी और बेकारी बढ़ रही है। और कहा यह जाता है कि योजनायें सफल हो रही हैं। लेकिन वह सफलता केवल समाचार पत्रों में, रेडियो पर अथवा सिनेमा के न्यूज रील में ही सिमट कर रह गयी है। अंग्रेजों के समय में हम लोग सोचते थे कि अगर यह चला गया तो देश में गरीबी और अमीरी की खाई पटेगी, पर वह दृश्य आज बारह साल बीत जाने के बाद भी नहीं आ पाया। इस बीच में गरीब और गरीब तथा अमीर और

अमीर हुआ है। हमारी अपेक्षाएं कुछ मात्रा में भी पूरी हो रही होती तो कहा जा सकता था कि जितना शेष रह गया है वह भी हो जायगा, पर यहां तो जो कवम उठा है गलत दिशा की ही ओर। और गलत रास्ते पर चल रहे आदमी को जितना शीघ्र सही मार्ग पर ले आया जाय, उतना ही अच्छा। अन्यथा वह गलत मार्ग पर उतना ही दूर बढ़ जायगा।


सबको काम मिलना पहली आवश्यकता

वास्तव में हमारी योजनाओं का आधार यह होना चाहिये था कि सबको काम मिले। भारत कर्मप्रधान देश है और मनुष्य के कर्म के महत्व को सरकार को समझना चाहिये था, पर हमारी विशाल जनसंख्या की जनशक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी शक्ति यदि काम में लगकर उत्पादन बढ़ाती तो हम इतना पैदा कर लेते कि आज वितरण के समय सबका भाग पर्याप्त बढ़ गया होता। भारतीय मजदूर संघ के उत्साही बन्धुओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि देश की जनशक्ति को ध्यान में रखते हुये उद्योगों में विकेन्द्रीकरण की ओर अपना ध्यान खींचें। इससे न केवल शहरों की भीड़, बेकारी और गरीबी भागेगी, बल्कि छोटे छोटे शहरों, कस्बों व गांवों का भी भाग्य बदलेगा। छोटे छोटे उद्योगों में हजारों लाखों हाथों को काम मिलेगा तथा उत्पादन बढ़ेगी। देश की आर्थिक विषमता हटाने की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

सज्जनों, आप यहां पधारे हैं श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान श्रम कानून जो श्रमिकों के लिये बनाये गये हैं वे न तो काफी हैं और न ही उनको उचित प्रकार से लागू किया जा सका है। अनेक उद्योगों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू ही नहीं है। प्रावीडेंट फण्ड स्कीम सीमित क्षेत्रों में ही लागू है, बीमा योजना का गिने चुने सजदूर माइयों को ही लाभ पहुंच पा रहा है।

हाल ही में प्रकाशित वस्त्र उद्योग के लिए वेतन वृद्धि की सिफारिस से ही उद्योगपतियों में कितनी बेचैनी है। सरकार भी उनके लागू करने में अनावश्यक देर कर रही है। अपने हिसाब किताब को छिपाने में मिल मालिक उत्तरोत्तर चतुरता प्राप्त करते जा रहे हैं। जहां जहां सरकार स्वयं मालिक के रूप में है वह भी मजदूर हितों का विचार नहीं रख रही है, फिर निजी पूंजी में काम करने वालों का तो कहना ही क्या है ?

अतः बन्धुओं, जहां आप सब मजदूर के वेतन स्तर, मंहगाई, बोनस, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन बीमा, शिक्षा आदि दैनिक आवश्यकता के विषयों पर विचार करेंगे, मैं समझता हूं देश की भीषण राजनैतिक परिस्थितियां आपकी नजर से ओझल न होंगी। चीन हमारी उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर चुका है बातचीत तथा पत्र व्यवहार के दौरान में वह बढ़ता चला आ रहा है। उनके साथी यहां के साम्यवादियों को देखिये, ये हिन्दुस्तानी कहे जाते हैं, परन्तु क्या भारत मां के प्रति श्रद्धा की भावना उनके मन में है? वे चीन की खुली वकालत करते हैं। साम्यवादियों ने सबसे अधिक हमारे भोले-भाले मजदूर भाइयों को ही बहकाया है। असलियत को छिपा कर, सस्ते नारों के आधार पर अपने मनसूबों का महल खड़ा कर लेना इनका पुराना काम है। अपनी मांगों के लिये हम आँख पर पट्टी बांध कर काम नहीं करेंगे। हां अगर देश की स्वतन्त्रता को खतरा पैदा होता है, तो मजदूर देश से बाहर नहीं हैं। देश की आजादी हमें हर कीमत पर प्यारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम इन अराष्ट्रीय तत्वों से बचें।



राष्ट्र भक्ति खेल नहीं है, जब इसकी कसौटी का दिन आता है तो संसार के अप्रतिम लावण्य, नाते-रिश्ते एवं जागतिक वैभव के सुनहले जीवन को बुद्ध से भी भीषण, दधीचि से भी दृढ़ तथा भीष्म की भयंकर प्रतिज्ञा से भी अचल बनकर एक ठोकर से ठुकरा देना पड़ता है; जो इसकी गम्भीरता समझता है, वही इस कठिन परीक्षा में सफल हो सकता है और वही अमृत-पुत्र है।

दि० २ अप्रैल, १९६० के दिन कानपुर में भारतीय मजदूर संघ,
उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सभा के अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष

श्री नित्यानन्द स्वामी एम० ए०, एल० एल० बी०
का

✽ **अध्यक्षीय भाषण** ✽



मान्यधर स्वागताध्यक्ष महोदय तथा प्रतिनिधि बन्धुओ !

भारतीय मजदूर संघ देश की एक नवोदित श्रमिक संस्था है जिसने अपने जीवन के अल्प काल में ही आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस संस्था ने इतने शीघ्र समय में बम्बई तथा मद्रास राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त करने के साथ ही साथ श्रमिकों के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आशा से अधिक कार्य का विस्तार यह सिद्ध करता है कि श्रम जीवियों ने देश भर में इस संस्था का स्वागत किया है।

भारतीय मजदूर संघ ही क्यों ?

चार चार केन्द्रीय श्रम संगठनों के होते हुये इस नए संगठन की क्या आवश्यकता थी ? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और यह पूछना स्वाभाविक भी है। किसी व्यक्ति के शरीर पर यदि फोड़े-फुन्सी उठने लगे तो ऊपर से लगाया जाने वाला मरहम थोड़े समय के लिये कुछ आराम अवश्य पहुंचा देंगे परन्तु वह रोग का स्थायी निदान नहीं हो सकता। बीमारी को जड़ से हटाने के लिये उसके शरीर की पूरी पूरी जांच करनी होगी और अगर खून की खराबी उसका कारण है तो उसका उपचार उसी प्रकार करना होगा। मजदूरों की कठिनाइयों, उनके गिरे हुये वेतन स्तर तथा उनकी अन्यान्य समस्याओं का स्थाई हल सम्पूर्ण समाज की स्थिति पर विचार करके ही होगा। समाज को दृष्टि से अक्षल करके निकाला हुआ हल अन्यान्य नई कठिनाइयों का सृजन ही करेगा। यही वर्तमान स्थिति है।

माक्सवाद अभिशाप है

अंग्रेजों के शासन काल में मजदूर समस्याओं का मुख्य कारण विदेशी शासन था परन्तु आज जब हम स्वतंत्र हैं तो इन समस्याओं के बने रहने का कारण, कांग्रेस राज्य की गलत नीतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। आज मजदूरों के वामपक्षी दलों द्वारा गलत नेतृत्व दिया जा रहा है। इन माक्सवादियों ने जब धन की ही जीवन की धुरी बनाया तो मनुष्य और उसका श्रम रूपों से तुलने लगा। श्रम की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी। श्रमिक को एक खरीदी जाने वाली जड़ बस्तु बनाकर छोड़ा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिक बन्धुओं के स्वाभिमान और उनके जीवन के श्रेष्ठ गुणों को चोट पहुंची। भारतीय मजदूर संघ जहां एक ओर श्रमिकों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं के लिये संघर्ष करता है वहीं उनके सम्मान की रक्षा का भी विचार रखता है। जिस समाज में मजदूर सुखी नहीं वह समाज कभी सुखी नहीं रह सकता है। माक्सवाद के हैमियों ने जहां मजदूरों की बेचनी को बढ़ाया है और समय से पूर्व ही असंगठित संघर्ष करा कर श्रमिकों को हानि पहुंचाई है, वहां देश के उत्पादन में भी भारी धक्का पहुंचाने के लिये वे जिम्मेदार हैं। मजदूर संघ यद्यपि न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिये हड़ताल को भी एक उचित कदम मानता है, परन्तु वामपक्षियों की तरह पहला कदम नहीं वरन अंतिम कदम समझता है। जहां अन्य संगठन संघर्ष को

आवश्यक मानकर उसके लिये बहाने ढूँढ़ते हैं वही भारतीय मजदूर संघ उसको उचित समझते हुये भी अनिवार्य नहीं समझता ।

पूँजीवाद कलंक है

जिस प्रकार मार्क्सवाद १८ वीं शताब्दी का एक पुराना असफल और वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त सिद्धान्त रह गया है उसी प्रकार पूँजीवाद भी समाज के लिए एक कलंक है । यह पश्चिम की एक ऐसी देन है जिससे मानवता को बहुत कष्ट हुआ है और हो रहा है । हमें इन दोनों ही 'बावों' से छुटकारा पाना है । श्रमिकों को ऐसा रास्ता चाहिए जो उन्हें सम्मान व सुख पूर्वक जीवन यापन की गारण्टी करे तथा उन्हें समाज से अलग भी न करे । भारत एक राष्ट्र है और किसी भी व्यक्ति का उससे पृथक व्यक्तिगत या वर्गशः अस्तित्व नहीं है । परन्तु यह आदर्श बिना देश प्रेम की भावना को जाग्रत किए पूरा नहीं होगा और जब तक यह नहीं होता तब तक तथा आगे उसे बनाए रखने के लिए मजदूरों में संगठन की आवश्यकता है । वह भी ऐसा संगठन जो न तो एक ओर साम्यवादियों द्वारा वर्ग संघर्षों का हथियार बन कर रह जाए और न दूसरी ओर कांग्रेसियों द्वारा अपने इस भ्रष्ट एवं असफल शासन को बचाए रखने का काम करे । यह संगठन होगा देश प्रेम से ओत प्रोत उन श्रमिकों का, जो इनमें से किसी के हाथ में अपनी पतवार न दें तथा स्वयं अपनेहितों के लिए संगठित होकर संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग करें ।

मजदूर भी भारत माँ का प्रिय पुत्र है

यह भी हमें आज स्मरण रखना आवश्यक है कि जहाँ हम मजदूरों के अधिकारों की चर्चा करते हैं, वहीं उनका देश के प्रति कर्तव्य भी है । कामपक्षियों ने इस ओर दुलक्ष्य करके इसको इतना मूला दिया कि यह बात उन्हें तभी स्मरण हुई जब केरल में उनके शासन में मजदूरों को उन्हीं के शिकुद्ध आन्दोलन करना पड़ा । मजदूर भी तो समाज व देश का अंग है, और केवल एक साधारण अंग ही नहीं वरन् वह तो भारत माँ का कमाऊ बेटा है । वह भारतीय संस्कृति के अनुसार सर्वे ही कर्म प्रधान है ।

देश पर संकट के समय मजदूरों का कर्तव्य

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक मजदूर आन्दोलन जिन व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में रहा है, उनमें से कुछ ने तो दूसरे देशों के इशारों

पर ही आन्दोलन चलाये हैं और यहां तक कि विदेशों से सहायता लेने में भी संकोच का अनुभव नहीं किया है एवं व्यक्तिगत स्वार्थों को ही अधिक महत्व दिया है। इतिहास इसका साक्षी है कि भारतवर्ष के मजदूर आन्दोलन में मजदूर कुछ लोगों की स्वार्थसिद्धि का ही शिकार बनता रहा है। उसके त्याग और बलिदानों के मुकाबले में उसकी हित सिद्धि नहीं के बराबर हुई है।

बन्धुओं ! आज जिन परिस्थितियों में हम लोग अपने प्रदेश के श्रम-आन्दोलन को एक नया मोड़ और गति देने के लिये एकत्र हुये हैं वह आपसे छिपी नहीं हैं। हमारे देश पर चीन का आक्रमण हो चुका है, आगे बढ़ने के उसके मन्सूबे उसकी हरकतों से साफ हैं। पंचशील का राग अलापने वाला चीन पत्र-व्यवहार के दौरान में भी बढ़ता रहा है। लद्दाख की तमक की झीलों पर कब्जा करने की उसकी सरगमों हमें विदित ही है। नेहरू-चाऊ वार्ता संभावित है। वार्ता के लामदायक परिणाम निकलने की कोई आशा नहीं है। लियाकत अली वार्ता द्वारा युद्ध विराम करके हमने कश्मीर का १/३ भाग खोया, नेहरू-नून वार्ता द्वारा बेरुबारी यूनियन का भाग देने की बात स्वीकार कर ली, और चीन से वार्ता करके तिब्बत की स्वतन्त्रता को बलि चढ़ा दी। आशंका है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की चाह में हमारे प्रधान मंत्री भारत मां के कुछ और भागों का 'भू-दान' न कर दें। भारतीय कम्युनिस्ट चीन के इशारे पर ही देश में काम कर रहे हैं। ये खुलेआम चीन की वकालत करते हैं और उनके लिये "सेयर्स माईनर्स" का काम करते हैं। और दूसरी ओर साम्यवादी दल की प्रेरणा से चलने वाला "एटुक" और उसकी गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। विशेषकर पिछले ११-२ वर्ष का इतिहास देखना आवश्यक है। "संसार के मजदूरी एक ही" कहना तो अच्छा लगता है लेकिन इनसे पूछना चाहिये कि चीनी आक्रमण के समय क्या चीन का मजदूर न्याय के लिये भारत के मजदूरों का साथ देगा ? वे अपने देश का ही साथ देंगे। यह नारा व्यवहारिक नहीं है-धोखा है। गुलामी फिर चाहे चीन की हो या अमरीका की दोनों से ही देश का आर्थिक ढांचा बिगड़ेगा। देश पर यदि संकट आया तो मजदूरों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। आजादी की सूखी रोटी गुलामी की खीर से कहीं अच्छी होती है।

मजदूर संघ ही श्रेष्ठ है

इन्हीं कुछ कारणों से मैं कहता हूं कि आज भारतीय मजदूर संघ की उतनी ही जरूरत है जितनी मनुष्य जीवन के लिये वायु और जल की। भारतीय मजदूर

संघ वर्ग संघर्ष के सीमित व घातक दायरे से दूर, साम्यवादियों और पूंजीवादियों-दोनों की खकी के पाटों से दूर, राजनैतिक प्रभावों से मुक्त तथा देशभक्ति से ओतप्रोत, एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता, उनके रोटि-रोजी के अधिकार को मौलिक अधिकार मानता है तथा उसे प्राप्त करने के मार्ग की पवित्रता को भी उतना ही महत्त्व देता है जितना लक्ष्य की।

भारतीय परम्परा व आदर्श

अन्य संगठनों की तरह भारतीय मजदूर संघ ने अपना नाम अंग्रेजी में नहीं रक्खा। अपना ध्वज, चिन्ह तथा श्रम दिवस सभी का चुनाव करते समय हमने देश की महान परम्परा को ध्यान में रक्खा है। जहाँ हमने भगवा ध्वज को उसकी प्राचीनता, श्रेष्ठता तथा त्याग की भावना के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया है वहाँ मानव अंगूठे का निशान — हमारा चिन्ह — मनुष्य की कर्म-शक्ति की ओर संकेत करता है। यही मानव अंगूठा शेष अंगुलियों से मिल कर आदिकाल से ही हल का सूठ, मशीनों का चक्र बनाया और छोटे से लेकर बड़े यंत्रों का निर्माण किया। इसी अंगूठे की वेन है हँसिया, हथोड़ा, चर्खा, हल और चक्र। दूसरे शब्दों में यह सभी यंत्रों का सृजनकर्ता है। हँसिया, हथोड़ा जहाँ रूस की मानसिक दासता का नमूना है वहाँ बाकी चिन्ह भी श्रमिकों के एक सीमित क्षेत्र की शक्ति का ही आभास कराते हैं।

राष्ट्रीय श्रम दिवस

हम दूसरों की तरह मई दिवस को मजदूर दिवस नहीं मनाते। मई दिवस पश्चिमी राष्ट्रों की देन है। इसमें पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयाँ और हमारी दासतापूर्ण मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। देश के लोहार, सुनार और बढ़ई तथा सभी दस्तकार विश्वकर्मा दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। राजस्थान के कई स्थानों पर तथा टाटा नगर में आज भी विश्वकर्मा दिवस को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर संघ ने इसी परम्परा को गति देने के लिये तथा अन्य संगठनों द्वारा परानुकरण किये जाने को समाप्त करने के लिए सम्पूर्ण भारत में इसे राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। यह मौलिक मतभेद ही हमारी श्रेष्ठता का स्रोतक है।

वर्तमान श्रम कानून

सरकार की समय समय पर घोषित नीतियाँ तथा श्रम कानून, श्रमिकों की कठिनाइयों तथा अन्य दिक्कतों को हल करने में पूर्णतः असफल रही हैं। आज के

कानून में मजदूर को अधिकार प्राप्ति में इतना समय लगता है कि या तो मजदूर इतनी देर में स्वयं थक जाता है या उस समय तक फल का कोई लाभ नहीं रह जाता। सरकारी मशीनरी की गति इतनी धीमी है कि मजदूर का धीरे धीरे उस पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। यूनियनों को रजिस्ट्रेशनके दो वर्ष बाद तक मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार न देना, वर्तमान कठिनाई का एक नमूना है। बने कानूनों का कड़ाई से पालन न करवा पाना आज आम शिकायत है। अतः हमें सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि वर्तमान कानूनों में उचित संशोधन करके उनका दृढ़ता से परिपालन कराया जाय।

पंजीकरण सुलभ हो

यूनियनों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) तथा मान्यता प्रदान करने के नियमों में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है, जिससे मजदूरों को यूनियनों के बनाने में तथा मान्यता प्राप्त करने में कठिनाई न हो। मामूली टेकनिकल कमियों के कारण महीनों तक यूनियनों के कागज ढाले रखना उचित नहीं है।

संगठनों को मान्यता चुनाव आयोग की ही भांति न्यायपूर्ण एवं प्रजातान्त्रिक ढंग से विचार करके सही आंकड़ों की जांच के बाद तुरन्त करना चाहिए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना:

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं देश में बढ़ती हुई बेकारी को कम करने में असफल रही हैं, अतः जब तृतीय योजना बनाई जा रही है तो हमारी मांग है कि श्रम संगठनों की भी सलाह लेकर श्रमिकों की हितकारी योजना बने। हमारी योजनाओं का आधार होना चाहिए कि हर एक को काम मिले। "आराम हराम है" का नारा तभी चरितार्थ होगा जब हम अपने देश की व्यर्थ पड़ी जनशक्ति का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में लगावेंगे। योजना "श्रम बचाऊ" न होकर "श्रम-खपाऊ" होनी चाहिये। बड़े बड़े आकर्षक नारों के बजाय तात्कालिक फल देने वाली योजना बनाई जानी चाहिये। मजदूर के सामने उसके आज के जीवन की समस्या वह कल के सव्ज बाग-भूखे रह कर नहीं देखना चाहता। मूल्यों के बढ़ाव पर रोक लगाना भी जरूरी है, जिसमें खाद्य पदार्थ और प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं को प्रमुखता और प्राथमिकता देना होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को कम करके उसकी कमी को भारी करों की चोरी पकड़ कर पूरा किया जाय।

अनुशासन संहिता

एक ओर श्रमिकों, उद्योगपतियों और सरकार ने अनुशासन संहिता का पालन करने का निश्चय किया तो दूसरी ओर वामपक्षीय श्रम संगठन नैनीताल समझौते को भंग करने के जिम्मेदार हैं। सरकार ने भी श्रम संगठनों को मान्यता न प्रदान करके, कार्य-बोझ बढ़ाकर, श्रम आन्दोलन के नेताओं के प्रति अन्याय करने में तथा श्रमिकों की न्याय संगत मांगों को दबाए रखने में कौन सी कसर उठा रखी है ? नुकसान केवल उन श्रम संगठनों का हुआ जो संहिता का पालन कर रहे थे और कर रहे हैं। सरकार को इस विषय में आदर्श कायम करना चाहिए। सरकारी उद्योगों में सरकार को आदर्श मालिक का व्यवहार भी करना आवश्यक है। विपरीत आचरण के ही कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हड़तालों और ताला बंदियों के कारण यदि ४० लाख कार्य दिवसों की प्रति वर्ष हानि हुई तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में वह बढ़कर ६५ लाख कार्य दिवस हो गई। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

वेतन दरें

आज की मजदूर की सबसे प्रमुख मांग है उसके वेतन के न्यायोचित निर्धारण की। औसत आय वृद्धि होने के स्थान पर गिरावट आ रही है। उत्तर प्रदेशमें १९५४की वार्षिक औसत आय ९३२२० प्रति श्रमिक थी वह १९५६में केवल ८६६२० रह गई। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की उचित मांग के प्रति उदासीनता असह्य होती जा रही है। द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों से चारों तरफ असंतोष फैल रहा है। २० लाख सरकारी कर्मचारी करों और महंगाई के पाटों में दबा कराह रहा है। अपेक्षा थी कि आयोग फेयर-वेज कमेटी की रिपोर्ट तथा १५ वीं इंडियन लेबर कान्फ्रेंस के निर्णयों पर विचार करेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आयोग यदि कर्मचारियों के सुझाव मान लेता तो धनाभाव का कारण बता कर वेतन वृद्धि की मांग को ठुकराने की नौबत न आती। महंगाई मत्ते के विषय में भी आयोग की नीति कर्मचारियों के लिए अहितकर है। वेतन वृद्धि तो रही एक ओर, छुट्टियां, रेलवे पास आदि की कटौती करके आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी कदम रखला है। कोई भी सरकार कर्मचारियों के असंतोष को बढ़ा कर निपुणता नहीं प्राप्त कर सकती। कर्मचारियों को न्याय मिलना ही चाहिए—इस ओर भी हमें उचित कदम उठाने होंगे।

पर ही आन्दोलन चलाये हैं और यहां तक कि विदेशों से सहायता लेने में भी संकोच का अनुभव नहीं किया है एवं व्यक्तिगत स्वार्थों को ही अधिक महत्त्व दिया है। इतिहास इसका साक्षी है कि भारतवर्ष के मजदूर आन्दोलन में मजदूर कुछ लोगों की स्वार्थसिद्धि का ही शिकार बनता रहा है। उसके त्याग और बलिदानों के मुकाबले में उसकी हित सिद्धि नहीं के बराबर हुई है।

बन्धुओं ! आज जिन परिस्थितियों में हम लोग अपने प्रदेश के श्रम-आन्दोलन को एक नया मोड़ और गति देने के लिये एकत्र हुये हैं वह आपसे छिपी नहीं हैं। हमारे देश पर चीन का आक्रमण हो चुका है, आगे बढ़ने के उसके मसूचे उसकी हरकतों से साफ हैं। पंचशील का राग अलापने वाला चीन पत्र-व्यवहार के दौरान में भी बढ़ता रहा है। लद्दाख की नमक की झीलों पर कब्जा करने की उसकी सरगर्मी हमें विदित ही है। नेहरू-चाऊ बार्ता संभावित है। बार्ता के लाभदायक परिणाम निकलने की कोई आशा नहीं है। लियाकत अली बार्ता द्वारा युद्ध विराम करके हमने कश्मीर का १/३ भाग खोया, नेहरू-नून बार्ता द्वारा बेरुवारी यूनिशन का भाग देने की बात स्वीकार कर ली, और चीन से बार्ता करके तिब्बत की स्वतन्त्रता को बलि चढ़ा दी। आशंका है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की चाह में हमारे प्रधान मंत्री भारत माँ के कुछ और भागों का 'भू-दान' न कर दें। भारतीय कम्युनिस्ट चीन के इशारे पर ही देश में काम कर रहे हैं। ये खुलेआम चीन की वकालत करते हैं और उनके लिये "सेयर्स माईनर्स" का काम करते हैं। और दूसरी ओर साम्यवादी दल की प्रेरणा से चलने वाला "एटुक" और उसकी गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। विशेषकर पिछले ११-२ वर्ष का इतिहास देखना आवश्यक है। "संसार के मजदूरों एक हो" कहना तो अच्छा लगता है लेकिन इनसे पूछना चाहिये कि चीनी आक्रमण के समय क्या चीन का मजदूर न्याय के लिये भारत के मजदूरों का साथ देगा ? वे अपने देश का ही साथ देंगे। यह नारा व्यवहारिक नहीं है—धोखा है। गुलामी फिर चाहे चीन की हो या अमरीका की दोनों से ही देश का आर्थिक ढाँचा विगड़ेगा। देश पर यदि संकट आया तो मजदूरों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। आजादी की सूखी रोटी गुलामी की खीर से कहीं अच्छी होती है।

मजदूर संघ ही श्रेष्ठ है

इन्हीं कुछ कारणों से मैं कहता हूँ कि आज भारतीय मजदूर संघ की उतनी ही जरूरत है जितनी मनुष्य जीवन के लिये वायु और जल की। भारतीय मजदूर

संघ वर्ग संघर्ष के सीमित व घातक दायरे से दूर, साम्यवादियों और पूंजीवादियों-दोनों की चक्की के पाटों से दूर, राजनैतिक प्रभावों से मुक्त तथा देशभक्ति से ओतप्रोत, एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता, उनके रोटी-रोजी के अधिकार को मौलिक अधिकार मानता है तथा उसे प्राप्त करने के मार्ग की पवित्रता को भी उतना ही महत्व देता है जितना लक्ष्य को।

भारतीय परम्परा व आदर्श

अन्य संगठनों की तरह भारतीय मजदूर संघ ने अपना नाम अंग्रेजी में नहीं रक्खा। अपना ध्वज, चिन्ह तथा श्रम दिवस सभी का चुनाव करते समय हमने देश की महान परम्परा को ध्यान में रक्खा है। जहाँ हमने भगवा ध्वज को उसकी प्राचीनता, श्रेष्ठता तथा त्याग की भावना के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया है वहाँ मानव अंगूठे का निशान — हमारा चिन्ह — मनुष्य की कर्म-शक्ति की ओर संकेत करता है। यही मानव अंगूठा शेष अंगुलियों से मिल कर आदिकाल से ही हल का मूठ, मशीनों का चक्र बनाया और छोटे से लेकर बड़े यंत्रों का निर्माण किया। इसी अंगूठे की देन है हँसिया, हथौड़ा, चर्खा, हल और चक्र। दूसरे शब्दों में यह सभी यंत्रों का सृजनकर्ता है। हँसिया, हथौड़ा जहाँ रूस की मानसिक दासता का नमूना है वहाँ बाकी चिन्ह भी श्रमिकों के एक सीमित क्षेत्र की शक्ति का ही आभास कराते हैं।

राष्ट्रीय श्रम दिवस

हम दूसरों की तरह मई दिवस को मजदूर दिवस नहीं मनाते। मई दिवस पश्चिमी राष्ट्रों की देन है। इसमें पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयाँ और हमारी दासतापूर्ण मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। देश के लोहार, सुनार और बढ़ई तथा सभी दस्तकार विश्वकर्मा दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। राजस्थान के कई स्थानों पर तथा टाटा नगर में आज भी विश्वकर्मा दिवस को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर संघ ने इसी परम्परा को गति देने के लिये तथा अन्य संगठनों द्वारा परानुकरण किये जाने को समाप्त करने के लिए सम्पूर्ण भारत में इसे राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। यह मौलिक मतभेद ही हमारी श्रेष्ठता का द्योतक है।

वर्तमान श्रम कानून

सरकार की समय समय पर घोषित नीतियाँ तथा श्रम कानून, श्रमिकों की कठिनाइयों तथा अन्य दिक्कतों को हल करने में पूर्णतः असफल रही हैं। आज के

कानून में मजदूर को अधिकार प्राप्ति में इतना समय लगता है कि या तो मजदूर इतनी देर में स्वयं थक जाता है या उस समय तक फल का कोई लाभ नहीं रह जाता। सरकारी मशीनरी की गति इतनी धीमी है कि मजदूर का धीरे धीरे उस पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। यूनियनों को रजिस्ट्रेशनके दो वर्ष बाद तक मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार न देना, वर्तमान कठिनाई का एक नमूना है। बने कानूनों का कड़ाई से पालन न करवा पाना आज आम शिकायत है। अतः हमें सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि वर्तमान कानूनों में उचित संशोधन करके उनका दृढ़ता से परिपालन कराया जाय।

पंजीकरण सुलभ हो

यूनियनों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) तथा मान्यता प्रदान करने के नियमों में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है, जिससे मजदूरों को यूनियनों के बनाने में तथा मान्यता प्राप्त करने में कठिनाई न हो। मामूली टेकनिकल कमियों के कारण महीनों तक यूनियनों के कागज डाले रखना उचित नहीं है।

संगठनों को मान्यता चुनाव आयोग की ही भांति न्यायपूर्ण एवं प्रजातान्त्रिक ढंग से विचार करके सही आंकड़ों की जांच के बाद तुरन्त करना चाहिए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं देश में बढ़ती हुई बेकारी को कम करने में असफल रही हैं, अतः जब तृतीय योजना बनाई जा रही है तो हमारी मांग है कि श्रम संगठनों की भी सलाह लेकर श्रमिकों की हितकारी योजना बने। हमारी योजनाओं का आधार होना चाहिए कि हर एक को काम मिले। "आराम हराम है" का नारा तभी चरितार्थ होगा जब हम अपने देश की व्यर्थ पड़ी जनशक्ति का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में लगावेंगे। योजना "श्रम बचाऊ" न होकर "श्रम-खपाऊ" होनी चाहिये। बड़े बड़े आकर्षक नारों के बजाय तात्कालिक फल देने वाली योजना बनाई जानी चाहिये। मजदूर के सामने उसके आज के जीवन की समस्या वह कल के सङ्ग बाग-भूखे रह कर नहीं देखना चाहता। मृत्यों के चढ़ाव पर रोक लगानी भी जरूरी है, जिसमें खाद्य पदार्थ और प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं को प्रमुखता और प्राथमिकता देना होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को कम करके उसकी कमी को भारी करों की चोरी पकड़ कर पूरा किया जाय।

अनुशासन संहिता

एक ओर श्रमिकों, उद्योगपतियों और सरकार ने अनुशासन संहिता का पालन करने का निश्चय किया तो दूसरी ओर वामपक्षीय श्रम संगठन नैनीताल समझौते को भंग करने के जिम्मेदार हैं। सरकार ने भी श्रम संगठनों को मान्यता न प्रदान करके, कार्य-बोझ बढ़ाकर, श्रम आन्दोलन के नेताओं के प्रति अन्याय करने में तथा श्रमिकों की न्याय संगत मांगों को दबाए रखने में कौन सी कसर उठा रखी है? नुकसान केवल उन श्रम संगठनों का हुआ जो संहिता का पालन कर रहे थे और कर रहे हैं। सरकार को इस विषय में आदर्श कायम करना चाहिए। सरकारी उद्योगों में सरकार की आदर्श मालिक का व्यवहार भी करना आवश्यक है। विपरीत आचरण के ही कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हड़तालों और ताला बंदियों के कारण यदि ४० लाख कार्य दिवसों की प्रति वर्ष हानि हुई तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में वह बढ़कर ६५ लाख कार्य दिवस हो गई। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

वेतन दरें

आज की मजदूर की सबसे प्रमुख मांग है उसके वेतन के न्यायोचित निर्धारण की। औसत आय वृद्धि होने के स्थान पर गिरावट आ रही है। उत्तर प्रदेश में १९५४की वार्षिक औसत आय ९३२६० प्रति श्रमिक थी वह १९५६में केवल ८६६६० रह गई। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की उचित मांग के प्रति उदासीनता असह्य होती जा रही है। द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों से चारों तरफ असंतोष फैल रहा है। २० लाख सरकारी कर्मचारी करों और महंगाई के पाटों में दबा कराह रहा है। अपेक्षा थी कि आयोग फेयर-वेज कमेटी की रिपोर्ट तथा १५ वीं इंडियन लेबर कान्फ्रेंस के निर्णयों पर विचार करेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आयोग यदि कर्मचारियों के सुझाव मान लेता तो धनाभाव का कारण बता कर वेतन वृद्धि की मांग को ठुकराने की नौबत न आती। महंगाई भत्ते के विषय में भी आयोग की नोति कर्मचारियों के लिए अहितकर है। वेतन वृद्धि तो रही एक ओर, छुट्टियाँ, रेलवे पास आदि की कटौती करके आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी कदम रक्खा है। कोई भी सरकार कर्मचारियों के असंतोष को बढ़ा कर निपुणता नहीं प्राप्त कर सकती। कर्मचारियों को न्याय मिलना ही चाहिए—इस ओर भी हमें उचित कदम उठाने होंगे।

गत १०-११ मार्च को दिल्ली में स्टैंडिंग लेबर कमेटी की हुई बैठक के सामने यह प्रगट हो गया है कि कर्मचारियों की मांगें उचित हैं। ऐच्छिक मध्य-स्थता निर्णयों को औद्योगिक निर्णयों की मान्यता देना, बोनस के प्रश्न पर जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति तथा वेतन को उत्पादन शीलता के अनुसार बढ़ाने को मान्यता देना आदि निर्णयों का मजदूर क्षेत्र में स्वागत होगा। द्वितीय योजना काल में उत्पादन बढ़ने पर भी वेतन नहीं बढ़ा है। संविधान के निर्णायक सिद्धांत-प्रत्येक को काम, निर्वाह योग्य वेतन तथा समान अवसर प्रदान करना सरकार का कर्तव्य होते हुए भी-अभी तक सरकार इस ओर से आंखें बन्द किए है।

बोनस तथा महंगाई भत्ता

अगर आज मालिक लाभ छिपाने की प्रवृत्ति छोड़ दें तो उत्पादन का बढ़ना अवश्य-भावी है। उससे मजदूर को कार्य करने की अधिकतम प्रेरणा मिलेगी। यदि उद्योगपति लाभ छिपाते हैं तो श्रमिक भी छिपाकर श्रम बचा लेता है। इससे दोनों को हानि है। उद्योगपतियों को स्वतः इस प्रवृत्ति को कम करना चाहिए और बोनसके प्रश्न पर झगड़ना नहीं चाहिए। महंगाई सभीके लिए समान होते हुए भी अभी तक सरकार ने कुछ उद्योगों में ही आदर्श-दरें स्थापित की हैं। बाकी उद्योगों में भी इसकी नितान्त आवश्यकता है।

मशीन मनुष्य के लिए है, मनुष्य मशीन के लिए नहीं

उत्तर प्रदेश में भी अभिनवीकरण की समस्या ने हजारों हाथ बेकार किए हैं। श्रमिकों ने समय समय पर इसका मुकाबला किया और बजट भाषण में उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री ने भी बताया है कि इस ओर उन्होंने सावधानी बरती है। इस मीठे जहर का प्रारम्भ भी कांग्रेस ने १९३७ में तथा फिर दूसरी बार १९४७ में किया है।

में समझता हूं इस बात से कोई असहमत न होगा कि मानव-सुविधा के लिए मशीनों को बताया गया। मशीन मनुष्य के लिए है, मनुष्य मशीन के लिए नहीं। मनुष्य के समाप्त हो जाने पर उत्पादन और उससे अर्जित हित किसके हित का होगा? यदि देश की आर्थिक दशा सुधारने में हजारों लाखों हाथ बेकार हो गए, उनके रोजगार छिन गए, उनके बच्चे भूखों मरने लगे तो मैं यही कहूंगा कि योजना कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए है, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए नहीं। ऐसी हालत में यह समाजवादी समाज का तारा टूट नही तो क्या है?

स्टेट-बैंक-कर्मचारियों की मांगे

अभी हाल ही में सम्पूर्ण देश के स्टेट बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल तथा उनकी सहानुभूति में रिजर्व तथा अन्य बैंकों की हड़तालों से जो स्थिति पैदा हुई, उससे किसी को प्रसन्नता नहीं हो सकती। उनकी ऐच्छिक मध्यस्थता के द्वारा मांगों को निपटाने की बात तथा अन्तरिम सहायता की मांग स्वाभाविक एवं सही ही कही जायेगी। सरकार को चाहिए था कि श्री चिन्तामणि देशमुख जैसे व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त कर देती, विशेषकर जब कि यह सरकारी घोषित नीति में ऐच्छिक मध्यस्थता को प्रथम स्थान दिया गया है। २० दिन तक इतने बड़े उद्योग में रुकावट आने से देश के सारे आर्थिक ढांचे पर उसका असर पड़ा है।

लाइफ इन्शोरेंस कर्मचारी

फिल्ड कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या मूँदड़ा काण्ड तथा अन्य छिपे हुए रहस्यों, जिनके विषय में हाल ही में रहस्योद्घाटन हुआ है सरकार की आंख नहीं खुली? कुछ पूंजीपतियों की जेबें भरने के बजाय लाभ का वितरण कर्मचारियों में किया जाना सरकार की घोषित नीति का पोषण ही होगा। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का प्रबन्ध व लाभ में साझादार होना न केवल अच्छा बरन् प्रतिदिन की समस्याओं के लिये आवश्यक समझता है।

खेतिहर मजदूर

उत्तर प्रदेश में जिसकी जनसंख्या ६ करोड़ ३२ लाख है, ७४ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर है। ३६,१२,२०९ व्यक्ति ऐसा है जिसको खेतिहर मजदूर या उनका आश्रित कहा जा सकता है। इनकी समस्याओं का हल वर्तमान कानूनों से सम्भव नहीं है। जमीन की अधिकतम जोत सीमित करने के बाद बची हुई भूमि इनमें बांट दी जानी चाहिए। ताकि इन मजदूरों को भूमिधर की संज्ञा दी जा सके और इनकी ग्रामों से शहरों की दौड़ रुके और बढ़ती हुई बेकारी रुक सके।

नाविक जल मजदूर

इसी प्रकार प्रदेश की एक दूसरी विकट समस्या हमारे जल नाविक मजदूरों की है। ग्राम समाज तथा जिला बोर्डों द्वारा पोखरों तथा घाटों का नीलाम हजारों मल्लाहों की रोजी को प्रभावित करता है। उन्हें रोजी देना

नितान्त आवश्यक है । यह सम्भव तभी है जब उन्हें मछली मारने तथा घाटों पर नाव चलाने के लाइसेन्स दिए जाय । लाइसेन्स फीस की व्यवस्था से स्वानीय सस्थाओं को आय भी होगी तथा नाविक जल मजदूरों को रोटी मिलेगी ।

अन्य उद्योग

प्रदेश के प्रमुख जन-उपयोगी चीनी उद्योग में भी स्थिति अच्छी नहीं है । अभी हाल में चीनी मिलों के मालिकों ने चीनी के दाम बढ़ जाने से बहुत मुनाफा उठाया परन्तु मजदूरों के बोनस पर कोई अन्तर न पड़ा । रिटर्निंग भत्ता भी न्यायपूर्ण ढंग से अभी तय नहीं हो पाया है । सरकार इस जिम्मेदारी को भी निभा नहीं पा रही है । प्रदेश का दूसरा प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है । टेक्सटाइल वेज बोर्ड के निर्णयों से नियोजक चिन्तित हैं । परन्तु यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि दूसरों को कपड़ा पहनाने वाला अभी भी नग्न ही है । नियोजकों की चिन्ता बेबुनियाद है । वेज बोर्ड के सुझावों के अनुसार भुगतान करने की क्षमता प्रायः सब मिलों में है । १९४७ से मजदूरों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई । महंगाई अत्यधिक बढ़ गई है । फिर २८ बन्द तथा ५० असमर्थ मिलों का बहाना करके उन ४०० इकाइयों को जो समर्थ हैं पीछे नहीं हटना चाहिये । मजदूरों के हितों का ध्यान रखकर सुझावों को त्वरित लागू किया जाना चाहिये ।

प्रदेश में कितने ऐसे उद्योग हैं जहाँ न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं है । १९५७ तक केवल १० उद्योगों पर ही यह लागू किया जा सका था । इसे सभी उद्योगों पर लागू करना चाहिये । इसके बाद भी प्रदेश में ऐसे अनेक छोटे बड़े व्यवसाय व उद्योग हैं जिनमें उचित वेतन, काम के घण्टे तथा अन्य सुविधाओं की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ।

कल्याण--कार्य

वेतन महंगाई भरो आदि के बाद जिस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वह है मजदूरों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक उत्थान का सवाल । हमें यह तो विदित ही है कि भारत के श्रमिकों की समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है वह सामाजिक भी है । अतः यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनको व उनके बच्चों की अच्छी एवं सस्ती शिक्षा का प्रबन्ध करें । उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खेल कूद के मैदानों व पार्कों का प्रबन्ध करें । वृद्धावस्था में बिना पक्षपात के पेन्शन मिले, ऐसा प्रबन्ध हो । प्रावीडेण्ट फण्ड

योजना उन सभी उद्योगों में लागू हो, जहाँ अभी तक यह लागू नहीं है। राज्य बीमा कर्मचारी योजना अभी केवल प्रदेश के १५ केन्द्रों में ही लागू है और केवल १,७८,००० मजदूरों को ही इसका लाभ प्राप्त है। इसे पूरे प्रदेश में लागू कराया जाय। चिकित्सालयों को पर्याप्त औषधियाँ तथा प्रशासन दिए जाने चाहिए, इस विषय में मजदूरों की बहुत शिकायतें हैं। साथ ही साथ सरकार को चिकित्सालय कर्मचारियों की दशा की ओर भी ध्यान देना चाहिये। गन्दी बस्तियों को समाप्त करके सस्ते मूल्य (किराये) पर आवास व्यवस्था को सुलभ किया जाय। अभी तक सरकार ने जो किया है वह मात्रा में कम है।

त्रिदलीय विचार विमर्श तथा प्रबन्ध व लाभ में साझेदारी

भारतीय मजदूर संघ त्रिदलीय विचार विमर्श का हामी है और सभी औद्योगिक झगड़ों के हल में उसे उद्योगी समझता है। लेकिन अन्तिम हल तभी निकल सकेगा जब मजदूरों का उद्योग के प्रबन्ध व लाभ में साम्रा होगा। इससे मजदूरों की माँगों की पूर्ति के साथ ही साथ मालिकों को भी लाभ होगा।

कार्यकर्त्ताओं से निवेदन

मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार यदि हम लोग यहाँ से प्रदेश भर के उद्योगों का विचार करके हर एक की कठिनाइयों को समझ कर तथा उनके प्रति हृदय से जुट कर काम करने की एक प्रेरणा लेकर गये तो मुझे विश्वास है कि अपने सर्वप्रिय नेता मा० दानोपंत जी ठेंगड़ी के नेतृत्व में जहाँ देश का मजदूर भारतीय मजदूर संघ को अपना रहा है, वहाँ हम भी अगले वर्ष अपना काम कई गुना बढ़ा कर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों की कठिनाइयों के हल करने में इस प्रदेश के कार्यकर्त्ता भी पीछे नहीं रहे हैं। हममें तथा दूसरों में इतना ही अन्तर है कि जहाँ हमारे स्वार्थों के लिए काम करते हैं, वहाँ भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता देश प्रेम और दीन हीन मजदूर भाइयों की पीड़ा से प्रेरणा लेकर तन-मन-धन से काम में जुटते हैं।

मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने जिलों में जाकर जहाँ कहीं भी मजदूरों के प्रति अन्याय हो, खड़े हों और उनके लिए पूरे दिल व दिमाग से काम करें। कार्य करना अपना कर्त्तव्य है, फल ईश्वराधीन है, उसकी चिन्ता न करें। यदि हमने यह सब किया तो हमारी सफलता और हमारे द्वारा चिरकाल पीड़ित मजदूर भाइयों की सफलता निश्चित है।



है। मैं इस समिति के एक सदस्य के रूप में संलग्न हूँ। मैं इस समिति के एक सदस्य के रूप में संलग्न हूँ। मैं इस समिति के एक सदस्य के रूप में संलग्न हूँ।

॥ श्री ॥

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिनांक २२ अक्टूबर, ६० को कानपुर (नारायणी धर्मशाला) में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी
का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तथा प्रिय प्रतिनिधिगण !

आज इस सम्मेलन के शुभ अवसर पर आप सब कार्यकर्ता बन्धुओं के बीच

में अपने को पाकर मुझे अतीव प्रसन्नता

हो रही है। ६ महीने पहले हम इसी

नगर में इसी तरह सम्मिलित हुये थे। उस

समय प्रदेश तथा देश की औद्योगिक

समस्याओं पर हमने अपने विचार प्रकट


किये थे तथा निकट भविष्य के लिये

संगठनात्मक योजनाएं भी निश्चित की थीं।

इतनी अल्पकालावधि में हमें फिर से

एकत्रित होने की आवश्यकता प्रतीत हुई,

यह बात हमारी योजनापूर्वक प्रगति का



सूचक है। इस प्रगति के लिये मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ।

हमें ज्ञात है पिछले सम्मेलन के पश्चात् देश के औद्योगिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल है। उनकी माँगें न्यायोचित होते हुये भी उन्हें असफल क्यों होना पड़ा, यह बात सभी सम्बन्धित लोगों के लिये विचारणीय है। न्यूनतम वेतन के विषय में १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश तथा मंहगाई भत्ते के विषय में प्रथम वेतन आयोग की सिफारिश सिद्धान्ततः मान लेने से भी इन्कार करने वाली सरकार के समाजवाद का सच्चा स्वरूप अभी तक जनता नहीं पहचान सकी तो उसके लिये दोषी सरकार नहीं अपितु जनता ही है। सरकारी पूँजीवाद के रूप में 'समाजवाद' निजी पूँजीवाद से भी भयावह है—क्योंकि उसमें आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण उन्हीं हाथों में होता है, जिनके पास शासन की बागडोर भी है, इस महान् सत्य के अनुरूप ही सरकार ने व्यवहार भी किया। पिछले त्रिदलीय सम्मेलन में भारत के श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल जी नन्दा ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सरकारी क्षेत्र चलाने वाले लोग देवदूत नहीं और एकबार उद्योगपति का स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात् उद्योगपतियों का सा पूर्वाग्रह हर एक में आ ही जाता है। हिन्दुस्थान में भारत सरकार को सबसे बड़े उद्योगपति का स्थान प्राप्त है। इस दृष्टि से श्री नन्दा द्वारा प्रकट सत्य अमिन्नन्दनीय है। इसके पश्चात् भी तरतम भाव को छोड़कर सभी उद्योगों के सरकारीकरण के लिये समर्थन करने वाले पुस्तकीय समाजवादियों के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 'ब्रह्माऽपि नरं न रञ्जयति ।'

कर्मचारियों को धोखा देने में कर्मचारियों के नेताओं ने सरकार को भी मात दे दी। व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ के लिये राजनैतिक नेताओं ने कर्मचारियों का दुरुपयोग किया, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों की कितनी हानि हो सकती है, इसका ज्वलन्त उदाहरण, यह हड़ताल है। पी० एस० पी० के नेताओं का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार तथा कम्युनिस्टों का इस आन्दोलन के पीठ में छुरा भोंकने का देशव्यापी षड्यंत्र, ये दोनों बातें अब इतनी लोकपरिचित हो गई हैं कि उनको यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं। सरकार तथा पूँजीपतियों का सभी परिस्थियों में समर्थन करने की 'दृष्टक' की नीति, अपने दलगत स्वार्थ को तथा विदेशी आक्रमकों के हित की सिद्धि के लिये श्रमिक आन्दोलन का गलत ढंग से उपयोग करने की साम्यवादियों की उत्सुकता; तथा किसी भी सिद्धान्त पर अटल न रहते हुए केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता हेतु चाहे जो भला बुरा काम करने की पी० एस० पी० के नेताओं की मानसिक सिद्धता—इन तीनों तथ्यों का

सम्यक ज्ञान रहने के कारण इन तीनों संस्थाओं से अलग एक नई, आदर्शवादी, राष्ट्रवादी तथा श्रमहितवादी, अराजनैतिक, श्रमिक संस्था का आगमन सरकारी क्षेत्र में भी होना चाहिये, ऐसी इच्छा सरकारी कर्मचारियों के मन में निर्माण हुई है।

जो बात सरकारी क्षेत्र की है, वही निजी क्षेत्र की भी। पांच साल पहले, भारतीय मजदूर संघ का निर्माण होते ही, चारों ओर से पूछा गया कि श्रमिक क्षेत्र में पहले से काम करने वाली इतनी अ० मा० संस्थाओं के रहते हुये भी एक नई संस्था का निर्माण आप लोगों ने क्यों किया ? उस समय हमने जो उत्तर दिया था, उसका वास्तविक अर्थ समझना आज अधिक सरल हो गया है।

भारतीय मजदूर संघ का निर्माण होने के पहले हमारे ट्रेड यूनियन क्षेत्र में प्रमुख रूप से दो विचार धाराएँ चल रही थीं। एक कम्युनिस्टों की है, जो श्रमिकों का पक्ष लेकर पूंजीपतियों से संघर्ष तो करते थे किन्तु श्रमिकों के हित में तथा औद्योगिक विवादों के मुलझाने में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। विवाद और कैसे बढ़ेंगे गरीबी तथा बेकारी अधिक कैसे बढ़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले असन्तोष का अपने दलगत स्वार्थ के लिये उपयोग कैसे होगा, इधर ही उनका ध्यान था। वे जैसे पूंजीवाद के वैसे ही राष्ट्रवाद के भी विरोध में थे। इन देशद्रोहियों के हाथ में हमारे मजदूर आन्दोलन की बागडोर जाना देश के लिये खतरे से खाली नहीं था। इनके विरोध में दूसरा प्रवाह 'इण्टक' का था। 'इण्टक' वाले देश भक्त तो हैं, किन्तु श्रमिकों का कल्याण साध्य करने में वे असफल रहे, क्यों कि 'इण्टक'—कांग्रेस के नीचे है कांग्रेस-शासन के तथा शासन-पूंजीपतियों के। अतः 'इण्टक' पूंजीपतियों से,--आवश्यकता होने पर भी, सीधा संघर्ष नहीं करना चाहती। अर्थात् देशभक्त होते हुये भी 'इण्टक' पूंजीपतियों की पूठपोषक है। श्रमिकों के हित की दृष्टि से दोनों धाराएँ अवांछनीय थीं। इसी लिये हम लोगों ने सोचा कि अब तीसरी श्रमिक संस्था स्थापित होनी चाहिये, जो इण्टक के समान देशभक्त रहे किन्तु उसके समान पूंजीपतियों की चेरी न बने, और जो कम्युनिस्टों के समान, आवश्यकता होने पर पूंजीपतियों से संघर्ष भी कर सके किन्तु उसके समान गैर जिम्मेवार तथा देशद्रोही न हो। भारतीय मजदूर संघ ऐसी तीसरी संस्था है। सैद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाय तो ए० आय० टी० यू० सो० वर्ग--संघर्षवादी है, इण्टक वर्ग समन्वयवादी। भारतीय मजदूर संघ, वर्गवाद में ही विश्वास नहीं रखता। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाय तो, हड़ताल कम्युनिस्टों के लिए प्रथम शस्त्र है, और इण्टक उसे अस्पर्श मानकर चलती है।

भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अस्पर्श भी नहीं समझता और न प्रथम शस्त्र भी । अन्य संवैधानिक मार्गों को अपनाने के पश्चात्, यदि वे फलदायी न हुये तो, भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अंतिम शस्त्र के रूप में अपनाता है । निःसंदेह, यह मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है ।

सरकार के समाजद्रोही समाजवाद का दुष्परिणाम न केवल सरकारी कर्मचारियों पर अपितु सभी औद्योगिक तथा खेतिहर मजदूरों पर भी हुआ है । आज औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में चारो ओर असंतोष फैला हुआ है । समाजवादी घोषणा के बावजूद गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है । पंचवर्षीय योजनाओं के चलते हुये भी बेकारों की संख्या बढ़ रही है; आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है; रुपयों की कीमत घटती जा रही है वास्तविक वेतन घटते जा रहे हैं; औद्योगिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं; कार्यदिवसों की हानि बढ़ती जा रही है । सरकारी तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक उग्र स्वरूप धारण करती जा रही है । कहा जाता है कि पूर्व योजनाओं के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय ४० प्रतिशत बढ़ गई है । किन्तु इसके साथ ही जन साधारण की आर्थिक दुरवस्था भी बढ़ती ही जा रही है । सामान्यतः आर्थिक क्षेत्र के और विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र के इस सर्वकष संकट की मूलगामी कारण मीमांसा करते हुये उसके विषय में उतनी ही सर्वकष उपाय योजना के सुझाव देने का सबसे अधिक दायित्व श्रमिक सस्थाओं पर ही है; क्यों कि सबसे अधिक निर्धन श्रमजीवी जनता का प्रतिनिधित्व वे करती हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि इस दायित्व का निर्वाह करने की बजाय वे केवल सद्य फलदायी, सस्ती घोषणाओं के ही पीछे जाना चाहती हैं ।

आज के हमारे औद्योगिक ढांचे का स्वरूप ही औद्योगिक अशांति का प्रथम प्रमुख कारण है । हमारा आजका औद्योगिक ढांचा भारत की प्रकृति के अनुकूल नहीं । भारत में कारखाना नहीं परिवार उत्पादन की इकाई रही है । 'विकेन्द्रीकरण' आर्थिक लोकतन्त्र भारत की विशेषता रही है । किन्तु अंग्रेजों के प्रभाव में आकर हमारे उद्योगपतियों ने पश्चिम का औद्योगिक ढांचा, बगैर सोचे समझे भारत में चला दिया । पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिम में यंत्रयुग का आधार वाष्पशक्ति था । उसका विकेन्द्रीकरण असम्भव था । इसलिये उसके सहारे चलने वाले यन्त्रों द्वारा होने वाले उत्पादन की प्रतिक्रियाओं का भी विकेन्द्रीकरण असंभव था । परिणामस्वरूप पूँजी तथा श्रमका भी केन्द्रीकरण हो गया । इसी ढांचे का हमारे उद्योगपतियों ने अंधानुकरण किया । इसलिये आज औद्योगिक ढांचा अभारतीय, औद्योगिक सम्बन्धों का स्वरूप अभारतीय, औद्योगिक

कानून की रचना अमरातीय और औद्योगिक क्षेत्र का वायुमण्डल भी अमरातीय है। इनके जो दुष्परिणाम पश्चिम में दिखाई दिये, वे भारत में भी दिखने लगे। अब शास्त्रीय ज्ञान की प्रगति के कारण बाष्पशक्ति के स्थान पर विद्युत-शक्ति को तथा अणुशक्ति को यन्त्र का आधार बनाना सम्भव हो गया है। इन दोनों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण सरलता से हो सकता है। इसलिये इनके सहारे अद्यावत् यांत्रिकीकरण तथा उत्पादन की प्रतिक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण-दोनों बातें एकसाथ साध्य हो सकती हैं। उस अवस्था में उत्पादन की इकाई के नाते कारखाने का स्थान परिवार ले सकता है। अबतक जहाँ जहाँ बड़े पैमानेके उद्योगों की पहले ही स्थापना हो चुकी है, वहाँ वहाँ सहस्वामित्व (Co-Partner Ship) के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने से तथा जहाँ नये उद्योगोंके प्रारम्भ करनेका विचार है, वहाँ जहाँ तक सम्भव हो, विद्युतशक्ति के सहारे, परिवार को उत्पादक इकाई बनाकर यंत्रिकृत अपितु विकेन्द्रित उत्पादन प्रक्रियाओं का स्वीकार करने से हमारे औद्योगिक वायुमण्डल के विद्यमान दुष्परिणामों की तीव्रता कम करने का, सम्भाव्य दुष्परिणामों की तीव्रता कम करने का तथा सम्भाव्य दुष्परिणामों को टालने का कार्य सफलता से हो सकता है। इससे औद्योगिक सम्बन्धों का स्वरूप बदल जावेगा। औद्योगिक कानून को बबलना भी सम्भव होगा। यही बात भारतीयता से मेल खाने वाली है।

अशांति का दूसरा प्रमुख कारण है भारतीयों द्वारा अमरातीय मनोरचना का अपनाया जाना। राष्ट्रकेशरणवृत्तिका अभाव-इसका स्वाभाविक परिणाम है तथा इससे आत्यंतिक स्वार्थ और स्वकेन्द्रितता का सर्वत्र प्रादुर्भाव हुआ है। इस जड़वादी मनोवृत्ति के कारण न केवल मालिक-मजदूर संघर्ष अपितु मालिक-मालिक संघर्ष और मजदूर-मजदूर संघर्ष भी स्थान स्थान पर निर्माण हुए। समाज की मौलिक एकात्मता की विस्मृति होने पर क्या अनर्थ नहीं हो सकता ?

कभी कभी प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस तरह का आर्थिक असन्तोष प्राचीन भारत में नहीं था ? आर्थिक अशांति को रोकने के लिये हमारी समाज व्यवस्था में क्या योजना थी ? भारतीय समाज रचना के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं की सबसे अधिक उपलब्धि तथा उनके सेवन की सबसे अधिक अनुमति केवल परिचर्यात्मक कर्म (Menial Work) करने वाले श्रमिकों की ही थी। समाज के अन्य सभी अंगों के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि तथा अधिकार, इन पर हमारे शास्त्रों ने क्रमशः बढ़ते जाने वाली मर्यादायें रखी थी। श्रमिकों के समान ही यदि दूसरे किसी भी अंग ने उपभोग किया तो उसे धर्म

विरोधी समझा जाता था। इस तरह हमारी रचना ही पाश्चिमात्य रचना के ठीक विपरीत थी। पश्चिम में आवश्यक वस्तुओं की सबसे कम उपलब्धि श्रमिकों को होती है और आवश्यक वस्तुओं का श्रमिकों से अधिक सेवन समाज के अन्य व्यक्तियों के लिये पश्चिम में निषिद्ध नहीं माना जाता। भारत में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के वितरण के विषय में संयम तथा आत्म शासन पर निर्भर जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसकी कल्पना भी पाश्चिमात्य नहीं कर सकते। इस रचना में श्रमिकों का असन्तोष असम्भव ही था। इसका अतिक्रमण हुआ तभी अशांति का निर्माण हुआ।

भारत की परम्परा तथा परिस्थिति का विचार न करते हुए बनाई गयी सरकार की अर्थनीति, विद्यमान असन्तोष का तीसरा प्रमुख कारण है। जिसका केन्द्र बिन्दु है, पंचवार्षिक योजनाएँ। व्यवहारार्थताके स्थान पर पुस्तकीय मनोवृत्ति का तथा प्रयोजनीयता के स्थान पर दर्शनीयता का सरकार द्वारा अपनाया जाना, कृषि के विषय में आवश्यक आग्रह का अभाव; उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले यन्त्रीकृत छोटे उद्योगों की जगह बुनियादी तथा भारी उद्योगों के विषयमें अत्यधिक आग्रह, देशकी वास्तविक आवश्यकताओं को अग्रक्रम (Priority) न देते हुए आर्थिक सहायता देने वाले देशों के पास अतिरिक्त (Surplus) माल कौन सा है यह देखकर योजनाओं की रचना; अधिकतम लोगों को काम देने की दृष्टि न रखते हुए पाश्चिमात्य पद्धति के मानवी परिश्रम की आवश्यकता को कम करने वाले औद्योगीकरण का अपनाया जाना, हमारी निजी भारतीय टेक्नालाजी का प्रारम्भ भी न होने के कारण उत्पादन के परम्परा-प्राप्त साधनों का तेजी से (Deceptialisation) होना उन पर काम करने वाले कारीगरों का बेकार होना तथा उनसे सम्बन्धित व्यवस्थापकीय कौशल का निरूपयोगी होना, अवास्तविक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अविरत बढ़ते ही जाने वाले करों की, परदेश निर्भरता की, (Deficitfinanec) तथा उसके फलस्वरूप मूल्य-वृद्धि की अपरिहार्यता इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मजदूर संघ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गरीब श्रमजीवी जनता की आर्थिक अवनति का एक प्रमुख कारण हमारी योजनाएँ हैं। इस पृष्ठभूमि पर भारतीय मजदूर संघ की यह मांग है कि अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस दृष्टि से आमूलाग्र परिवर्तन होना चाहिये।

सर्व साधारण अर्थनीति के साथ साथ विशेषरूप से औद्योगिक नीति भी अशांति के लिये जिम्मेवार है। सरकारी क्षेत्र में आदर्श उद्योगपति की भूमिका

का समुचित निर्वाह करने में सरकार ने जो अनिच्छा तथा असमर्थता प्रकट की उसके कारण निजी क्षेत्र में प्रभावी नियन्त्रक शक्ति के नाते कार्य करना सरकार के लिये असम्भव हो गया है। अनुशासन संहिता के विषय में प्रवचन देना तो सरल है किन्तु त्रिदलीय सम्मेलन के सर्वसम्मत निर्णयों को निर्णायक तथा बंधनकारक मानने को जहां स्वयं सरकार तैयार नहीं, वहां निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अनुशासन संहिता का भंग करते हुए मनःपूत व्यवहार किया तो उसमें आश्चर्य क्या है ? सरकार की श्रमिक विरोधी-वृत्ति अब स्पष्ट हो गई है।

केन्द्रीय कर्मचारियों का दमन करते समय सरकार ने जिस तत्परता का परिचय दिया उसका दशांश भी यदि चीन या पाकिस्तान की सीमातिक्रमण पर प्रकट होता, तो राष्ट्र का कल्याण होता। अब हड़ताल पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाने का विचार चल रहा है। इससे अधिक लोकतन्त्र विरोधी कार्यवाही की औद्योगिक क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हड़ताल का अधिकार काम के अधिकार का ही अपरिहार्य उपप्रमेह है। श्रमिकों का यह मौलिक अधिकार है। भारतीय मजदूर संघ जहां तक बने वहां तक हड़ताल न करने के ही पक्ष में है। तो भी हड़ताल का अधिकार छीन लेना भारतीय मजदूर संघ किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं कर सकता। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले त्रिदलीय सम्मेलनमें श्रमिक प्रतिनिधियोंके साथ ही पूंजीपतियों के प्रतिनिधियों ने भी हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सुझाव का विरोध किया और समाजवादी सरकार के सम्मान्य श्रममन्त्री ने इस श्रमिक विरोधी सुझाव का सूत्रपात तथा समर्थन किया।

श्री गुलजारीलाल जी नन्दा द्वारा दिया हुआ 'विहटले कौंसिल' का सुझाव वैसे तो स्वागतार्ह है। किसी भी पर्यायी व्यवस्था के फलस्वरूप हड़ताल अनावश्यक प्रतीत हो; यही वांछनीय है। 'विहटले कौंसिल' की कार्यवाही ग्रेट ब्रिटेन में अच्छी तरह से चल भी रही है। किन्तु हिन्दुस्थान में वह व्यवस्था कहां तक सफल होगी यह कहा नहीं जा सकता। उसकी यशस्विताकी दो शर्तें हैं। एक तो विभिन्न स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समितियों में बैठने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधि उनके वास्तविक प्रतिनिधि होने चाहिये और दूसरी बात यह कि (Arbitration) का निर्णय सरकार को अविलम्ब और जैसे के वैसे मान लेना चाहिये। इस तरह जैसे के वैसे और अविलम्ब आर्बिट्रेशन के निर्णय को मान लेने की सरकार की अब तक परम्परा नहीं। और श्रमिक क्षेत्र में ऐसा संदेह

फैल गया है कि संयुक्त सलाहकार समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के नाते अपने ही समर्थकों को लाने का सम्पूर्ण प्रयत्न 'इण्टक' द्वारा सरकार करेगी। कर्मचारियों के ये संदेह दूर हों, ऐसा व्यवहार करना सरकार का ही दायित्व तथा कर्तव्य है।

केन्द्रीय कर्मचारियों के यूनियनों में बाहरी लोगों पर प्रतिबन्ध लगाने का श्री नन्दा जी का दूसरा सुझाव है। तानाशाही की ओर बढ़ने की इच्छा मनमें रहते हुए भी उसे प्रकट करने में सरकार को अब तक संकोच का अनुभव होता था। किन्तु उपरिनिर्दिष्ट दोनों सुझाव ऐसा सूचित करते हैं कि सरकार ने इस संकोच को भी अब छोड़ दिया है। बाहर के व्यक्तियों की सहायता पर अवलंबित न रहते हुए कर्मचारी अपने ही पैरों पर खड़े हो सके—यह सबकी इच्छा है। किन्तु कर्मचारियों को जब तक विश्वास नहीं होता कि संयुक्त सलाह या वार्ता के समय शासन के प्रतिनिधि समान भूमिका पर आकर लोकतांत्रिक मनोवृत्ति से व्यवहार करेंगे तबतक बाहर के व्यक्तियों की आवश्यकता कर्मचारियों को अपरिहार्य रूप से प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। किन्तु अभी तक ऐसा विश्वास निर्माण नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि अपनी ही शक्ति तथा साहस के बल पर कर्मचारी आत्मनिर्भर बने, यह तो वांछनीय ही है। किन्तु बाहर के व्यक्तियों को अपनी यूनियन में लेने के उनके अधिकार पर कुठाराघात करना अलोकतांत्रिक है। कहा जाता है कि कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को राजनीति से अलिप्त रखने के लिये ही यह सुझाव है। न केवल केन्द्र कर्मचारियों का अपितु सभी श्रमिकों का आन्दोलन राजनीति से अलिप्त ही रहना चाहिये, ऐसी हमारी भी इच्छा है। और इसी दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ अपनी गैर-राजनैतिक भूमिका का निर्वाह दक्षता से करते आया है। किन्तु इस तर्क की आड़ में सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दल के गुलाम बनाने की जो योजना है, उसकी हम निन्दा करते हैं। कर्मचारियों को पूर्णरूपेण गैर राजनैतिक बनाने की इच्छा की तार्किक परिणति उनके मतदान का अधिकार छीन लेने में ही हो सकती है—ऐसा कदम उठाने से सरकार की नैतिकता उसे रोकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह केवल जन-लज्जा का प्रभाव है। किन्तु सरकार की अंतस्थ प्रवृत्ति सर्वाधिकारशाही की ही है। इस अवस्था में सरकारी उद्योगों के क्षेत्र की सीमाएं अधिकाधिक विस्तृत करने की सरकारी इच्छा के परिणाम स्वरूप देश में सरकारी गुलामों की संख्या में भयानक वृद्धि होगी, इसमें सन्देह नहीं।

विभिन्न कारणों से निर्माण हुई औद्योगिक अशान्ति के फलस्वरूप राष्ट्र, उद्योग तथा श्रमिक, तीनों की ही महान् हानि हो रही है। क्योंकि तीनोंके हितों की दिशा एक ही है। तीनों के हितों में न केवल परस्परालंबित्व अपितु सम्पूर्ण एकात्म्य भी है। इस भीषण हानि को रोकना एक ऐतिहासिक महत्त्वका कार्य है। अन्य श्रमिक संस्थाएँ इस कार्य की दृष्टि से असफल ही रही हैं। इस अवस्था में क्या कहीं से सफल नेतृत्व की आशा की जा सकती है, ऐसा प्रश्न चारोंओर से किया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये ही भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये ही पिछले ५ वर्ष से दौड़-धूप चल रही है और आगे भी बहुत तेजी से तथा उत्साह से चलती रहेगी इसका हमें विश्वास है। आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की गलत नीतियां, स्वार्थ केन्द्रित अराष्ट्रीय उद्योगपतियों की अदूरदर्शिता, श्रमिकों में संगठन का अभाव, श्रमिक नेताओं की अवसरवादिता तथा व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थों की सिद्धि के लिये, श्रमिकों की विपश्चावस्था का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति और औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में सर्वसाधारण जनता की उदासीनता, इन सब बातों के कारण पीड़ित तथा आतंकित भारतीय श्रमिक आज भारतीय मजदूर संघ की ओर आशाभरी दृष्टि से देख रहा है। क्या हम उसकी आशा की पूर्ति कर सकेंगे ? हमारी संद्धान्तिक भूमिका निर्दोष है। पिछले पांच वर्षों में भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया हुआ व्यावहारिक मार्ग दर्शन भी सुयोग्य सिद्ध हुआ है। किन्तु संगठन की दृष्टि से हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। हर एक प्रदेश में हमें अपने संगठन की तीव्र अधिक गहरी तथा विस्तृत बनानी है। इसी दृष्टि से अन्यान्य प्रदेशों के समान उत्तर प्रदेश में भी कुछ महीने पहले हम प्रादेशिक सम्मेलन के रूप में एकत्रित हुये थे और आज फिर से सम्मिलित हो रहे हैं। पिछले सम्मेलन में जहां एक ओर संगठन की प्रगति का विचार किया वहां दूसरी ओर सामान्यतः देश की और विशेषतः प्रदेश की औद्योगिक परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए, राष्ट्रीय तथा प्रांतीय समस्याओं पर श्रमिकों को मार्गदर्शन किया। उसी तरह यह सम्मेलन भी उसी दिशा में अधिक सफलता से कार्य कर सकेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

इस चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे—श्री रमाशंकर शुक्ल (सभासद, नगर महापालिका, कानपुर) तथा नवनिर्वाचित प्राधानाध्यक्ष श्री नित्यानन्द स्वामी अध्यक्षता कर रहे थे।

॥ श्री ॥

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के पंचम वार्षिक अधिवेशन
के अवसर पर दिनांक १४ अक्टूबर, ६१ के दिन
आगरा (अचल भवन) में भारतीय मजदूर संघ
के महामंत्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तथा प्रिय प्रतिनिधि बन्धुगण !

प्रारम्भ में ही मैं सब बन्धुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रतिनिधि समा के पिछले अधिवेशन के पश्चात् इस प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ द्वारा की हुई संख्यात्मक तथा गुणात्मक प्रगति सराहनीय है। इसका सम्पूर्ण श्रेय आपही के अथक परिश्रम को है।

महत्वपूर्ण श्रवसर

आज हम अति महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मिलित हो रहे हैं। देश तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़ा है। वैसे ही, पंचवर्षीय सत्ता सम्पादन के हेतु लोकतान्त्रिक निर्वाचन-संग्राम की भेरियां बजने लगी हैं, और पिछले पांच वर्ष तक जिन्हें मजदूरों का विस्मरण हो गया था, वे श्रेष्ठ राजनैतिक नेता फिर से मजदूरों की झोपड़ियों के द्वार खटखटाने लगे हैं। पांच साल के पश्चात् पहली ही बार वे मजदूरों के दुखदर्द की कहानी सुन लेने की मनःस्थिति में हैं। इस समय हमारी बातें स्पष्ट रूप से सबके सामने प्रस्तुत करना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

वनवासी श्रमिक

मुझे एक अर्थशास्त्रज्ञ ने कहा कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त जो कुछ भी रहें जमाना ऐसा है कि जो जोर से चिल्लाएगा उसी की बात सुनी जाएगी। इस दुःखजनक सत्य का अनुभव व्यवहार में कई बार आता है। न्याय की मांग है कि जो सबसे अधिक दुर्बल है उसकी सुरक्षा की चिंता सबसे अधिक करनी चाहिये। व्यवहार में अनुभव इसके ठीक विपरीत आता है। शिक्षा-दीक्षा तथा संगठन के अभाव के कारण सबसे अधिक विवश अवस्था जंगल में निवास करने वाले हमारे वनवासी श्रमिकों की है। उनके वन विषयक पुराने अधिकार छीन लिये गये हैं। किन्तु उनके स्थान पर तत्सम नूतन अधिकारों की प्रतिष्ठा नहीं हुई। भूमिहीनों को भूमि वितरण करने के कार्यक्रम का प्रचार बहुत हुआ। किन्तु वास्तविकता यह है कि इन बेचारों को या तो जमीन मिली नहीं और यदि कहीं कहीं मिली भी तो वह इतनी अपर्याप्त (uneconomic) है कि उसके द्वारा कृषि उत्पादन या जीविकोपार्जन करना किसी के भी लिये सम्भव नहीं। अंततोगत्वा यह जमीन अपने ही कब्जे में लेने की सरकार की बुराई इच्छा है यह स्पष्ट है। न्यूनतम वेतन अधिनियम का संरक्षण भी कई प्रदेशों में उन्हें प्राप्त नहीं। वनवासी श्रमिकों की अवस्था 'न इधर के रहे-न उधर के रहे' ऐसी हुई है इसमें सन्देह नहीं।

खेतिहर मजदूर

वनवासी श्रमिकों के समान ही खेतिहर मजदूरों का भी बहुप्रचारित भूमि वितरण से कुछ लाभ नहीं हो सका। करोड़ों खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम के अतिरिक्त संरक्षण देने वाला दूसरा कोई भी कानून नहीं। यह अधिनियम भी कुछ सीमित क्षेत्रों के लिये ही लागू किया गया है। और वहां भी इस पर ठीक प्रकार कार्यवाही नहीं हो रही।

सत्य तो यह है कि इस समस्या का हल निकालने में हमारी सरकार पूर्णरूपेण असफल सिद्ध हुई है। कारण दो हैं। एक तो भारत सरकार के औद्योगिक कानून का आधार ब्रिटिश कानून है। ग्रेट ब्रिटेन में कृषि समस्या का स्वरूप भारत के समान नहीं है। इस लिये ब्रिटिश कानून का अनुकरण करते हुए बनाए गए हमारे औद्योगिक कानून भारत के खेतिहर मजदूरों को पर्याप्त तथा सुयोग्य संरक्षण नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि हमारी सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति का आधार सोशलिज्म है। सोशलिज्म के आधार पर

भूमि समस्या सुलझ सकती है—ऐसा सिद्ध करने वाला एक भी उदाहरण संसार में नहीं। भूमि समस्या के वास्तविक स्वरूप की जानकारी सोशलिज्म को कभी भी हो नहीं सकी। खुद को सोशलिस्ट बताने वाले लोग भी कहीं कहीं इस समस्या पर आंशिक विजय तभी प्राप्त कर सके जब उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ दिया। और फिर भी उनकी विजय आंशिक और केवल सामयिक ही रही। सोशलिस्टों के प्रपितामह मार्क्स को समस्त मानव जाति का Prophet कहते हैं। किन्तु मानव जाति का सबसे बड़ा हिस्सा याने किसान और खेतिहर मजदूर इनकी समस्या के वास्तविक स्वरूप के विषय में मार्क्स का अज्ञान विस्मयजनक था। उनकी विचार प्रणाली को अपनी समाज रचना का आधार बनाकर हम खेतिहर मजदूरों का सवाल हल कर सकेंगे—यह सोचना एक महान मूल है।

वास्तविकता यह है कि केवल फंशनेबल घोषणाओं के पीछे न दौड़ते हुए हम अपने ग्रामीण जीवन की पुनर्रचना भारत के पुरातन सिद्धान्त तथा व्यवस्थाओं के आधार पर करेंगे तभी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण ग्राम को एक इकाई समझकर उसके हर एक अंग का विचार अंगांगीभाव के आधार पर करना—यही भारतीय पद्धति है। उसी का पुनरुज्जीवन करने से खेतिहर मजदूर, किसान, कारीगर आदि समस्त ग्रामीण जनता के कल्याण का मार्ग निकल सकता है। परायों के अधानुकरण से नहीं।

छोटे किसान

दुनियां भर फैले हुए छोटे किसानों का अस्तित्व मार्क्स तथा मार्क्सवाद के लिये एक प्रबल चुनौती है। दुनिया का दो गुटों में बंटवारा करने वाले यह बताये कि छोटे किसानों का स्थान किस गुट में है। वे केपिटलिस्ट नहीं, प्रोलेटेरिएट भी नहीं। वे स्वयम् परिश्रम करते हैं और उत्पादन निकालते हैं। यह स्मरणीय है कि मार्क्स ने जिन्हें बल के समान बुद्धिहीन समझ कर अपमानित किया, उन किसानों ने ही सैद्धान्तिक संघर्ष में अपने केवल अस्तित्वमात्र से बुद्धिमान मार्क्स को प्रथमतः तथा निर्णायक रीति से पराजित किया।

अंग्रेजी कानून की नकल करते हुए भारत के औद्योगिक कानून ने भी 'श्रमिक' की परिभाषा 'वेतन भोगी' ऐसी ही की। इसलिये स्वयम् महान परिश्रमी होते हुए भी छोटे किसान कानून की दृष्टिसे 'श्रमिक' नहीं हैं तथा उन्हें सहायता देने वाला श्रमिक कानून निर्माण होना भी असम्भव है।

देशी कारीगर

यही अवस्था कोटि कोटि कारीगरों की है जो किसी के मालिक नहीं और किसी के नौकर भी नहीं। जो स्वयम् अपने ही मालिक और अपने ही नौकर हैं।

जैसे सुनार, लोहार, नाई इत्यादि । कानून इनको 'श्रमिक' समझने के लिये तैयार नहीं । यही है अभारतीयता-परायों का बौद्धिक दास्य । इसके कारण वास्तविक सत्य और कानूनी सत्य इन दोनों में महदंतर निर्माण हुआ ।

गृहग्रामोद्योग

स्वयं वेतनभोगी होते हुये भी कानून की उपेक्षा का विषय बने हुये श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में हमारे गृहोद्योगों तथा ग्रामोद्योगों में काम कर रहे हैं । इनकी चिन्ता कानून को नहीं । हां, पांच साल में एकबार राजनीतिज्ञ श्रेष्ठियों को उनका ह्याल अवश्य आ जाता है ।

जलनाविक आदि

भारत में परस्परा प्राप्त पेशे का काम आनुवंशिक पद्धति से करने वाले कितने ही आर्थिक व्यक्ति समूह हैं । उनमें से कई समूहों को कानून ने अपनी कक्षा के बाहर रखा है । और जिनको औद्योगिक कानून की परिधि में लाया गया है उनकी सहायता करने में भी कानून दक्ष नहीं । अनपढ़ तथा असंगठित समूहों को अपनी जायज मांगें हासिल करवा लेने में तबतक कामयाबी नहीं मिलती जबतक वे संगठित होकर कुछ आंदोलन नहीं छेड़ते । उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम के जलनाविक, समुद्रतट स्थित मछुए इत्यादि हैं ।

सहकारी संस्थाएं

विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी औद्योगिक कानून के दायरे में आते तो जरूर हैं । किन्तु प्रत्यक्ष कार्यवाही में सरकार तथा कानून उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं-ऐसी शिकायत हर स्थान से आ रही है । कारण भी स्पष्ट है । सहकारिता के आंदोलन को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति है । किन्तु भारत के सहकारिता-आंदोलन में सहकारिता का विशेष अभाव रहने के कारण वह धीरे धीरे पोछे हटते जा रहा है । यह वास्तविकता है । इस अवस्था में कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित रहीं तो भी उनकी पूर्ति के कारण सहकारी संस्थाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ जायगा, इसलिये जहांतक बने वहांतक उन मांगों को टालने का प्रयत्न करने की इच्छा स्वाभाविक ही है । सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को बहुत बार इस पक्षपातपूर्ण नीति का शिकार बनना पड़ता है । उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीन लेने का विचार भी कहीं-कहीं चल रहा है ।

अवकाशप्राप्त कर्मचारी

वेतनभोगी होते हुये भी सरकार तथा ट्रेड यूनियन्स के द्वारा उपेक्षित वर्ग अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का है । ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार के कर्मचारियों के

लिये एक स्वतंत्र मंत्रालय (Ministry of pensions) है। पिछले २५ वर्ष में ब्रिटेन में पेन्शन की दरों में छः बार उचित परिवर्तन किये गये हैं। पर हमारे देश में ऐसे भी मामले हैं, जिनमें दस वर्ष तक पेन्शन के क्लेम के विषय में निर्णय नहीं हुए। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की समस्या का सर्वांगीण विचार करने के लिये एक उच्चाधिकार आयोग की नियुक्ति करना अत्यावश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार के U. P. Liberalised Pension Rules, 1961 का हम स्वागत करते हैं। किन्तु उसके कारण समस्या का सम्पूर्ण निराकरण नहीं हो सकता।

मुनीम गुमास्ता

देश में लक्ष लक्ष दुकानों पर काम करने वाले मुनीम-गुमास्ताओं की समस्या अपनी विशेषता रखती है। एकेक दुकान पर नौकरी करने वालों की संख्या बहुत अल्प रहती है—कारखानों के समान अधिक नहीं रहती। कारखानों में प्रायः मालिक-मजदूर संबंधों का स्वरूप अप्रत्यक्ष होता है। दुकानों में ये संबंध सीधे, प्रत्यक्ष रहते हैं। इसलिये इन संबंधों ने 'मानवी-स्पर्श' (Human touch) की कल्पना दुकानों के विषय में अधिक सरलता से की जा सकती है। इसके कारण कुछ कठिनाइयां भी निर्माण होती हैं। कारखानों के मजदूरों की स्थिति, संख्याधिक्य, सामूहिक जागृति, सामूहिक सोचे की शक्ति आदि बातों को ह्याल में रखते हुये उसी पद्धति से बनाया गया 'शाप्स एण्ड कार्मिश्नयल स्टेब्लिशमेंट्स एक्ट' व्यवहारिक जीवन में दुकान-कर्मचारियों को संरक्षण देने में असमर्थ सिद्ध होता है। इसलिये मुनीम गुमास्ताओं की समस्या की विशेषता ध्यान में रखकर तदनुसार इस एक्ट के ढाँचे में मूलग्राही परिवर्तन होना चाहिये।

जनसेवा संस्थाओं के कर्मचारी

हास्पिटल्स आदि जनसेवा संस्थाओं के कर्मचारियों की अपनी अलग श्रेणी है। इनके कर्मचारी उत्तम नागरिक के नाते इस सत्य को भलीभाँति समझते हैं कि वे व्यवहारिक अर्थ में 'औद्योगिक कर्मचारी' नहीं। संचालक जबतक प्रचारकी वृत्ति (Missionary zeal) से काम करेंगे, तब तक कर्मचारी भी उसी तरह का प्रतिपाद देते रहेंगे—इसमें संदेह नहीं। किन्तु संचालकों को भी समझ लेना चाहिये कि संस्थाएं जनसेवार्थ हैं, किन्तु वहाँ कर्मचारियों के नाते काम करने वालों का प्रथम उद्देश्य 'जीवकोपार्जन' है—जनसेवा नहीं। किसी महान् उद्देश्य के लिये त्यागपूर्वक जीवनदान करनेवाले जनसेवकों में इन कर्मचारियों की गिनती नहीं हो सकती। अतएव इन्हें वे सारे अधिकार तथा संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है जो 'औद्योगिक' कर्मचारियों को प्राप्त हैं। Employees State Insurance

Corporation Employees Union के एक मामले में निर्णय देते समय पश्चिम बंगाल हायकोर्ट ने हाल ही में घोषित किया है कि, कोई भी संस्था, 'उद्योग' (Trade or Industry) है या नहीं यह निश्चित करने की कसौटी 'मुनाफा' या 'मुनाफे की इच्छा' यह नहीं। इसलिये इन संस्थाओं के संचालक-कर्मचारी सम्बन्धों का स्वरूप 'औद्योगिक' ही है।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ

स्थानीय स्वराज्य के क्षेत्र में भी मेयर, म्युनिसिपल अध्यक्ष तथा तत्सम अन्यान्य श्रेष्ठी स्वयं अपने को अपने अपने क्षेत्र के जनसेवक क्रमांक १ मानकर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के कर्मचारियों को अपने सहकार्यकर्ता समझे तो 'औद्योगिक कर्मचारी' होते हुये भी कर्मचारी सेवाभाव से कुछ मात्रा में प्रेरित हो सकेंगे। किन्तु इन कर्मचारियों को स्थानीय राजनैतिक दलबंदी के शिकार बनाना किसी के भी लिये सम्भव नहीं, इसलिये औद्योगिक कानून के अलावा स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं से सम्बन्धित अधिनियमों में भी उचित सुधार होना आवश्यक है।

व्यवस्था कार्यालय विभाग

एक ही व्यवसाय में काम करने वाले लोगों में अधिक चिल्लाहट करनेवाले अधिक संगठित-वर्ग को न्याय प्राप्त होने की व्यवस्था हो और उसी व्यवसाय के असंगठित वर्ग पर अन्याय जारी रहे-यह बात शोभादायक नहीं। वर्किंग जर्नेलिस्ट्स का मामला सुप्रसिद्ध ही है। उन्हें न्याय मिलना ही चाहिये। किन्तु उनके साथ ही व्यवसाय की सेवा करने वाले व्यवस्था विभागीय कर्मचारियों की सुनवाई न हो यह बात कहां तक तर्क संगत है? सम्पूर्ण वृत्तपत्र व्यवसाय के लिये वेतन-आयोग की नियुक्ति हो जाती, तो यह बोध निर्माण न होता। शिक्षा क्षेत्र में भी यही दृश्य दिखाई देता है। अध्यापक-प्राध्यापकों के वेतन स्तर सन्तोषजनक हैं-ऐसा नहीं कहा जा सकता। किन्तु कम से कम उनके विषय में कुछ सोच विचार तो हुआ है। उन्हीं शिक्षा-संस्थाओं में सेवा करने वाले कार्यालय विभागीय कर्मचारियों के विषय में भी एक साथ विचार करना असम्भव क्यों प्रतीत हुआ? उनकी आवाज कमजोर है, इसीलिये। अन्य कई संस्थानों में भी व्यवस्था विभागीयों की स्थिति इसी तरह की है।

शिक्षा क्षेत्र

इस देश में 'गुरु' का महत्व सबसे अधिक माना जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि आज उन लोगों को 'ट्रेड यूनियन' के रूपमें संगठित होने के लिये बाध्य

होना पड़ रहा है। प्रांत-प्रांतसे समाचार आते हैं कि उन्हें भी आन्दोलन छोड़ना आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश में गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों की मांग है कि वेतनस्तर तथा सेवा की शर्तों दोनों की दृष्टि से उन्हें सरकारी शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर लाया जाय। यह मांग सर्वथा उचित है। किन्तु इस प्रश्न का विचार अधिक मूलग्राही पद्धति से होना आवश्यक है। वैसे भी, शिक्षा क्रम तथा अंतःशासन व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में आज 'अराजकता' ही है। प्राथमिक शिक्षा क्रम तथा उससे सम्बन्धित विषयों का विचार करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक कमीशन नियुक्त होना चाहिये ऐसा कुछ शिक्षा-शास्त्रज्ञों का सुझाव है। वैसे ही, प्राथमिक शिक्षा से लेकर सर्वोच्च शिक्षा तक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आदि का विचार सामान्य से (Integrated) होना चाहिये यह भी अभिप्राय उन्होंने प्रकट किया है। उसी पद्धति से यह भी सोचा जाना चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं से लेकर सर्वोच्च शिक्षा संस्थाओं तक सभी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के वेतन स्तर तथा सेवा की शर्तों के विषय में स्थूल रूप से मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वकष कमीशन की नियुक्ति व्यवहार्य तथा उपयुक्त हो सकती है या नहीं? मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित होने के पश्चात् स्थल काल परिस्थिति के अनुसार विवादग्रस्त विषयों का निर्णय करना अधिक सरल हो जायगा।

सबसे अधिक चिन्तनीय विषय यह है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें शिक्षक-प्राध्यापकों के लिये ट्रेड यूनियनिज्म का स्वीकार करना अनावश्यक हो जाय? सभी सम्बन्धित पक्षों की मानसिक क्रांति के आधार पर ही यह हो सकता है। तब तक शिक्षक प्राध्यापकों का यह कर्तव्य तथा अधिकार भी है कि औद्योगिक कर्मचारियों के समान ही संगठित बन वे सामूहिक सौदे के लिये शक्तिसंचय करते रहे।

टेक्नीकल तथा सुपरवायजरी स्टाफ

टेक्नीशियन्स का महत्व बढ़ते हुए औद्योगीकरण में बढ़ता ही रहेगा। टेक्नीकल तथा सुपरवायजरी स्टाफ की भूमिका ट्रेड यूनियन आन्दोलन की दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होनी चाहिये। विशेषतः मान्यता प्राप्त या किसी अन्य यूनियन के द्वारा प्रतिनिधि होने के अधिकार के विषय में त्वरित निर्णय होना चाहिये।

सीजनल उद्योग

जिन उद्योगों का स्वरूप स्वाभाविक रूप से सीजनल हैं उनके श्रमिकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे, जीनिंग प्रंस इ.। चीनी उद्योग में

सीजन के पश्चात् रिटर्निंग अलाउन्स मिलता है। इसी तरह की कानूनी व्यवस्था या अन्य कुछ Subsidiary Industry का निर्माण आदि इन श्रमिकों की आवश्यकता है।

ठीकेदारी प्रथा

ठीकेदारी प्रथा के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की अवस्था 'घोड़ी का कुत्ता—न घरका न घाटका' ऐसी है। हमारे प्रधान मन्त्री भी ठीकेदारी प्रथा के बिरोध में अभिप्राय प्रकट कर चुके हैं। तो भी इसकी समाप्ति की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारीगण हाथ में नहीं लेते—यह आश्चर्य है। यह प्रथा अविलम्ब समाप्त होनी चाहिये और जब तक समाप्ति का कार्य पूरा नहीं होता तब तक ठीकेदारों के मजदूरों की सभी सुविधाओं तथा अधिकारों के लिये प्रमुख मालिक (Principal Employer) जिम्मेदार रहेगा—ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिये।

घरेलू कर्मचारी

आज के औद्योगिक कानून का जो ढांचा है उसके सहारे घरेलू कर्मचारियों को उचित संरक्षण देना व्यवहारतः असम्भव है—ऐसा हमारा विश्वास है। उनके लिये कौन सी रचना उपयुक्त सिद्ध होगी इस पर भारतीय मजदूर संघ सोच-विचार कर रहा है।

बड़े उद्योगों की छोटी श्रेणियां

कानून की दृष्टि से सुरक्षित होते हुए भी व्यवहारतः असुरक्षित अवस्था—बड़े उद्योगों की छोटी श्रेणियों (Categories) में स्थित श्रमिकों की है। उन्हें ट्रेड यूनियननिजम के सभी अधिकार प्राप्त हैं। संगठित शक्ति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक ही उद्योग के सभी श्रेणियों में स्थित सभी श्रमिक एकही यूनियन में सम्मिलित हों। किन्तु व्यवहार में अनुभव होता है कि ऐसी सर्वसंप्राहक यूनियन में अधिकतर चर्चा तथा चिन्ता बड़ी श्रेणियों, की ही होती है। कम संख्या रखने वाले छोटी श्रेणियों के श्रमिक तथा उनके प्रश्न आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसका कारण संख्याबल का अभाव है। अब उनके लिये क्या मार्ग है? बड़ी यूनियनमें उनकी चिन्ता नहीं की जाती और छोटी छोटी श्रेणीबद्ध यूनियन्स एक ही उद्योग में अनेक हो गईं तो श्रमिकों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस समस्या का निराकरण किस तरह हो इसका विचार सभी ट्रेड यूनियन नेताओं को करना अपरिहार्य हो गया है।

अनियमितता की विभिन्न अवस्थाएँ

औद्योगिक संस्थान में प्रवेश पाने के पश्चात् नियमित कर्मचारी की प्रतिष्ठा प्राप्त होने तक श्रमिक को कई बार विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। औद्योगिक व्यवस्था की दृष्टि से यह अनुचित नहीं है। किन्तु भारत में श्रम बेचने के लिये उत्सुक व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। श्रम को खरीदने वालों की आवश्यकताएँ कम हैं। और फिर अपने श्रम का उचित मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक श्रम को बेचेंगे नहीं ऐसा निश्चय श्रम के विक्रेता नहीं कर सकते। बेकार होने के कारण राह देखने की उनकी शक्ति अतिसीमित है। इस असहाय्यता का अनुचित लाभ उठाकर उत्पादन के खर्च कम करने के हेतु सभी अवस्थाओं में स्थित अनियमित कर्मचारियों पर अन्याय करने की प्रवृत्ति उद्योग-पतियों में दिखाई देती है। अधिक से अधिक समय तक बदली मजदूर को बदली के ही नाते रखने का, टैपररी को टैपररी के ही नाते रखने का मालिकों का प्रयत्न विभिन्न उद्योगों में दृष्टिगोचर हो रहा है। Casual श्रमिक के हित की दृष्टि से Decasualisation नाम की कोई औद्योगिक प्रक्रिया है यह मालिकों ने कभी सुना ही नहीं। प्रोबेशनरी कर्मचारी को नियमितता के लाभ से वञ्चित रखने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न चलते रहते हैं। Apprentices का अत्यधिक शोषण करके कम वेतन खर्च में अधिक उत्पादन निकालने की चेष्टाएँ चारों ओर चल रही हैं। (National Apprenticeship Commitess द्वारा Apprentices को औद्योगिक प्रगति का आधार बनाया जा सकता है—यह बात समझ लेने की इच्छा सम्बन्धित अधिकारियों की नहीं। Apprenticeship Act केवल कागज पर है।) कागज पर कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् भी इन विभिन्न अवस्थाओं में स्थित अनियमित कर्मचारी अपने को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कुछ मात्रा में विवश पाते हैं।

स्पष्ट है कि इन कर्मचारियों के हित में नियम तथा उन पर कार्यवाही अधिक कठोरता से होनी चाहिये।

संगठित उद्योग

निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के संगठित उद्योगों, व्यवसायों तथा सेवाओं में काम करने वाले श्रमिकों के लिये औद्योगिक कानून उपलब्ध है—वे अपर्याप्त हैं तथा अमर्याद हैं। तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है कि असंगठित उद्योगों के श्रमिकों की अपेक्षा इनकी ओर सरकार तथा जनता का ध्यान अधिक रहता है। इन श्रमिकों में संगठन भी अधिक है और सामूहिक सौदे की शक्ति भी।

इन सब बातों के रहते हुए भी इनकी अवस्था आज कितनी दयनीय है। फिर असंगठित उद्योगों के श्रमिकों की अवस्था का न वर्णन करना ही उचित है।

संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति आज कैसी है ?

हमें बताया जाता है कि दो पंचवाषिक योजनाओं के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है। श्रमिकों द्वारा उत्पादन तथा उनकी उत्पादकता भी बढ़ गई है। उद्योगों के मुनाफे बढ़े हैं। लेकिन अपने परिश्रम से बढ़ाये हुए उत्पादन में तथा मुनाफे में समुचित हिस्सा प्राप्त करने का सौभाग्य श्रमिकों को प्राप्त नहीं हुआ। एक तो उत्पादन, उत्पादकता तथा मुनाफा इनके अनुपात में वेतन वृद्धि नहीं हुई और दूसरी ओर जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भीषण वृद्धि हुई है। फलतः रुपयों की परिभाषा में हमारा वेतन बढ़ गया तो भी वास्तविक वेतन घट गया है। क्योंकि रुपये की क्रयशक्ति (Purchasing Power) घट गई है।

असमाधानकारक वेतन वृद्धि के अलावा पारश्रमिक से सम्बन्धित हमारी अन्य मांगों के विषय में भी हमें निराशा ही सहनी पड़ी है। सन् १९३९ के स्तर पर कीमतों को लाना असम्भव है—यह सब जानते हैं। मूल्यों में हुई वृद्धि लगभग स्थायी स्वरूप धारण करने वाली ही है। इसलिये महंगाई भरो का एक बड़ा अंश मूलवेतन में विलीन कर उर्वरित अंश को जीवन निर्देशांक (Cost Of living Index) के साथ जोड़ देना—यह हमारी मांग थी। यह बात न्याय्य होते हुए भी सभी उद्योगों तथा सेवाओं में इसको मान लिया गया—ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहां आंशिक रूप से मान भी लिया है वहां अनिच्छा के कारण 'अशुभस्य कालहरणम्' नीति का उपयोग किया गया है। वर्षाऋतु या ग्रीष्मऋतु जितनी नियमिततासे प्रतिवर्ष आता है उतनीही नियमिततासे प्रतिवर्ष संगठित उद्योगों में उपस्थिति होने वाला सघर्ष बोनस के विषय में है। इस विषय में तरह तरह की गलत धारणायें फैलाई गई हैं। बोनस याने मुनाफे में साझेदारी—ऐसा प्रचार किया गया। मुनाफा प्रायः कहीं दिखता ही नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में हुआ मुनाफा दिखाना या न दिखाना मालिकों की इच्छा का खेल है। बोनस का स्वरूप केवल यही नहीं है। जीवन-वेतन (Living Wage) और प्रत्यक्ष वेतन (Actual Wage) में जब तक अन्तर है तब तक विलम्ब से दिया गया, 'पूरक वेतन' यह स्वरूप बोनस का रहता है। प्रत्यक्ष वेतन जब सीजन वेतन के स्तर पर आ जायेगा तब तक बोनस का स्वरूप 'मुनाफे में साझेदारी' ऐसा बन जाएगा अन्यथा नहीं। तब तक बोनस यह पूरक वेतन ही है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर बोनस कमीशन कार्य चलायेगा तभी उसे सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं।

श्रमिकों को इस विषय में कुछ मौलिक विचार करने की आवश्यकता है। लड़ाई लड़नी ही है तो वार्षिक बोनस के सामयिक प्रश्न पर लड़े या मूल वेतन वृद्धि की स्थायी समस्या पर ? यद्यपि बोनस की मांग को हमें रखना ही होगा, तथापि हमारा आग्रह मूल वेतन में वृद्धि होने पर रहे इसी में लाभ है।

सत्ता के हस्तान्तर के पूर्व तथा उसके पश्चात् हमारे नेताओं द्वारा दिये गये उदार आश्वासन; दि. ६ अप्रैल १९४८ को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत Industrial Truce Resolution; दि. ३० अप्रैल १९५६ का सरकार का Industrial Policy Resolution; Fair Wages Committee का सर्व सम्प्रति से स्वीकृत प्रतिवेदन; भारतीय संविधान की धारा ४३ द्वारा दिया हुआ जीवन वेतन (A Living Wage) विषयक आश्वासन; सन १९५४ के दिसम्बर में लोकसभा द्वारा स्वीकृत 'समाजवादी समाज रचना का आवर्षा; प्रथम तथा द्वितीय पंचवार्षिक योजनाओं में निहित सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य; दोनों निर्वाचनों के समय शासक बल द्वारा अपने घोषणापत्रों में खींचे हुए सम्भाव्य प्रगति के चित्र; आदि सभी बातों के पश्चात् भी मजदूरों की स्थिति दिनप्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है।

भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि सर्वप्रथम 'राष्ट्रीय न्यूनतम' निश्चित होना चाहिये। १५वें श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत 'आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम वेतन' की कल्पना के अनुसार आज की परिस्थिति में यह राष्ट्रीय न्यूनतम रु. १४५ होता है—ऐसा भारतीय मजदूर संघ ने हिसाब लगाया है। आज की परिस्थिति में फेअरवेज रु. २२५ के लगभग आता है। वास्तविकता यह है कि वेतन निर्धारण के लिये आवश्यक तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी आज उपलब्ध नहीं। यह जानकारी सबके लिये उपलब्ध कराना यह सरकार की जिम्मेवारी है। उसी प्रकार 'पे कमीशन', तथा विभिन्न उद्योगों के वेज बोर्डों के अवाडों की त्वरित तथा सम्पूर्ण कार्यवाही का भी दायित्व सरकार का ही है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी; बैंक के कर्मचारी; कपड़ा टेक्सटाइल्स, चीनी उद्योग तथा सीमेण्ट उद्योगमें काम करनेवाले श्रमिक, आदि लोगों का अनुभव इस विषय में निराशाजनक ही है। सरकार को इस नीति में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहिये।

वेतन विवाद की स्थायी सुलझन के लिये 'स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग' की स्थापना अपरिहार्य है।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से Employees State Insurance Scheme, प्राविडेन्ट फण्ड योजना, ग्रैचुइटी, Workmen's Copmensation, Involuntary Unemployment Compensation, Retrenchment Comp-

ensation, तथा Old Age Pension, के विषय में भारतीय मजदूर संघ के सुझाव तथा "सर्वकक्ष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था" निर्माण की भारतीय मजदूर संघ की मांग सरकार तथा जनता के सामने रखने का कार्य आपने इसके पूर्व ही किया है, जिसके लिये मजदूरों ने कृतज्ञता प्रकट की है।

औद्योगिक गृह निर्माण योजना के विषय में सरकार की असफलता; विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अपर्याप्तता; सवेतन छुट्टियों की व्यवस्था की असमाधानकारकता; जहाँ धोखा हो सकता है वहाँ काम करने-वाले मजदूरों की काम के घण्टों के बारे में शिकायत; काम का बोझ निरन्तर बढ़ते रहने के कारण श्रमिकों का असन्तोष; रेशनलायझेशन के विषय में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये हुये सुझाव पर व्यवस्थित कार्यवाही न होने के कारण श्रमिक तथा उद्योगों की हुई हानि तथा फलस्वरूप प्रतिक्रिया; विभिन्न कानूनों का तथा Codes का मालिक तथा स्वयम् सरकार द्वारा उल्लंघन और उसकी श्रमिक क्षेत्र में प्रतिक्रियायें; सहस्वामित्व (Co-Partnership) के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के विषय में मालिकों की अनिच्छा तथा सरकार की उदासीनता; Whitley Councils का अनुकरण करते हुए कोई भी संयुक्त सलाहकार मशीनरी भारत में निर्माण हुई तो उसको असफल बनाने के लिये अनुकूल ऐसी सरकार की मनोरचना; हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के तथा Outsiders पर रोक लगाने के सरकारी निश्चय के कारण सभी लोकतन्त्रवादी क्षेत्रों में निर्माण हुआ क्षोभ; त्रिवलीय सम्मेलन के सर्व सम्मति से स्वीकृत प्रस्तावों को अन्तिम तथा निर्णायक न मानने के सरकारी आपग्रह के कारण उन प्रस्तावों की घटी हुई प्रतिष्ठा; आदर्श उद्योगपति के नाते स्वयम् केन्द्रीय सरकार ने अपना व्यवहार निर्दोष न रखने के कारण निजी क्षेत्र में श्रमिक विरोधी नीतियाँ अपनाने के विषय में उद्योगपतियों का बढ़ा हुआ साहस; इत्यादि बातें सिद्ध करती हैं कि सरकार की तथाकथित प्रगमनशील, श्रमनीति कहां तक वास्तव में प्रगमनशील है ?

चक्रव्यूह

भारतीय मजदूर की आज की अवस्था चक्रव्यूह में स्थित अभिमन्यु के समान है। प्रतिकूल परिस्थितियों तथा विरोधी शक्तियों ने उसे घेर लिया है। बड़े उद्योगों के ढाँचे का, औद्योगिक संबंधों का तथा औद्योगिक कानून का अभारतीय स्वरूप; राष्ट्रशरीर के अन्यान्य अवयवों के अंगांगीभाव के विषय में नेताओं का घोर अज्ञान और उसके फलस्वरूप श्रमिक तथा मालिक, उद्योग और

राष्ट्र—इन सबके हितों की एकात्मता के विषय में भी उतना ही भ्रूषण अज्ञान; राष्ट्रहित के स्थान पर व्यक्ति स्वार्थ को ही जीवन का अन्तिम उद्देश्य मानने वाले मालिकों का अदूरदर्शी व्यवहार; दुष्ट मालिक तथा श्रमिक विरोधी शासन के नाते कार्य करने वाली सरकार की श्रमनीति; औद्योगिक क्षेत्र तथा सम्बन्धों के विषय में जनसाधारण की उदासीनता; स्वयम् श्रमिकों में जागृति तथा एकता का अभाव; और उनकी विवशता का अनुचित लाभ व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ के लिये उठाने वाले नेताओं का प्रभाव—यह है इस चक्रव्यूह का स्वरूप ।

भारतीय मजदूरों का आशा केन्द्र

इस चक्रव्यूह से सुरक्षित तथा विजयी होकर बाहर निकलने का सीधा और सरल मार्ग मजदूरों को दिखाने का दायित्व इस प्रतिनिधि सभा का है । आपके प्रस्ताव, निर्णय तथा मार्ग दर्शन की प्रतिक्षा मजदूर क्षेत्र कर रहा है । अनुभव के आधार पर उन्हें विश्वास प्राप्त हो चुका है कि किसी भी परिस्थिति में मजदूरों का सुयोग्य नेतृत्व करने की क्षमता भारतीय मजदूर संघ की है । इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवाकार्य में सफल होने का सामर्थ्य श्री परमेश्वर आपको प्रदान करे—यह विनम्र प्रार्थना है ।


इस पंचम वार्षिक अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे—श्री श्रीनारायण टंडन, बी० ए०, एल० एल० बी० (वकील) तथा प्रदेशाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण सक्सेना, वकील अध्यक्षता कर रहे थे ।

भारतीय मजदूर संघ न तो दक्षिण पंथी है और न वामपंथी । उन लोगोंके लिये, जो वास्तवमें 'राष्ट्रवाद' से उत्पन्न आर्थिक व्याख्याओं से अनभिज्ञ हैं, भारतीय मजदूर संघ किसी भी वाद से बधा न होकर 'वास्तववादी' है ।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
के
मन्त्री द्वय



ज्ञानचन्द्र द्विवेदी एडवोकेट (हाईकोर्ट प्रयाग)




राजामोहन अरोड़ा (आगरा)




कोषाध्यक्ष

भगवतशरण रस्तोगी (कानपुर)




भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री
उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रधानमंत्री




वीरेन्द्रस्वरूप भटनागर (बरेली क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर
संघ के
प्रधानमंत्री




सुधीर सिंह (गोरखपुर क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश इन्जीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन के
प्रधानमंत्री




मलेकचन्द्र (मेरठ क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ के प्रधानमंत्री




हंसदेवसिंह गौतम (कानपुर)

उत्तर प्रदेश दुकान कर्मचारी संघ के
अध्यक्ष




गौरीशंकर मिश्र (बरेली)

प्रधानमंत्री




यज्ञदत्त शर्मा (कानपुर)

पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ
के
अध्यक्ष



रामकुबेरलाल (गोरखपुर)

प्रधानमंत्री



राधेमोहन सक्सेना (गोरखपुर)

॥ श्री ॥

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सम्मेलन
के अवसर पर दिनांक १२ मई, ६२ के दिन
देहरादून (जैन धर्मशाला)
में महामंत्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

प्रिय प्रतिनिधि बन्धुगण !

आज इस सम्मेलन के शुभ अवसर पर आप सब बन्धुओं का स्वागत करते हुये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश के श्रमिक क्षेत्र में स्वस्थ तथा सुवृद्ध ट्रेड यूनियन संगठन खड़ा करने का श्रेय आप ही को है। राष्ट्रवाद के आधार पर रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने हुये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में आप मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ही भारत का पहला श्रमिक संगठन है जो कि श्रमिक क्षेत्र को राजनीति से अलग रखते हुये निःस्वार्थ भाव से केवल मजदूरों की भलाई के ही लिए श्रमिक संगठन तथा आन्दोलन का कार्य कर रहा है। उस संगठन के आप सब सिपाही तथा सेनानी हैं। इसीलिए आपके इस सम्मेलन की ओर सम्पूर्ण प्रदेश के श्रमिक आशाभरी दृष्टि से देख रहे हैं।

किंतु यह हमें ध्यानमें रखना होगा कि श्रमिक समस्या यह संपूर्ण देशकी आर्थिक समस्या का एक अंग मात्र है। राष्ट्रीय, आर्थिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि पर ही श्रमिक समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। इस तरह का सर्वकष (Integrated) विचार न हुआ तो समस्या का सही हल निकल नहीं सकता।

परिस्थिति की भीषणता

देश की आर्थिक प्रगति के चक्र को आगे बढ़ाने में मजदूरों ने पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। मैं इसके पूर्व ही बता चुका हूँ कि किस तरह पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन तथा मुनाफा प्रतिवर्ष अधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं। हड़ताल के कारण नष्ट हुये काम के घण्टों की संख्या प्रतिवर्ष अधिकाधिक घटती जा रही है। मूल्यों के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, पर मजदूरों का वास्तविक वेतन घटता जा रहा है और दोनों पंचवार्षिक योजनाओं के बावजूद बेकारी तथा अर्द्धबेकारी अधिकाधिक भीषण स्वरूप धारण करती जा रही है। गत निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को अखिल भारतीय स्तर पर ४५ प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में राज्यीय स्तर पर ३५ प्रतिशत से कुछ कम मतदान प्राप्त हुआ—यह घटनासूचक है। सामान्यतः भारतवर्ष की और विशेषतः उत्तर प्रदेश की जनता ने इस मतदान के द्वारा सरकारी दल की आर्थिक नीतियों के विषय में मानों अविश्वास का प्रस्ताव ही पारित कर डाला है। इससे सचेत होकर अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाना सरकारी दल का कर्तव्य है। अन्यथा बेकारी तथा मूल्यों की असाधारण वृद्धि के कारण सर्वसाधारण में अशान्ति फैलने की सम्भावना बढ़गी।

आर्थिक प्रगति का दावा

जहाँकि एक ओर साधारण जनता दिन प्रतिदिन गिरती हुई आर्थिक अवस्था का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर सरकारी नेता तथा उनके स्तुतिपाठक हमारे सामने ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं जिन्हें देख कर हमें विस्मय हो जाता है। हमें बताया गया है कि दो योजनाओं के काल में हमारी राष्ट्रीय आय में ४३.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति (Per Capita) आय में १८.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। अर्थात् इस दशक में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की वार्षिक औसत १.८ प्रतिशत रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में ३४ प्रतिशत वृद्धि होगी—ऐसी आशा की गई है। प्रति व्यक्ति आय में तृतीय योजना के कारण १८ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक वृद्धि होगी ऐसा भी सोचा गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में ऐसा दिखेगा कि तृतीय-चतुर्थ योजना काल में राष्ट्रीय आय में ६५ से ७० प्रतिशत वृद्धि हो गयी है। यह सुनकर किसी को भी हर्ष होगा कि १९७०-७१ में प्रति व्यक्ति आय ५००.०० से अधिक हो जायेगी, कितनी आकर्षक बातें हैं ये।

दीर्घ सूत्री विनश्यति

भावी प्रगति का विचार करते समय हमें यह तो अवश्य मान लेना पड़ेगा कि किसी भी देश की आर्थिक नियोजन कुछ अंशों में दीर्घकालीन रहना आवश्यक हो जाता है। किन्तु यह भी आवश्यक है कि नियोजन पूर्णरूपेण दीर्घसूत्री न हो अन्यथा सामान्य नागरिकों के मन में 'उमर खैयाम' के समान यह विचार प्रबल होगा कि "Take the cash and waive the rest" हमारे योजनाकर्ताओं को Keynes की यह चेतावनी स्मरण में रखनी चाहिये—“If economics is a long period affair, it is well to remember that in the long period we are all dead” एक ओर हम सन् १९७१ में प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति रु० ५०० की आय पर आनन्द मनायें और दूसरी ओर उसी समय दिल्ली जैसे केन्द्रीय राजधानी में सन् १९६१ के दिमम्बर के जाड़े के कारण हमारी आंखों के सामने ५०० व्यक्तियों की मृत्यु हो जाय, यह बात योजनाकर्ताओं की दीर्घ-सूत्रता का परिचायक है, न कि दूरदर्शिता की। अनिश्चित तथा अविश्वसनीय अनुमान के आधार पर खींचे गये भावी प्रगति के सुरम्य चित्र के विषय में जितना ही कम कहा जाय उतना ही अच्छा।

योजनाकालीन प्रगति का मूल्यमापन

भूतकाल में जो प्रगति या परागति हुई, उसका मूल्यमापन करना सम्भवनीय है। पहले तो हम यह समझलें कि आर्थिक अवस्था में सुधार यह बात आत्मनिष्ठ अनुभव की है। गत निर्वाचन के पूर्व The Indian Institute of (Gallup) public opinion ने एक All India Political Poll संगठित किया था। उसमें पूछा गया था कि सन् १९५२ के आम चुनाव के पश्चात् आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है या बिगड़ गई है? उत्तर देने वाले बहुतांश पढ़े लिखे व्यक्ति ही थे। तो भी प्रश्न के उत्तर में केवल २६.१ प्रतिशत लोगों ने बताया कि 'उनकी स्थिति सुधर गई है।' जब सुशिक्षित व्यक्तियों की यह बात है तो फिर ग्रामीण अशिक्षित जनता के बारे में क्या कहा जाय।

वास्तविकता का दर्शन

सरकारी आंकड़ों को भी देखा जाय तो पता चलता है कि भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में १९ प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनके परिवार प्रतिमास ५० रु० से कम व्यय करते हैं। प्रतिमास प्रति परिवार रुपये ५१ से १०० तक व्यय कर

सकने वालों की संख्या (कुल जनसंख्या की) ३६.७ प्रतिशत है। याने प्रतिमास प्रति परिवार १०० रु० से कम व्यय करने वालों की संख्या ५६ प्रतिशत है। आज की मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुये १०० रु० प्रतिमास की सीमा किसी भी परिवार के लिये बिल्कुल अपर्याप्त है। किसी भी देश में ५६ प्रतिशत जनसंख्या दरिद्र रेखा के नीचे रहते हुये जीवन बिताये—यह घटना प्रगति की निर्देशक नहीं है। उसी तरह प्रतिमास प्रति परिवार १०१ रुपये से १५० रु० तक व्यय कर सकने वालों की संख्या १८.४ प्रतिशत तथा १५१ से ३०० रु० तक की संख्या १८.९ प्रतिशत है। केवल ७ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि अपने परिवार के लिये प्रतिमास ३०० रु० या इससे अधिक व्यय कर सकते हैं। पंचवार्षिक योजनाओं की सफलता पर जितना प्रभावी माध्यम ये मूक आंकड़े कर सकते हैं उतना विरोधी दल का कोई नेता भी नहीं कर सकेगा।

तुलनात्मक आलेख

सरकारी प्रवक्तृओं के कथनानुसार दो पंचवार्षिक योजनाओं के काल में भारतवर्ष ने अमृतपूर्व प्रगति की है। किन्तु पिछले दशक में विभिन्न देशों द्वारा की हुई आर्थिक प्रगति का आलेख निकाला जाय तो सरकार का यह दावा सत्य है—ऐसा कहना कठिन हो जाता है। सन् १९५०—५९ इस काल खण्ड में भारत की सर्वोच्च आर्थिक प्रगति का वार्षिक प्रतिशत ३.० रहा है, जहाँ कि इंडोनेशिया तथा थाईलैंड का वार्षिक प्रतिशत ४.०, घाना, साउथ अफ्रीकन यूनियन तथा स्पेन का ५.० है, तुर्किस्तान, फिलीपाइन्स, ब्राजील तथा वर्मा का ६.० प्रतिशत, ईराक का ९.० प्रतिशत तथा इजराइल का ११.० प्रतिशत रहा है। स्मरण रहे कि तुलना के लिये हमने अमेरिका, रूस आदि देशों के उदाहरण नहीं दिये हैं। इसी कालखण्ड में हुई नवोदित राष्ट्रों की प्रगति का ही हम विचार करें तो पता चलता है कि योजनाओं के फलस्वरूप हुई हमारी 'न भूतो न भविष्यति' भौतिक प्रगति यह एक स्वप्नरंजन मात्र है।

उचित नेतृत्व का अभाव

केवल स्वप्न रंजन के आधार पर मजदूरों के मन में योजनाओं की यशस्विता के विषय में उत्साह निर्माण करना असम्भव है। भारतीय मजदूर देशभक्त है। वह जानता है कि उत्पादन वृद्धि की लड़ाई में वह राष्ट्र का एक सैनिक है। इस कार्य के लिये पूरी शक्ति लगाने की उसकी तैयारी है। वह यह

भी जानता है कि जब तक उत्पादन अधिकतम नहीं होता तब तक समान वितरण का नारा लगाने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। "अधिकतम उत्पादन तथा उसका समान वितरण" यही आर्थिक उत्कर्ष का मार्ग है। इस हेतु चाहे जितना परिश्रम उठाने की भारतीय मजदूरों की सिद्धता है। किन्तु वह सर्वप्रथम यह जानना चाहता है कि उसका पसीना जिस योजनाओं के लिये बहाया जायगा वह वास्तविकतावादी तथा व्यवहारिक हैं या नहीं। केवल कतिपय उच्चपदस्थ नेताओं के Fads को पूरा करने के लिये या पुस्तकीय सिद्धांतों के विषय में उनके दुराग्रहों को चरितार्थ करने के लिये वह परिश्रम नहीं करना चाहता। वास्तविकता की कमी की पूर्ति कोरे नारे नहीं कर सकते। जो सिद्धांत अशास्त्रीय सिद्ध हुये हैं वे किसी को भी कार्य की प्रेरणा नहीं दे सकते। प्रेरक शक्ति के नाते कार्ल मार्क्स या लेनिन आज की दुनिया में उतने ही अनुपयुक्त हैं जितने की एडमस्मिथ या आल्फ्रेडमार्शल। इन प्रेषितों की जय-जयकार करने वाले देश भी व्यवहारतः उनके सिद्धांतों का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में उन्हीं त्याज्य पुस्तकीय सिद्धांतों का स्मरण दिला कर मजदूरों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सकता। मजदूर अधिकतम परिश्रम कर सकता है लेकिन उसको उचित ढंग का आवाहन किया जाना चाहिए। सितार उत्कृष्ट स्वर का निर्माण कर सकती है, लेकिन उसकी तार उचित स्थान पर छेड़ी जानी चाहिये। इस तरह का उचित आवाहन करने की क्षमता सरकारी नेतृत्व में नहीं है।

स्वयंप्रतिमत्व का अभाव

परायों का अन्धानुकरण एवं स्वयं प्रतिमत्व का सम्पूर्ण अभाव ये दो हमारे सरकारी नेतृत्व की विशेषतायें हैं। श्रमिक क्षेत्र का ही उदाहरण लीजिये। आजकल बताया तो यह जाता है कि सत्ता के हस्तान्तरण के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिये कितने ही नये कानून बनाये हैं तथा नई योजनायें प्रारम्भ करदी हैं। किन्तु वास्तविकता क्या है? राज्य श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन की परिपाटी की आज प्रशंसा हो रही है किन्तु लोग भूल गये कि यह परिपाटी अंग्रेज सरकार ने ही द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के पश्चात् निर्माण की थी। त्रिदलीय सम्मेलनों की कितनी चर्चा होती है, किन्तु त्रिदलीय विचार विमर्श का प्रारम्भ अंग्रेज सरकार ने ही सन् १९४२ में कर दिया था। कामदिलाऊ योजनाओं की सफलता पर सरकारी नेता स्वयं अपने को सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं किन्तु इस योजना का सूत्रपात सन् १९४५ में ही किया गया था। आजकल

जितने औद्योगिक कानून पारित हुये हैं उनमें से बहुतांश तथा महत्वपूर्ण कानून सन् १९४६ से १९५२ तक के काल में पारित हुये हैं। इन सबका आधार अंग्रेज सरकार द्वारा सन् १९४६ में बनाया गया वह पंचवार्षिक कार्यक्रम था जिसमें श्रमिकों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिये कौन से कानून बनाने चाहिए—इसका विचार किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की ये बातें केवल उदाहरण के नाते यहां प्रस्तुत की जा रही हैं। वैसे तो योजना तथा विचार के सभी क्षेत्रों में अवस्था एक जैसी ही है। इसीलिये बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी योजनायें श्रम प्रधान न बनते हुए धन प्रधान बन रहीं हैं और ग्राम प्रधान भारत की विशेषताओं को भूलकर योजनाकर्ता जड़ उद्योगों को भारतीय अर्थ रचना का आधार बनाते जा रहे हैं।

वास्तविकता से विमुख

शहरी मजदूरों से सम्बन्धित कानून बनाते समय जिस प्रवृत्ति का परिचय हमारे शासकों ने दिया है, उसी का दर्शन ग्राम विषयक नीतियों में भी होता है। खेतिहर मजदूर, किसान, कारीगर आदि २ सत्र मिलकर समग्र ग्रामीण जीवन का निर्माण तथा निर्वाह करते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याएं अपनी विशेषताएं रखती हैं और समूचे देश के जीवन में उनका अतीव महत्वपूर्ण स्थान है। केवल श्रम शक्ति की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा दिखाई देता है कि सन् १९५१ से सन् १९६१ तक भारत की श्रम शक्ति में २ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों की मर्ती हो गई, जिसमें से ३० लाख विविध उद्योगों में, ९० लाख विविध सेवाओं में तथा १ करोड़ ६० लाख कृषि जीवन में लग गये हैं। मतलब यह है कि पिछले दशक में बढ़ी हुई श्रम शक्ति का ५० प्रतिशत से अधिक हिस्सा कृषि जीवन पर ही केन्द्रित हुआ। सन् १९६१ में हमारी कुल श्रमशक्ति १७ करोड़ १० लाख की थी, जिसमें से ११ करोड़ ६० लाख कृषि जीवन में, २ करोड़ उद्योगों में तथा ३ करोड़ ५० लाख विविध सेवाओं में स्थित हैं। दो पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी स्थिति यह है कि कुल राष्ट्रीय आय के १५ प्रतिशत से कुछ कम का श्रेय संगठित उद्योगों को है, वैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य सफल भी हो जाय तो भी कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या देश में ७० प्रतिशत रहेगी। इन सब तथ्यों से पता चलता है कि ग्राम विभाग का महत्व भारत की किसी भी योजना में कितना रहना चाहिये। किन्तु भारत को पश्चिम की कार्बन कापी बनाने के प्रयास में हमारे नेताओं ने इस महत्व की

जानबूझ कर उपेक्षा की है। फलस्वरूप योजनाएं तो वास्तविकता से कोसों दूर रही हैं, किन्तु राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमारी प्रचण्ड ग्रामीण श्रम शक्ति को हम जागृत तथा क्रियाशील नहीं बना सके। हमारे नेता तथा योजनाकर्ता धरती पर चलना नहीं चाहते इसका यह सबसे बड़ा प्रमाण है।

(शक्ति जागृति का संकेत)

भारतीय मजदूरों की मुजाओं में महान कमशक्ति निहित है। उचित नेतृत्व प्राप्त हुआ तो वे राष्ट्र निर्माण के कार्य की धुरा अपने बलिष्ठ स्कन्धों पर वहन कर सकते हैं। किन्तु इस प्रचण्ड शक्ति को क्रियाशील बनाने में हमारा आज का नेतृत्व असफल सिद्ध हुआ है। अति मूल्यवान कोष हाथ में तो आया है किन्तु जानते नहीं वह संकेत (Code word) जिसके सहारे उसे खोला जा सकता है। गुफा के सिल द्वार के सम्मुख खड़े हुये 'अलाहीन' के समान हमारे नेताओं की भी अवस्था है। विस्मरण के कारण विह्वल होकर, मोहवश वे कई आकर्षक शब्दों का उपयोग करते जा रहे हैं। किन्तु यह सिल द्वार तब तक खुलने वाला नहीं जब तक उस एकमात्र विशिष्ट सांकेतिक शब्द का उच्चारण उसके सम्मुख नहीं किया जाता। वह सांकेतिक शब्द है 'भारतीयत्व'। इस 'भारतीयत्व' का पुनः साक्षात्कार कर, भारतीय परम्पराओं के आधार पर विद्यमान भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये भारतीय तंत्रविद्या का स्वयंप्रतिमत्व से विकास कर भारतीय अर्थ रचना का अब नवनिर्वाह उत्क्रान्त होगा तो उसे सफल बनाने के लिये भारतीय प्रकृति के नेताओं के आवाहन पर भारतीय मजदूर अपने प्राणों तक की बाजी लगाने के लिये भी सिद्ध होगा—इसमें संदेह नहीं।

() राष्ट्र-हित, औद्योगिक शान्ति, मजदूर समस्याओं का ()
 () निराकरण एवं देशद्रोही तत्वों से मजदूरों को बचाने की ()
 () भूमिका लेकर भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक क्षेत्र में ()
 () पदार्पण किया है। ()

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के षष्ठ वार्षिक अधिवेशन
के अवसर पर गोरखपुर (पुस्तकालय भवन नगरपालिका)


में दिनांक १६ अक्टूबर, ६२ को स्वागताध्यक्ष

श्री रामकुवेर लाल का भाषण

मैं किन शब्दों में अपना हर्ष प्रकट करूँ कि आज मुझे उन नगर निवासियों की ओर से आदरणीय श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी तथा आप सब बंधुओं का स्वागत करके कृतार्थ होने का सुअवसर मिला। वास्तव में यह हम सबके लिये परम सौभाग्य का विषय है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में व्याप्त इस संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सब बन्धु जिनमें से कई अखिल भारतीय ख्याति के लोग हैं, इस नगर में पधारे और अपने दर्शन तथा विचारों का आस्वादन कराने का शुभ अवसर प्रदान किया।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

संघ के अधिवेशन तो विभिन्न स्थानों पर होते आये हैं और आगे भी होते रहेंगे परन्तु इस समय इस स्थान पर इस अधिवेशन का सम्पन्न होना मुझे एक वैवी



संकेत ही प्रतीत होता है। आप लोगों को कदाचित्त विदित ही होगा कि इस नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाभारत के उस प्रसंग से संबद्ध है जिसमें इसी स्थान पर पंच पांडवों द्वारा राजा विराट की गायों की दुराचारी कौरवों से रक्षा की गई थी। इस प्रकार गोरक्षपुर नाम से अलंकृत इस पावन नगर को उन

महान् योगी श्री बाबा गोरक्षनाथ ने भी अपनी तपोस्थली बना कर इसकी महत्ता को चरम सीमा तक पहुँचाया, जिन्हें अपने गुरु श्री मत्स्येन्द्रनाथ की मायापाश से मुक्त कराने तथा भौतिक भोगों के पंक्त से आलस्य राजा भूतृहरि का कायाकल्प कर उसे महान् योगी बना देने का श्रेय प्राप्त है ।

मजदूर संघ से ही आशा

अर्वाचीनकाल में भी इसका महत्त्व कुछ कम नहीं हुआ, वरन् पूर्वोक्त रेलवे का प्रधान कार्यालय होने, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रधान औद्योगिक नगर होने तथा सैनिक दृष्टि से सीमान्त प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते इसका महत्त्व अधिक ही है । उपर्युक्त प्रसंगों को प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करते हुये, भारतीय संस्कृति रूपी गौ, आंतरिक भ्रष्टाचार, देश की अखण्डता के द्रोही तथा सीमा पर चढ़ आये शत्रुरूपी कौरवों से त्राण पाने हेतु, इस समय संख्या में कम होते हुये भी मत्स्य के बल से युक्त भारतीय मजदूर संघ रूपी पांडवों की ओर ही आशा लगाये बंठी है । मुझे आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि इतिहास फिर बुहराया जायगा और देश सेवार्थ अखण्ड योग की साधनायुक्त भारतीय मजदूर संघ का यह अधिवेशन अपने कार्य कलापों से श्री गोरक्षनाथ जी की ही भांति जनता-गुरु की मोह निद्रा भंग करके उसे भूतृहरि की ही भांति लोक कल्याण में प्रवृत्त कराने में समर्थ होगा ।

कितनी दूरी तय की ?

स्वतन्त्रता मिले हमें १५ वर्ष व्यतीत हो चुके परन्तु राष्ट्र ने प्रगति के पथ पर इस बीच कितनी दूरी तय की है, यह आप लोगों से छिपा नहीं है । शासकीय प्रचार तंत्र के अनुसार तो हर पंचवर्षीय योजना में बहुमुखी प्रगति ही हुई है । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस तथ्य को स्वीकार करने से अपने आपको नहीं रोक सकता । बहुमुखी प्रगति हुई अवश्य है परन्तु किस प्रकार—तनिक ध्यान देकर देखिये तो प्रगति बड़े वेग से हो रही है । दरिद्र निरन्तर दरिद्र हो रहे हैं, तो पूँजीपतियों को अपनी संपदा का दानवीय विकास संभालना कठिन हो रहा है । मंत्रियों उपमंत्रियों तथा अधिकारियों की संख्या में सतत् वृद्धि हो रही है, बेकारों की सेना भी देश की रक्षक सेना से कम नहीं ।

दोषी कौन ?

पहले समाज में व्याप्त हर बुराई को थोपने के लिये विदेशी राज्य सुलभ था परन्तु वास्तव में इसका दोषी कौन है ? सब भली भांति जानते हैं । यह कहना तो अनावश्यक ही होगा कि देश की विभिन्न श्रमिक समस्याओं तथा यहाँ पर

फैली आर्थिक असमानता तथा उसके निराकरण के हेतु संभाव्य उपायों के संबंध में भारतीय मजदूर संघ की अपनी ही कुछ मान्यताएँ हैं जो कि उसके जन्म लेने का कारण बनी हैं। यह भी सभी को विदित है कि हमारी मान्यताएँ पिटी हुई अन्यान्य श्रमिक संगठनों द्वारा निरन्तर व्यवहृत होने पर भी असफल सिद्ध होने वाली उन्हीं विकृत पाश्चात्य मान्यताओं का रूपान्तर नहीं, जिन्हें अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये जहाँ तहाँ पाखंडी लोग नई बोटल में पुरानी शराब की तरह जनता के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं।

विश्वबन्धुत्व का झूठा नारा

आज केवल भारत ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व पूंजीवादी तथा मार्क्सवादी विघटनकारी नीतियों तथा उनके आपसी संघर्ष से त्रस्त है। पूंजीवाद तो बदनाम है ही उसे यहाँ दुहराना आवश्यक नहीं, पर मार्क्सवाद जिसके ऊल-जलूल सिद्धांतों को मानकर चलने वाले कुछ भ्रान्त बन्धु विश्वबन्धुत्व का झूठा नारा लगाकर मानवता को एक गुट विशेष के बर्बर हाथों में सौंप कर लौहिभक्ति में बन्द कर देना चाहते हैं, उनसे सावधान रह कर, स्वाधीनता, जनतांत्रिक भावना, धर्म एवं संस्कृति अर्थात् एक शब्द में सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिये प्रतिक्षण जागरूक रहकर अर्हानिश प्रयत्न करने के निमित्त कृत-संकल्प भारतीय मजदूर संघ को आप लोगों से पूर्ण आशा है कि अपने घोषित सिद्धांतों का पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते हुये आप लोग इस अधिवेशन द्वारा लोक कल्याण की दिशा में एक बृह पग उठायेंगे। सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की भारतीय विचारधारा में दीक्षित आप सभी बन्धुओं से हमारी यह अपेक्षा करना अस्वाभाविक ही होगा।

गोरखपुर जनपद जहाँ अपने विशाल श्रमिक संख्या के लिये प्रख्यात है वहीं इसकी घोर दरिद्रता तथा इसके ऊपर ढहने वाला प्राकृतिक कोप भी सर्व विदित है। आप लोगों की सेवा करने में इस नगर से यदि कोई त्रुटि रह जाये तो विश्वास है कि आप लोग उसे उदारतापूर्वक क्षमा करके हम लोगों का आतिथ्य सुवामा के तन्दुल और विदुर के शाक की ही भांति ग्रहण करके हमें कृतार्थ करेंगे।

अन्त में मैं इस नगर और जनपद की ओर से आपका पुनः स्वागत करते हुये इस अधिवेशन की सफलता के लिये विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी सज्जनों से अपनी त्रुटियों के लिये फिर क्षमा मांगता हूँ।

॥ श्री ॥

उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के छठे वार्षिक अधिवेशन
के अवसर पर गोरखपुर में महामंत्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

प्रिय प्रतिनिधि बन्धुगण !

किसी भी देश की पूंजी श्रम ही हुआ करता है। श्रम और श्रमिकों के स्थान पर सोने चांदी को महत्व देना या चांदी के टुकड़ों के लालच में श्रमिकों की उपेक्षा करना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही हलाल करने के समान है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विगत १५ वर्षों में नियम और कानून तो अनेक बने, पर भारतीय श्रमिक को अपना उचित सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सका।

आज भी इस देश का श्रमिक दाने-दाने को मुहताज है। वह सरकार और मालिकों के दमन चक्र का शिकार है। जब तक एक भी श्रमिक भूखा है हम चैन से नहीं बैठ सकते।

उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रादेशिक प्रतिनिधियों का इस ऐतिहासिक नगरी में स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये हर्ष का विषय है। प्रदेश तथा देश की सभी औद्योगिक समस्याओं पर सर्वांगीण विचार-विमर्श कर समस्त श्रमिक जनों को उचित मार्ग दर्शन करने का दायित्व, आपका ही है। मुझे विश्वास है, उसका निर्वाह करने में यह त्रिदिवसीय सम्मेलन सफल रहेगा।

उत्तर प्रदेश में प्रगति की राह पर

गत मई महीने में हम देहरादून में एकत्रित हुये थे। तत्पश्चात् अब तक हमारी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूनियन्स की संख्या में वृद्धि; हर यूनियनों की सदस्य संख्या में वृद्धि; कार्यकर्ताओं की संख्या तथा योग्यता में वृद्धि; यूनियन के कार्य में रस लेने वाले वकीलों की संख्या तथा उनकी योग्यता में वृद्धि; सर्व-साधारण प्रभाव में वृद्धि—इन सब दृष्टियों से हमारा कदम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। इसी कारण श्रमिकों में भारतीय मजदूर संघ के प्रति श्रद्धा की भावना निर्माण हुई है। उत्तर प्रदेश में स्थान-स्थान की श्रमिक समस्याओं पर सरकार तथा जनता का ध्यान केन्द्रित करने का मजदूर संघ का अभियान आशा से अधिक सफल हुआ है। दूकान-कर्मचारियों की मांगों के लिये जन-जागरण का प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने वाला पहला ही श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ प्रयत्न कर रहा है। दूकान-कर्मचारियों को न्याय प्राप्त कराने में भारतीय मजदूर संघ पूर्णरूपेण सफल होकर रहेगा—यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चीनी मिलों के क्षेत्र में पिछले ही वर्ष हमने पदापण किया था। इस सम्मेलन में चीनी मिल मजदूरों के प्रादेशिक महासंघ की नींव डाली जायगी। प्रदेश के दूकान कर्मचारी भी चाहते हैं कि अपने नेतृत्व में उनके महासंघ का निर्माण हो। उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी भा० म० संघ के झंडे की नीचे संगठित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि रेलवे मजदूरों का संगठन अखिल भारतीय तथा विभागीय स्तरों पर भी स्वतन्त्र रहना चाहिये। किन्तु उत्तर-पूर्वी रेलवे यूनियन के नेता विभागीय स्तर पर स्वतन्त्र बनने के लिये तैयार नहीं हुये। अस्तु इन मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ की यूनियन का निर्माण किया है। धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश के बाहर भी प्रगति की ओर

प्रदेश के बाहर भी मजदूर संघ प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूती मिल मजदूरों के अखिल भारतीय महासंघ की नींव डाली गई है। दिल्ली राज्य सरकार ने भारतीय मजदूर संघ को राजकीय स्तर पर मान्यता देने का निश्चय किया है।

टेक्सटाईल अभिनवीकरण की त्रिदलीय राज्यकीय समिति में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को लेकर इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया

पहला कदम है। गुजरात हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में अब तक हमारा काम नहीं था। अब इन तीनों प्रदेशों में भी अपने कार्य का शुभारम्भ हो गया है। दक्षिण में कुर्ग में हमारा अब तक प्रवेश नहीं था—अब वहाँ के काफी बागान के मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व स्वीकार किया है। केरल से भी मांग आई है कि वहाँ मजदूर संघ की शाखा खुलनी चाहिये। अभी-अभी गोआ से तत्रस्थ मैगनीज मजदूरों का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। दीपावली के पदचात् उस विभाग में भी भारतीय मजदूर संघ पदार्पण करेगा। भगवान की कृपा से तथा आप सब बन्धुओं के अथक प्रयत्नों के कारण ही मजदूर संघ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, यह स्पष्ट है।

औद्योगिक अशांति का दायित्व मालिकों पर

मजदूरों के प्रतिनिधियों के नाते हम लोग उनकी सही मांगें हर सम्मेलन में प्रस्तावों के रूप में सरकार मालिक तथा जनता के सामने रखते आये हैं, और इस सम्मेलन में भी रखेंगे। किन्तु ये मांगें केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए हम उठाते नहीं। उनके पीछे न्याय-अन्याय का शास्त्रीय विचार रहता है।

दया-दान के रूप में हम कुछ नहीं मांगते

उत्पादन तथा वितरण की विभिन्न प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी तत्वों को न्याय प्राप्त हो यही हमारी धारणा है। न्याय प्राप्त के लिए भी हम केवल बल प्रयोग का आधार उचित नहीं मानते। शास्त्रशुद्ध तथा तर्काधिष्ठित विचारों के आधार पर ही हम काम करना चाहते हैं। यही इच्छा औद्योगिक सम्बन्धों के अन्य पक्षों में निर्माण हुई तो औद्योगिक शांति कायम करना सुलभ हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि मालिक शास्त्रीय विचारों को त्याग कर केवल स्वार्थसिद्धि हेतु श्रमिकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से भी वंचित रखना चाहते हैं। यही कारण है—औद्योगिक अशांति का। यह जिम्मेदारी प्रमुख रूप से मालिकों की ही है, जिनमें सबसे बड़ा मालिक केन्द्रीय सरकार है, जिसने श्रममंत्री नन्दा जी की अध्यक्षता में होने वाले श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को भी यह कहकर ठुकरा दिया कि वित्तमंत्रालय ऐसे सम्मेलनों की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

न्यायोचित वितरण का आधार

श्रमिकों को न्यायोचित परिश्रमिक देने की दृष्टि से 'श्रम-मूल्यांकन' तथा 'श्रम-विश्लेषण' के सिद्धांतों का सूत्रपात धीरे-धीरे हिन्दुस्थान में हो रहा है—यह

स्वागत के योग्य पग है। हर एक श्रमिक के कार्य का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करना; उसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन करना; वह कार्य अच्छी तरह से करने के लिये कौन-कौन से गुणों की आवश्यकता है। तथा किस गुण का तौलनिक महत्व उस कार्य की दृष्टि से कितना समझना चाहिये इसकी सूची बनाना विभिन्न गुणों का तौलनिक महत्व उस कार्य की दृष्टि से कितना समझना चाहिये इसकी सूची बनाना विभिन्न गुणों का तौलनिक महत्व ख्याल में रखते हुए उनमें से कौन सा गुण कितनी मात्रा में श्रमिक में है—इसका मूल्यांकन करना; इस तरह विभिन्न गुणों की दृष्टि से उसको अंक देने के पश्चात् कुल अंक कितने होते हैं। इस आधार पर उस श्रमिक की श्रेणी निश्चित करना; उसी में अपना अपना काम पूरा करते समय श्रमिक को कठिनाइयों का कितनी मात्रा में मुकाबला करना पड़ता है—इसका भी विचार अंतर्निहित रखना; और इस तरह विभिन्न गुणों की तथा कठिनाइयों की मात्रा का सर्वेक्षण विचार कर हर एक श्रमिक के कार्य का मूल्यांकन करना, यह सूत्र श्रम मूल्यांकन तथा श्रम विश्लेषण का है। गुणों की दृष्टि से विचारणीय विषय है—शालेय शिक्षा; प्राबंधिक शिक्षा तथा कुशलता; पूर्वानुभव; कुल शारीरिक श्रम; दृष्टिश्रम; मानसिक बौद्धिक परिश्रम वस्तुओं का दायित्व; मशीनरी का दायित्व; आर्थिक निधि सम्हालने का दायित्व; नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का दायित्व; सुरक्षा का दायित्व; व्यवस्थापन की कुशलता; जनसंपर्क (ग्राहक संपर्क) की क्षमता; इत्यादि। कठिनाइयों के स्तर की दृष्टि से विचारार्थ विषय है—शारीरिक श्रम का तथा उसके सातत्य का प्रमाण; कार्य करते समय संभवनीय आपत्तियाँ; अपघात की संभावना; काम के परिणाम स्वरूप थकावट; कार्य की अरुचिता व नीरसता-रुक्षता; काम की अवस्था में (Working conditions) त्रुटियाँ; अतिउष्ण या शीत, कर्कश निनाद दुर्गन्ध आदि के कारण कार्य श्रेत्र की अस्वच्छता; इत्यादि। इन सब बातों का हर एक श्रमिक के विषय में पूर्ण विचार कर उसके कार्य का मूल्यांकन करने की पद्धति न्याय प्राप्ति की दृष्टि से हितकर सिद्ध होगी, इसमें संदेह नहीं है। किन्तु इस पद्धति को पश्चिम से जैसे का तैसा लेना भारतीय परिस्थिति में उचित सिद्ध नहीं होगा। हमारी परम्परायें, परिस्थिति, जीवन मूल्य तथा मविष्यकालीन समाज का चित्र इन बातों को ख्याल के रखते हुये पाश्चात्य मूल्यांकन पद्धति का भारतीयकरण करना होगा। उदाहरणार्थ, औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यांकन में आज पश्चिम में चारिड्य को स्थान नहीं दिया गया है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। वैसे ही विभिन्न गुणों का तौलनिक महत्व पश्चिम में जैसा माना गया है

वैसे ही भारत में मानना वास्तविकता के विपरीत होगा। 'श्रम मूल्यांकन तथा विश्लेषण' की पद्धतियों का भारतीयकरण करते हुए उनके आधार पर वेतन स्तरों का विचार किया गया तो न्यायोचित वेतन निर्धारण में बहुत सहायता होगा, यह निश्चित है।

बोनस के विषय में

आज देश में जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है वह विषय है बोनस का। बोनस कमीशन के कार्य का एक अध्याय अब समाप्त हो चुका है। भारतीय मजदूर संघ ने सबसे पहले बोनस को 'विलंबित वेतन' माना है। जब तक जीवन वेतन और प्रत्यक्ष वेतन में अंतर है तब तक बोनस अर्थात् देरी से दिया हुआ, पूरक वेतन है। प्रत्यक्ष वेतन जब जीवन के स्तर पर आ जाएगा तब बोनस 'लाभ में हिस्सा' (Profit sharing)—ऐसा स्वरूप धारण करेगा। आज प्रायः सभी उद्योगों में साधारणतः जीवन वेतन अप्राप्य ही है, भारतीय मजदूर संघ समझता है कि 'विलंबित वेतन' के नाते बोनस का विचार करना ही यथायथावद के अनुकूल रहेगा। इस दृष्टि से हमारा प्रतिपादन है कि लाभ की अवस्था में स्थूल लाभ में से (Gross profits) सर्वप्रथम depreciation charges निकालने के बाद 'विलंबित वेतन' के नाते सामान्यतः दो मास का मूल वेतन या मूल वेतन तथा मंहगाई के वार्षिक संकलित निधि का ५ प्रतिशत भूमिकों को प्राप्त होना चाहिए। यदि उद्योग को इस वर्ष हानि हुई हो तो 'विलंबित वेतन' के नाते केवल एक मास का मूल वेतन या वार्षिक संकलित निधि का २॥ प्रतिशत भूमिकों को प्राप्त हो। उसके बाद paid up capital पर ६ प्रतिशत तथा आधे रिजर्व्स पर ४ प्रतिशत रिटर्न पूंजी को देना चाहिये — जिसमें मैनेजिंग एजेंसी के कमीशन का भी पैसा निहित रहे तत्पश्चात् (Income tax) आय कर। उसके निकालने के पश्चात् जो उर्वरित निधि बचेगी उसका समान वितरण भूमिक मालिक तथा ग्राहकों में होना चाहिये। ग्राहकों का विचार अर्थात् उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को कम करने से हो सकता है। उर्वरित का जो एक तृतीयांश मालिक को मिलेगा उसमें rehabilitation, replacement, expansion आदि के खर्च भी निहित रहेंगे। यह सर्व साधारण विचार हमने सामने रखा है। आधे reserves को हम return on capital ही मानते हैं। reserves के बाकी आधे हिस्से पर भूमिकों का अधिकार है, ऐसी हमारी धारणा है। उसी प्रकार मैनेजिंग एजेंसी का कमीशन भी 'return on capital' का ही एक अंश है ऐसा हमारा कहना है। बोनस के फामूले की कानून का स्वरूप देना आवश्यक है। रिजर्व्स तथा मैनेजिंग

एजेन्सी के कमीशन पर कानूनी मर्यादा डाली जानी चाहिये । कानूनी परिभाषा में 'श्रमिक' समझे गये व्यक्तियों में से, जिसको बोनस के रूप में सर्वाधिक पैसा प्राप्त होगा उससे अधिक पैसा बोनस के नाते किसी भी उच्चपदस्थ 'अश्रमिक' अधिकारी को प्राप्त न हो सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । बोनस के विषय में विवाद खड़ा होने के पश्चात् उद्योग के सभी संबंधित हिसाब-किताब का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार श्रमिक-प्रतिनिधियों को प्राप्त होना चाहिये । इस विषय में अन्य संबंधित तत्त्वों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे केवल एक पक्षीय विचार न करते हुये सर्वपक्षीय न्याय का ही आधार अपनावें ।

नगरीकरण से होने वाले दुष्परिणामों से बचें

भारत जैसे विशाल जनशक्ति वाले देश में बड़े-बड़े उद्योग खड़े करने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की ओर प्रारम्भ से ही ध्यान देना आवश्यक है । बेकारी के साथ-साथ मजदूर बनने की लालसा में देहात से आया हुआ भोला-भाला कृषक नगरों की चकाचौंध में अनेक बुराइयों को अपना रहा है। नगरीय जीवन से उसके अनभ्यस्त होने के कारण गन्दगी, मकानों की तंगिश और के कोलाहल उसके मन में अनेक ग्रन्थियां उत्पन्न कर रहे हैं और वह गांव के समाज के समान अपनत्व एवं नियंत्रण न पाकर स्वच्छन्द बन रहा है । परिवार के अभाव में कष्ट एवं बीमारी में भी किसी का स्नेह एवं सुश्रुषा न पाकर रूग्ण एवं स्वार्थी बन रहा है । अस्तु आवश्यकता है, मजदूर के साथ-साथ उसके परिवार के योग्य भी कार्य की व्यवस्था । दूसरी भी बात है जहां एक ओर श्रमिक बस्तियों के निर्माण की व्यवस्था हो रही है, उसमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं श्रमिक अपने को शेष समाज से अलग तो नहीं समझने लगेगा । उन श्रमिक बस्तियों में श्रमिक के अतिरिक्त समाज को भी स्थान देने की व्यवस्था चाहिये भले ही उसके किराये दर में अन्तर क्यों न रखा जाय उसके साथ ही श्रमिक बस्तियों में न रहने वाले श्रमिक जो नगर के अन्दर अपने आवास की व्यवस्था कर सकें, उन्हें उसमें और प्रोत्साहित किया जाय और उन्हें अतिरिक्त मकान मत्ता देने की व्यवस्था की जाय । हमारा तो प्रारम्भ से ही सुझाव बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना न करके छोटे-छोटे उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है । सरकार एवं योजनाकर्त्ताओं को उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

ये कुछ समस्याएँ हैं जिनका मैंने जिक्र किया। जब तक ये समस्याएँ हल नहीं होतीं, भारत का औद्योगिक विकास पूरे वेग के साथ नहीं हो सकेगा। सरकार और मालिकों से श्रमिकों का कोई विरोध नहीं है। पर इतना मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ अब सहन नहीं किया जा सकता। केवल कोरे नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है। उन नियमों का उचित रूप से क्रियान्वयन भी आवश्यक है। मजदूरों के हितों के लिये उठाये गये ऐसे प्रत्येक पग का मजदूर संघ पूर्ण सहयोग के साथ समर्थन करेगा।

अन्य श्रमिक संगठनों की तरह भारतीय मजदूर संघ ने अपना नाम अंग्रेजी में नहीं रक्खा। अपना ध्वज, चिन्ह तथा श्रम दिवस—सभी का चुनाव करते समय इसने अपने देश की महान् परम्परा को ध्यान में रक्खा है।

वही राष्ट्र तथा समाज उन्नति करता है, जिसके अन्दर बसने वाले ब्यक्ति जीवन का मोह छोड़कर, साहस के साथ कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। जीवन के लिये सुरक्षा, गारन्टी पेन्शन, संरक्षण आदि बातें मनुष्य को भीरु तथा अकर्मण्य बनाती है।

गोरखपुर में भारतीय मजदूर संघ के छठे वार्षिक अधिवेशन
में प्रदेशाध्यक्ष

श्री बरमेश्वर पाण्डेय का भाषण

औद्योगिक प्रगति की होड़

हम लोग बाबा गोरखनाथ की इस ऐतिहासिक नगरी में एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब कि सम्पूर्ण विश्व संकट की स्थिति में है। वह चाहे कोई क्षेत्र हो चारों ओर ऊहा-पोहा मचा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाने के फेर में लगा हुआ है। हम सभी बन्धु अन्यान्य क्षेत्रों के श्रमिक हैं और साथ ही भारतीय राष्ट्र के जागरूक नागरिक हैं। अतः हमें अपने अधिकारों के साथ ही साथ कर्तव्य का भी निर्धारण करना होगा जिससे कि इस संकटमय स्थिति पर विजय प्राप्त की जा सके।



यह सर्वविदित है कि संसार दो शक्तिशाली गुटों में बँटकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये अन्य छोटे छोटे देशों को आत्मसात कर जाना चाहता है। इसी हेतु इन देशों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किये गये हैं जहाँ युद्ध सामग्री बनाने की होड़ सी लगी हुई है। उन देशों के कारखानों में जो श्रम शक्ति लगी है उसी का परिणाम है कि वे देश शक्तिशाली बने हुए हैं और संसार पर छा जाना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि आज देश की समृद्धि उन्नति तथा सुरक्षा की दृष्टि से श्रमिकवर्ग का सुखी व सम्पन्न होना आवश्यक है क्योंकि सबल मनुष्य ही भावी निर्माण में सहायक हो सकता है। परन्तु दुःख का विषय है कि वर्तमान सरकार तथा श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ इन्टक, (आई० एन० टी०

यू० सी०) हिन्दू मजदूर समाज आदि ने अपना उल्लू सीधा करने के लिये श्रमिक वर्ग को उसके वास्तविक रास्ते से हटा कर केवल रोटी का नारा दे गुमराह करने का ही वर्षों से प्रयत्न किया है और कर रही हैं ।


सरकार द्वारा शोषण

वर्तमान सरकार अंग्रेजों द्वारा बने पिटे-पिटाये कानूनों द्वारा ही मजदूरों की मलाई के नाम पर उनका शोषण कर रही है । आज सरकार ही सबसे बड़ी इम्प्लायर है जहाँ पर मजदूरों का पूर्ण शोषण होता है । सुरक्षा के नाम पर उनके मुंह पर ताला लगाया जाता है तथा उनको पुलिस की संगीनों के बल पर चुप रह कर तड़पने पर मजबूर किया जाता है । अभी हाल में सरकारी फॅक्टरी 'चुर्क सीमेंट' का उदाहरण लीजिये—जहाँ मजदूरों ने अपनी मांगें पेश की वहीं पुलिस ने संगीनों तान दीं ।

इन्टक पूजापतियों तथा सरकार की दलाली कर मजदूरों की पीठ में छुरा भोंकने का कार्य करती है । दूसरे तथाकथित नेता मजदूरों के नाम पर ऐश की जिन्दगी बिताते हैं । आप लोगों ने सुना होगा कि मिर्जापुर जिले में बिड़ला बन्धुओं की एक बहुत बड़ी फॅक्टरी बनी है । वहाँ पर इन्टक के सिवा कोई यूनियन बन ही नहीं पाती थी । वहाँ जाकर देखिये तो उन श्रमिकों को सर छुपाने तक की जगह नहीं है ।

कम्युनिस्टों द्वारा शोषण

श्रमिकों का एक मात्र अपने को शुभचिन्तक कहने वाले साम्यवादियों की करतूतें ऐसी हैं जिन्होंने श्रमिकों को कहीं का नहीं रखा । ये लुभावने नारों द्वारा "दुनियाँ के मजदूरों एक हो" चिल्लाकर उन्हें लूटने का ही प्रयत्न करते हैं । इनके द्वारा मजदूरों का शोषण एक समस्या बन गई है । आज रोटी के नाम पर तथा 'दुनियाँ के मजदूर एक हो' के नारे द्वारा मजदूरों को गुमराह करने का प्रयत्न जारी है तथा इसी अन्धकारमय परिस्थिति में उन्हें रखकर मजदूरों को देशहित तथा देशभक्ति से भी गुमराह करने का प्रयत्न करते चले आ रहे हैं । श्रमिक क्षेत्र में ऐसी शोषण परिस्थिति निर्माण न होने पावे इसी भारतीय आदर्श पर भारतीय मजदूर संघ की उत्पत्ति हुई है ।



त्रिरोधी बातें असम्भव

अल्पकाल में ही भारतीय मजदूर संघ ने अपने प्रान्त के अलावा भी सम्पूर्ण भारत में काफी ख्याति प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में तो इसने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और मजदूरों को गुमराह करने वालों के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है। आज श्रमिक हमारे संगठन की ओर क्यों खिंचता चला आ रहा है इसका उत्तर स्पष्ट है कि हमारे उद्देश्य भारतीय तथा मार्ग भी भारतीय है। पाश्चात्य विचारकों ने विशेषकर कार्ल मार्क्स ने संसार को वर्ग-संघर्ष का रास्ता बताया जिसमें आज मजदूर पिस्तुत हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पाश्चात्य विचारक एक ओर वर्ग समाप्त कर वर्ग हीन समाज की रचना को कल्पना करते हैं तो दूसरी ओर वर्ग संघर्ष की बातें कर अपने ही तर्क को समाप्त करते हैं। भारतीय मजदूर संघ वर्ग संघर्ष में विश्वास न करते हुए स्नेह के आधार पर श्रमिक संगठन करना चाहता है तथा श्रमिकों के अन्दर भी देश प्रेम की भावना को जगाना चाहता है चूंकि श्रमिक भी एक सामाजिक प्राणी है और वह मजदूर-संघ द्वारा समाज में स्थान पाकर प्रगति पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है।

भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक संगठन को राजनीति से अलग रख राष्ट्रवाद के आधार पर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

मजदूरों की दशा गिरी

इस संदर्भ में मैं आप लोगों का ध्यान श्रमिकों की आर्थिक दशा की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ आज वर्तमान सरकार की अदूरदर्शिता के कारण श्रमिकों की आर्थिक दशा दिनोदिन गिरती जा रही है। पिछले कुछ सालों से उत्पादन तथा मनाफा अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। हड़ताल के कारण नष्ट हुये काम के घंटों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। मूल्यों के स्तर आकाश छू रहे हैं और मजदूरों का वेतन घटता जा रहा है दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद बेकारी तथा अर्ध-बेकारी अधिकाधिक भीषण स्वरूप धारण करती जा रही है।

अष्टाचार आदि में वृद्धि

एक तरफ मंहमई की यह दशा है दूसरी तरफ अष्टाचार, अनाचार, नौकरशाही तथा पुलिस का अत्याचार दिनोदिन बढ़ता आ रहा है। चोरी,

ढकंती, कल्ल की बाढ़ सी आ गई है। इन दोनों पाटों में विसङ्कर श्रमिकवर्ग जड़ हो रहा है। सरकारी वीर्यकालीन योजनायें दिखावामात्र रह गई हैं। इस पर याद आता है 'का वर्षा जब कृषि सुखाने'। मजदूरों के नष्ट होने के बाद इन काल्पनिक योजनाओं से देश तथा समाज का क्या लाभ होगा ?

श्रमिकों का लाभ आवश्यक

आज आवश्यकता है कि स्थिति की जानकारी कर श्रमिकों के लाभ के लिए योजनायें बनें, उन्हें उचित काम तथा पैसा मिले जिससे उन्हें संतोष हो। केवल स्वप्नों के आधार पर मजदूरों के मन में योजनाओं की यशस्विता के विषय में उत्साह निर्माण नहीं किया जा सकता है। भारतीय मजदूर देशभक्त है। वह जानता है कि उत्पादन वृद्धि की लड़ाई में वह राष्ट्र का एक सैनिक है। इस कार्य के लिए पूर्ण शक्ति लगाने तथा सबकुछ बलिदान करने की तैयारी में भी है। वह यह भी जानता है कि जब तक उत्पादन अधिकता में नहीं होता तब तक समान वितरण का नारा लगाने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। परन्तु सारी बातों की मिद्धता होते हुए भी श्रमिक यह जानना चाहता है कि जिस योजना के लिए वह सब कुछ त्यागने को तैयार है वह वास्तविक तथा व्यवहारिक है या नहीं।

मजदूर सहभागी हों

भारतीय मजदूर संघ इन सारी परिस्थितियों का विवरण कर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने में अग्रसर है। वह हड़ताल को अंतिम शस्त्र के रूप में मानता है। वह हड़ताल को आवश्यक नहीं समझता है। इसका कहना है कि देश की उन्नति तथा सम्पन्नता के लिए मजदूर वर्ग का सम्पन्न होना आवश्यक है इसलिए वह कहता है कि मजदूर को मिलों के लाभ में हिस्सा तथा मिलों के प्रबन्ध में उसका हाथ होना चाहिये।

राष्ट्र-हित और मजदूर-हित में विरोध नहीं

जैसे-जैसे मजदूर-संघ का कार्य बढ़ेगा वैसे-वैसे इसका विरोध भी बढ़ेगा। गंभीर राजनीति में लिप्त सरकार भी विरोध कर सकती है और मालिक भी विरोध कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों के तथाकथित नेता भी हमारी टांग खींच सकते हैं, किन्तु इन सबकी परवाह न करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारी नीति स्पष्ट है-राष्ट्र-हित,

मजदूर-हित और उद्योग-हित को एक रूप समझ कर तदनुसार व्यवहार करना । मजदूर को न तो किसी की मर्जी पर छोड़ा जा सकता है और नही मजदूर हित के नाम पर शेष समाज की ओर ही दुर्लक्ष्य किया जा सकता है । हमारा रास्ता बीच का है । हमने सारे समाज का विचार किया है । समाज में मजदूर को सम्मान का स्थान प्राप्त कराने के लिये हमको प्रयत्न करना है ।

नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े

बड़े-बड़े सूती उद्योगों में आज बारह-बारह और चौदह-चौदह वर्षों से हजारों मजदूरों को एवजीदार और अस्थायी बनाकर रखा गया है तथा चीनी मिलों में स्थायी और सीजनल कर्मचारी ही नहीं तो आठ-आठ वर्ष से ठेके के मजदूर, अकुशल मजदूर, डोंगा, कुली आदि नाम देकर उन्हें मजदूर की सुविधाओं से वंचित रखा गया है । बीड़ी कारखाने, छापेखाने, चूड़ी के कारखाने जिसमें से अनेक में २० से अधिक मजदूर लगाये रखकर भी कारखाना अधिनियम न लागू हो सके—ऐसे हथकण्डे प्रयोग में लाये जा रहे हैं । लोहा एवं इन्जीनियरिंग कारखानों के मजदूरों को वेतन इतना कम दिया जा रहा है कि मजदूर अपने परिवार की कौन कहे स्वयं अपना अकेला पेट भी दोनों समय नहीं भर सकता । अनेक टाउन एरिया एवं पालिकाओं में मेहतरों का वेतन, जो १० वर्ष पूर्व था, वही आज भी चालू रखा गया है । "नंगा क्या नहाये और क्या निचोड़े" यही उसकी वर्तमान अवस्था है । दूकान कर्मचारियों से बारह-बारह और पन्द्रह-पन्द्रह घंटे की ड्यूटी ली जा रही है । प्रदेश के मजदूरों की अनेक समस्याएँ हैं, जिन्हें हमें हल करना है ।

सरकार असफल

सरकारी मशीनरी की ढिलाई के कारण न तो श्रमनिरोधक ही अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और नही मालिक गण । मजदूरों को न्याय दिलाने व समझौता कराने की प्रणाली सरकार की श्रमिक विरोधी नीति के कारण आज व्यर्थ सिद्ध हो रही है । मजदूरों को न्याय प्राप्त कराने के सारे रास्ते बन्द से हो रहे हैं । श्रम-सम्मेलनों में बड़ी-बड़ी सिफारिशों का उद्घोष केवल कागजों की शोभा बढ़ाने मात्र तक सीमित हो रहा है । ढपौरशंख की मांति श्रमिक हितों के लिये समितियों, सम्मेलनों एवं वार्ताओं तथा निर्णयों की बड़ी सुन्दर व्याख्याएँ

प्रकाशित हो रही हैं, पर क्रियान्वयन के स्थान पर शून्य ही दिखाई दे रहा है। श्रमिक क्षेत्र की समस्याओं के हल में सरकार बुरी तरह असफल रही है।

हमारा सम्बल

भारतीय मजदूर संघ का कार्य नया है, अनुभव नया है तथा साधन भी उसके पास नहीं हैं। इसके बावजूद कार्य खड़ा करना है, बढ़ाना है और मजदूर क्षेत्र की समस्याओं को हल करना है। मजदूर क्षेत्र में अन्य लोग ४०-४० वर्षों से जुटे हुये हैं। उनके त्याग व बलिदान की जितनी भी सराहना की जाए, थोड़ी ही रहेगी। किन्तु बड़े दुःख के साथ आज यह कहना पड़ता है कि मजदूर क्षेत्र को भी लोगों ने पेशे का रूप बना लिया है। मजदूरों के दूख-दर्द में सम्मिलित होने के स्थान पर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। पेशेवर वकीलों ने इस क्षेत्र को और भी गन्दा बना दिया है। कितने ही विदेशी पैसे के बल पर, कितने ही सरकारी सहायता के भरोसे और कितने ही पूँजीपतियों से साँठ-गाँठ के सहारे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमने तो केवल मजदूरों के दुःख-दर्द की तड़पन लेकर इस क्षेत्र में पदार्पण किया है। अपने कार्यकर्ताओं की निःस्वार्थता और उनका अडिग विश्वास हो इस कार्य के सम्बल हैं। यही हमारी पूँजी और यही हमारा साधन है। इसी पूँजी और साधन के बल पर हम श्रमिकों के कल्याण करने में समर्थ होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

“पैसा और पसीना” दोनों की भागीदारी (शेयर) का

सिद्धान्त जब तक लागू नहीं होता—औद्योगिक शान्ति सम्भव नहीं है।

गोरखपुर में भारतीय मजदूर संघ के छठे वार्षिक अधिवेशन
दिनांक १६, २० व २१ अक्टूबर, ६२ के अवसर पर
प्रदेश प्रधान मन्त्री

श्री रामनरेशसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

गत वर्ष हम लोगों ने आगरा में अपना पंचम वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न किया था, उस अवसर पर प्रदेश की कुल ४१ यूनियनों भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित थीं किन्तु आज सम्बन्धित यूनियनों की संख्या ६८ तथा कुल सदस्य संख्या लगभग १० हजार हो गयी है।

वर्ष के उल्लेखनीय कार्य

चीनी वेजबोर्ड एवार्ड से उत्पन्न संकड़ों विवादों को सुलझाया गया। अभी गोरखपुर संराधन अधिकारी के यहां कुछ विवाद प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर कार्यवाही होना शेष है।

दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन कराने के निमित्त गत ३० अगस्त को बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी कार्यक्रम हुये हैं। इस अवसर पर प्रदेश के कुल ६३ स्थानों पर विशाल जुलूस एवं सभाओं के माध्यम से राज्यसरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और धर्माधिकारियों को ज्ञापन भेंट किये गये हैं। यद्यपि सरकार की ओर से अशवासन मिला है किन्तु जब तक हमलोगों का न्यूनतम मांगों का अधिनियम बन नहीं जाता, चप न बेंठेंगे।

लखनऊ डेरी कोआपरेटिव में आज १० मास से चल रहा विवाद जिसमें ८५ मजदूरों की छटनी कर दी गयी थी—डेरी वर्कर्स यूनियन बड़े ही शान्ति एवं संगठन का परिचय देते हुये पंचनिर्णय द्वारा समझौता कराने में सफल हुआ है। मजदूरों की यह विजय लखनऊ के इतिहास में अनुकरणीय है।

आगामी योजनायें

प्रसन्नताकी बात है, महामंत्री मा० श्री दत्तोपन्तजी ठेंगड़ी प्रदेश के गत अधिवेशनों में स्वयं उपस्थित हो कर मार्गदर्शन करते रहे और इस अधिवेशन में भी हम लोगों का निभंत्रण स्वीकार कर उपस्थित हुये हैं । उनके आगामी दिसम्बर के दौरे के समय प्रदेश के प्रमुख केन्द्रों (१) वाराणसी (२) कानपुर (३) आगरा एवं (४) सहारनपुर में तीन-तीन दिन का "कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग" लगाने की योजना की गयी है, जिनमें निकटवर्ती जिलों के कार्यकर्ता भाग लेंगे ।

प्रतिवर्ष माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन विश्वकर्मा जयन्ती पर "राष्ट्रीय श्रम दिवस" मनाने की राष्ट्रव्यापी योजना निश्चित हो है । उस अवसर पर प्रदेश को समस्त यूनियने बड़े ही धूमधाम से इस समारोह को मनावेंगे । आप सब प्रतिनिधि जब यहाँ उपस्थित हैं और महामंत्री भी साथ में हैं । यह प्रार्थना करूंगा कि कन्यासंक्रान्ति दिनांक १७ दिसम्बर के शुभ दिवस पर प्रदेश की अनेकानेक समितियां एवं मजदूर 'विश्वकर्माजयन्ती' मनाते हैं अस्तु उस अवसर पर भी "विश्वकर्मा जयन्ती" का निर्णय लें ।

माचं एवं अप्रैल मास के दिनों में जब महामंत्री दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं—चीनी मिल कर्मचारी यूनियनों की ओर से पड़रौना के निकट द्विविधसीय अधिवेशन की योजना की गयी है और उसी दौरे के समय प्रदेश मजदूर संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक गाजियाबाद में निश्चित है ।

श्रम विभाग का भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार

राज्य श्रम विभाग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार इस सीमा तक चल रहा है कि छोटी मोटी यूनियनों को तो कहीं भी प्रतिनिधित्व देने में उन्हें इनकार नहीं है, किन्तु मान्यता प्राप्त महासंघ (फ़ेडरेशन) को वे इस योग्य नहीं समझते । अभी सूती मिलों के अभिनवीकरण के विवाद पर "संपूर्णनिन्द पंचनिर्णय" की एक प्रति की मांग की गयी थी उसे भी देने में इतराज किया गया जब कि अनेक सूती मिल मजदूर यूनियनों को बुलाकर विधिवत परामर्श कर उन्हें उसकी प्रतियां भेंट की गयी थी । 'दुकान अधिनियम' में संशोधन के विचारार्थ गत १० सितम्बर को स्वयं मा० श्रम मंत्री ने त्रिदलीय बैठक बुलायी थी किन्तु स्मरण दिलाने पर भी उस बैठक में हमारा सम्मिलित होना उचित नहीं समझा गया ।

कहने के लिए तो श्रम समस्याओं के अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिये "राज्य क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन मण्डल (स्टेट इम्प्लामेन्टेशन एवं एवैलु-एशन बोर्ड)" तथा सलाहकार समिति आदि का निर्माण किया गया है जिसमें मजदूर एवं मालिकों के प्रतिनिधि तथा सरकार के उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग सम्मिलित हैं—किन्तु इन सब में भी भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व देने की अवश्यकता नहीं समझी गयी है।

प्रशासन का यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी ही होगी। प्रतिनिधि सभा इस पर भी विचार करे।

प्रतिनिधि बन्धुओं से

उपस्थित प्रतिनिधि बन्धुओं से हमारा अनुरोध है कि यूनियनों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा कर जो भी अपनी यूनियन हैं—उनकी सदस्य संख्या बढ़ाइये। मजदूरों की समस्याओं को दूढ़ने में गहराई तक जाइये और उनका निराकरण करिये। मान्यता प्राप्त के लिये आवश्यक सदस्य संख्या की पूर्ति तभी हो सकेगी जब कि मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए साहस का आप परिचय देंगे और दौड़ धूप करेंगे।

श्रम बिना विश्राम नहीं, युद्ध बिना जय नहीं।

ईश्वर का राज्य बातों से नहीं पराक्रम से फैलता है।

हमें राम और रोटी दोनों चाहिए।

सह विपद । तु मे सति विपु ०६ सप सिद्धीप लियो विवि ०६ कि ०२ ०६
। हु कभीरु वि मे सति विपु से एक प्राप्ति कतकस प्रक एक सभासक

दि० १३ अप्रैल, ६३ के दिन पडरौना में 'उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ' के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवम् प्यारे चीनी मिल मजदूर भाइयों !

पिछले अक्टूबर मास में आपके महासंघ का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् केवल ६ मास की अवधि में आपने जो प्रगति की है—वह सराहनीय है। पूर्वी उ० प्र० में तो आपके कार्य का विस्तार हुआ ही है किंतु पश्चिमी उ० प्र० के चीनी मिल मजदूरों ने भी आपके महा संघ के नेतृत्व में कार्य करने की इच्छा प्रकट की है। यह बात आपकी कार्य कशलता की परिचायक है। वैसे इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि इसी उद्योगमें कार्य करनेवाली अन्य संस्थाएं मजदूरों का विश्वास खो बंठी हैं।

चीनी उद्योग का अर्थरचना में स्थान

भारत की अर्थरचना में चीनी उद्योग का विशेष महत्व है। आज देश में लगभग १७५ चीनी संस्थान हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में ७१ हैं। इन ७१ मिलों में ८५ हजार मजदूर काम कर रहे हैं।

इस समय देश में लगभग ५१-५२ लाख एकड़ भूमिपर गन्ने की खेती होती है और उत्तर प्रदेश में ३० लाख एकड़ भूमिपर। देश में २० लाख तथा उ० प्र० में ८ लाख किसान गन्ने की खेती से संबंधित हैं। देश में गन्ने की उपज साधारणतया २९ करोड़ है। गत वर्ष सम्पूर्ण देश में २८ लाख टन चीनी बनी थी, जिसमें १४ लाख टन उत्तर प्रदेश में बनी।

उ० प्र० की ३८ चीनी मिलें पश्चिमी एवं ३३ पूर्वी क्षेत्र में हैं। अपने इस महासंघ का कार्य अबतक विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक है।

गत वर्ष

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गतवर्ष (६१—६२) चीनी उद्योग ने २ लाख कारखानों की गन्ना की कीमत के रूप में ९० से ९३ करोड़ तक रुपये दिये। राज्य सरकार को गन्ना क्रय कर के रूप में २ करोड़ ४५ लाख रुपये; कोआपरेटिव सोसाइटीज को कमोशन के रूप में ४५ लाख रुपये; केन्द्रीय सरकार को उत्पादन करके रूप में १३ करोड़ ३१ लाख; तथा लगभग ३१ हजार कार्यकरों की वेतन के रूप में ३ करोड़ ५४ लाख रुपये दिये हैं।

इस वर्ष

गत वर्ष चीनी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक था ऐसा समझकर, चीनी मिलों में भावी अतिरिक्त उत्पादन को रोकने के लिये सरकार ने मिलों में चीनी उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया। मिलों को निर्देश दिया गया कि वे पहले से अब १० प्रतिशत कम चीनी बनावें।

इस नीति की घोषणा के फलस्वरूप गन्ना बोनो वालों ने गन्ना बोना कम करके अन्य तिनारती फसलें बोना आरम्भ कर दिया, और जो गन्ना खेतों में खड़ा था वह खण्डसारी और गुड़ के उत्पादन में खर्च कर लिया गया।

ठीक इसी समय द्यूबा के संकट के कारण विदेशों में भारत की चीनी की मांग बहुत बढ़ गई। किन्तु सरकार की पूर्व घोषित नीति के कारण हम इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा सके।

इस अवस्था में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से चीनी का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने फिर से चीनी मिलों को संकेत किया कि वे अपना उत्पादन ३० से ४० प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयत्न करें। जब कि प्रत्यक्षतः चीनी का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा कम हुआ था।

उपर्युक्त तथ्य स्वयम् सरकारी नीति की विफलता बताते हैं। अतः आलोचना आवश्यक है।

अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति

वैसे भी, सामान्यतः चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति स्पृहणीय नहीं। हवाई एवं जावा द्वीप में गन्ने की प्रति एकड़ उपज ५० टन है, और वहाँ प्रति १०० टन गन्ने से १२ टन चीनी निकाली जाती है। भारत में १० टन निकलती है। जहाँ भारत का किसान १ एकड़ भूमि में १३ टन गन्ने के मूल्य के रूप में ५७९.५० न. पै. प्राप्त करेगा, वहाँ हवाई एवं जावा का किसान १ एकड़ में ५० टन गन्ने का मूल्य २२२७.५० न. पै. प्राप्त करेगा। यह तो केवल उत्पादन का अंतर है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और भारत

इस समय देश में लगभग २८ लाख टन चीनी बनती है। खपत २२ लाख टन की है। शेष ६ लाख टन चीनी के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाना पड़ता है। जहाँ चीनी का भाव ४०० रु० प्रति टन है। हमारी चीनी पर लागत ७०० रु० प्रति टन है। अर्थात् ३०० रु० प्रति टन का घाटा हमें लगता है। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी स्थिति शोचनीय है।

सुधारक का दायित्व

इस दयनीय अवस्था में सुधार लाने का उत्तरदायित्व सरकार तथा मालिकों का ही प्रमुख रूप से है। मजदूरों की ओर से उन्हें पूरा सहयोग इसके पूर्व भी होता रहा और आगे भी प्राप्त होगा। किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चीनी मिल मालिक सही दिशा में कदम उठाना नहीं चाहते। वे तो गन्ने का मूल्य कम कराके किसानों को, तथा वेतनादि कम देकर मजदूरों को असन्तुष्ट करना ही जानते हैं। मिलें घाटे में चल रही तो भी घोषणा करके सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। शायद इसके पीछे यह भी जातव्य है कि सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होते ही उन्हें बोनस देने से बचने में, कई प्रकार के सरकारी करों से मुक्त होने में, किसानों को गन्ने का मूल्य देरी से देने में तथा मजदूरों की उचित मांगे पूरी न कराने में सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। अभिनवीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर छूटनी करने का भी उनका इरादा है।

इन श्रमिक विरोधी तथा उद्योग विरोधी नीतियों में सरकार भी मिल मालिकों को सहयोग प्रदान कर रही है, यह अधिक दुःख की बात है।

छटनी न हो : श्रमिक मिल चलायें

भारतीय मजदूर संघ ने इसके पूर्व ही घोषणा की है कि हम छटनी का पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि किसी भी मजदूर को उसके वर्तमान कार्य से तब तक न हटाया जाय जब तक उसके लिए पहले ही पर्यायी नौकरी सुरक्षित नहीं रखी जाती। मिलें घाटे में चल रही हैं यह मालिकों का कथन यदि सत्य है तो हम उन्हें आवाहन करते हैं कि वे अपनी २ मिलें अपने २ मजदूरों की सहकारी संस्थाओं को चलाने के लिये दे दें। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की चीनी मिलों को उनके श्रमिक अपनी सहकारी समितियों द्वारा अधिक निपुणता एवं कम व्यय में चला सकेंगे। शुरू में उन्हें थोड़ी प्राविधिक सहायता देनी पड़ेगी। प्रदेश के चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हितकर नहीं होगा। हम केवल बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं।

उपेक्षित श्रमिक

हमने इसके पूर्व ही कहा था कि जब तक चीनी वेतन आयोग के अनुसार सब सुविधायें पूर्ण रूप से प्राप्त न हो जाय तब तक सेवा मुक्ति का आदेश अनुचित है, तथा जब तक वेतन आयोग से उत्पन्न समस्त विवाद (जैसे प्रोडेशन आदि) जो इम्प्लेमेंटेशन कमिटी एवं प्रादेशिक संराधन कार्यालयों में वर्षों से उलझे पड़े हुए हैं अन्तिम रूप से तय न हो जाय तब तक सेवा मुक्ति का आदेश अवैधानिक है, और उच्च सम्बन्धी विवाद का समुचित निराकरण किये बिना सेवा मुक्ति का आदेश भी उचित नहीं है।

फिर, हमारी मांग थी कि बेज वोट की सिफारिशों को लागू करते समय सीनियारिटी व बकलोड का ध्यान रखा जाय। निर्देशांक के आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि हो। लिपिकों के प्रोडेशन में हुई घाघली में सुधार किया जावे। सिपाही, चपरासी आदि दायित्व पूर्ण कार्यकरों को 'अर्द्ध कुशल' श्रेणी में रखा जावे। सौके का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुये श्रम न्यायालय विवादों का निपटारा करे। सेवा मुक्त कर्मचारियों के परिवार वालों को नई भर्ती में प्राथमिकता दी जावे। मान्य की हुई छुट्टियों के बीच अन्य अवकाश के पड़ने पर, उसमें सम्मिलित न किया जावे। विवादों की पैरवी के लिये न्यायालयों में उपस्थित होने की तिथियों में सवेतन छुट्टी की व्यवस्था की जावे। प्रतिनिधि सम्मेलनों के अवसर पर उन्हें सवेतन छुट्टी दी जाय। चौबीस घंटे उपलब्ध हो सकने वाले चिकित्सकों व चिकित्सालयों की व्यवस्था मिलों में की जाय। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित कर्मचारी माना जावे तथा स्थायी कर्मचारियों

के समान अस्थाई (सीजनल) कर्मचारियों को अनुपातिक सुविधायें दी जायें ।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतना समय बीत गया तो भी उपर्युक्त उचित मांगें पूरी नहीं हुई, तथा उनकी उपेक्षा हुई, और आज बोनस के विषय को लेकर एक नया ही कठाराघात मजदूरों पर करने का षड्यन्त्र मालिकों द्वारा किया गया है। कुल ७१ मिलों में से केवल ४३ मिलों ने बोनस की बात मान ली है, और वह भी न्यायोचितता की दृष्टि से केवल आंशिक रूप में। सरकार भी मालिकों को सही रास्ते पर चलने के लिये बाध्य नहीं कर रही।

सर्वकष उपाय योजना की आवश्यकता

विद्यमान सोचनीय अवस्था में चीनी उद्योग को ऊपर उठाना हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि, गन्ना बोने वाले किसान से लेकर चीनी खरीदने वाले ग्राहक तक चीनी उद्योग से संबंधित सभी पक्षों के हितों का सर्वकष तथा सम्यक् विचार युगपद्, एक साथ हों, तथा उसके आधार पर सभी पक्षों के हितों का संरक्षण एवं समन्वय करने वाली उपाय योजना उत्क्रान्त हो। इस दिशा में किसान, मजदूर और ग्राहक संपूर्ण सहयोग देने के लिये सदा ही सिद्ध रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि मालिकों को भी अपनी समाज विरोधी स्वार्थी प्रवृत्ति को छोड़कर उद्योग, गरीब जनता तथा देश के हित के लिये अपनी ओर से हार्दिक सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिये। स्वेच्छा से यह कार्य करने के लिये वे तैयार न हुए तो उन्हें नियंत्रित कर उचित दिशा में ले जाने का उत्तरदायित्व सरकार का है। मैं दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना २ कर्तव्य पूरा करें।

हमारा कर्तव्य

भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रवादी श्रमिकों का संगठन है। विशेष रूप से आज की राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति में हम देश का उत्पादन बढ़ाने के हेतु हर प्रकार से सहयोग देने के लिये उत्सुक हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि मालिक अपने मुनाफे बढ़ाते जावें और मजदूरों की उचित मांगों को भी ठुकराया जाय। हम औद्योगिक शान्ति तथा औद्योगिक न्याय,—दोनों की सिद्धि चाहते हैं। इस दृष्टि से संपूर्ण विचार विमर्श कर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रभक्त चीनी मिल मजदूरों को उचित मार्ग दर्शन करना यह इस सम्मेलन का दायित्व है। प्रदेश के राष्ट्रभक्त श्रमिक आशा तथा उत्सुकता से आपकी कार्यवाही की ओर देख रहे हैं। उनकी आशाएं पूरी करना और चीनी मिल मजदूरों के आन्दोलन को सुयोग्य दिशा में आगे बढ़ाना यही इस सम्मेलन का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति में आप सफल होंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास है।

गजियाबाद (सरस्वती शिशु मन्दिर) में भारतीय मजदूर संघ
के दि० २६, २७ व २८ अप्रैल १९६३ के त्रिदिवसीय
प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन के अवसर पर

स्वागताध्यक्ष

श्री रघुनाथ सहाय जैन का भाषण

बन्धुवर,

आपका स्वागत करते हुये मुझे और मेरे साथियों को अपार हर्ष हो रहा है। सज्जनों! मैं गत वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर अक्टूबर में गोरखपुर गया था और वहाँ ही आपको यहाँ के लिये आमन्त्रित किया था। आपने हमारा निमन्त्रण स्वीकार करके हमारा मान बढ़ाया है। मैं और मेरे साथी यह भी अनुभव करते हैं कि प्रदेश के कोने कोने से इस ग्रीष्म ऋतु में अत्यन्त कष्ट सहते हुये आप सब पधारे हैं इसके लिये हम सब गजियाबाद के मजदूर साथी आभारी हैं।

उद्योग

साथियों!

यह गजियाबाद स्थान अभी ही थोड़े दिन पहले एक छोटा सा स्थान था, कोई ऐतिहासिक महत्व भी नहीं रखता। पर दिल्ली के निकट होने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस नगर की औद्योगिक महत्त्वता प्राप्त हुयी है और तब से इस दिशा में ज्ञानः ज्ञानः प्रगति हो रही है। उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में यह नगर कानपुर के बाद दूसरी संख्या पर आता है पर अधिक सम्भव है कि सरकार की औद्योगिक विकास नीति के कारण यह प्रथम स्थान पर शीघ्र ही पहुँच जावे। अनेक उद्योग धंधे यहाँ आज भी चल रहे हैं। वनस्पति, इन्जीनियरिंग, वंगन, विल्डिंग, रोलिंग, लालटेन, बिजली, तार, टीन डिब्बे आदि के कारखाने हैं—इस प्रकार छोटे बड़े कुल मिलाकर यहाँ १२५ कारखाने चल रहे हैं।

श्रीद्योगिक संघ

जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में संघ संचालन राज नैतिक दलों के द्वारा आया। यही कारण है कि मजदूर संघों में वह तमाम बुराईयाँ हर स्थान की तरह यहाँ पर भी उपस्थित है। यहाँ तो व्यक्ति विशेष ने मजदूरों का ठेका लेकर चाहे जिस प्रकार उनका दुरुपयोग करना प्रारम्भ किया है। हम समझते हैं कि अधिक दिनों तक मजदूरों को गुमराह करके कोई नहीं रख सकता।

अप्य सब भारतीय मजदूर संघ जैसी आदर्शवादी संख्या के प्रतिनिधि हैं। आप से यह अपेक्षा है कि मजदूरों की इच्छाओं का आबर करते हुये उनकी समस्याओं को ठीक ढंग से समझे और उनका निराकरण करें।

बन्धुओं !

हमने भरसक प्रयत्न किये हैं कि आपको यहाँ पर भोजन व ठहरने आदि की किसी प्रकार की असुविधान हो पर मेरे साधनों के अभाव में त्रुटि रह जाना सम्भव है। आपकी असुविधाओं व कष्ट के लिये मैं और मेरे साथी क्षमा के याचक हैं।

स्पेन के गृहयुद्ध में फासिस्ट सेनायें मैड्रिड को घेरे पड़ी थीं। एक दिन उन्होंने हवाई जहाजों से शहर पर बढ़िया डबल रोटियां बरसायीं, जहाँ उन दिनों रोटी के लिये आदमियों और कुत्तों में छीना-झमटी हुआ करती थी। लेकिन शहर के बच्चों ने सारी डबल रोटियाँ पुलिस थानों में पहुँचा दी। अगले दिन रोटियों को कागज में लपेट कर फासिस्टों के खन्दकों में फेक दिया गया। उय पर लिखा था—

“मैड्रिड को फासिस्ट रोटियों से नहीं जीता जा सकता, उसे जीतने के लिये तुम्हें लड़ना होगा।”

गाजियाबाद (सरस्वती शिशु मन्दिर) में दि० २६, २७ व २८
 अप्रैल के प्रतिनिधि सम्मेलन के अवसर पर भारतीय
 मजदूर संघ के प्रदेश प्रधान मन्त्री

श्री रामनरेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध ११२ यूनियनों चल रही हैं, जिनकी सदस्य संख्या १६,००० है इसके अतिरिक्त ४ औद्योगिक महासंघों (१) उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ (२) उत्तर प्रदेश दुकान कर्मचारी संघ (३) उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ तथा (४) उत्तर प्रदेश इन्जीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन की भी स्थापना की गयी है।

उल्लेखनीय कार्य

'उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ' का अभी १३ व १४ अप्रैल को प्रथम वार्षिक अधिवेशन पडरौना में सम्पन्न हुआ है, जिसमें सम्बद्ध हुई १६ यूनियनों के कुल ३७ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

'उत्तर प्रदेश दुकान कर्मचारी संघ' के तत्वावधान में गत ३० अगस्त को प्रदेश व्यापी मांग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से दुकान अधिनियम में संशोधन करके न्यूनतम वेतन व काम के घंटों की निश्चित के लिये जुलूस व बड़ी बड़ी सभाओं द्वारा सरकार को अवगत कराया गया था। परिणाम स्वरूप अधिनियम में संशोधन करने का सरकार ने निर्णय लेकर काम के १० घंटे निश्चित करने का प्रस्ताव लायी है। शेष मांगों की पूर्ति के लिये हम प्रयत्नशील हैं।

टेक्सटाइल मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिये उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ' की ओर से प्रयत्न प्रारम्भ किया गया है। मोदी नगर, सहारनपुर, हाथरस तथा कानपुर के टेक्सटाइल मजदूरों की समस्यायें हाथ में ली

गई हैं। नैनीताल सम्मेलन व सम्पूर्णानन्द पंचाट के निर्णयों को लागू कराने के लिये प्रादेशिक स्तर पर पग उठाने का निर्णय लिया गया है।

स्वर्णकार बन्धुओं की बलात् बेकारी से क्षुब्ध होकर भारतीय मजदूर संघ ने ही सर्वप्रथम १० फरवरी को देहरादून में प्रादेशिक सम्मेलन करके सरकार का ध्यान आर्कषित किया है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आये हुये लगभग ३५० स्वर्णकार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय मजदूर संघ ने उनके रोजी व रोटी की इस लड़ाई में सब प्रकार से सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों को आफिसरों की दया पर ही निर्भर रहने व उनको गुलामों से भी बदतर बना देने वाले संविधान की धारा ३११ के संशोधन का सब प्रकार से विरोध करने का भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया है।

'पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ' के तत्वावधान में चलने वाले कार्यक्रमों व मजदूर समस्याओं के हल में भारतीय मजदूर संघ ने सहयोग देने का वादा किया है तथा संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिये जिला इकाइयों को सक्रिय करने का दायित्व लिया है।

कम्युनिष्ट चीन के आक्रमण के फलस्वरूप उनके एजेन्टों से सतर्क रहने के लिये भारतीय मजदूर संघ ने पहल करके प्रदेश के प्रमुख मजदूर केन्द्रों कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व आगरा आदि स्थानों पर 'राष्ट्रीय मजदूर मोर्चे' का निर्माण किया है। सम्बद्ध यूनियनों के माध्यम से सुरक्षा निधि में धन से सहयोग दिया है तथा जन जागरण के लिये सभाओं आदि के माध्यम से मजदूरों में स्वदेश भक्ति व अत्यधिक परिश्रम करने की मनोभूमिका तैयार किया है।

उद्योगपतियों व सरकार के गैर जिम्मेदार कार्य

इसी संदर्भ में बड़े दुख के साथ यह भी प्रकट कर देना आवश्यक है कि संकट कालीन स्थिति के कारण औद्योगिक शान्ति स्थापना की आड़ में मिलमालिकों ने मजदूरों की असहाय अवस्था का दुरुपयोग किया है। मजदूरों से मनमाना ढंग से काम लेकर अपना काम बनाया है। सरकारी अधिकारियों ने भी त्रिदलीय सम्मेलन में हुये निर्णय के बावजूद भी औद्योगिक विवादों को हल करने

में कोई विलचस्पी नहीं दिखाई है। वर्षों से लटकते हुये विवाद आज भी चलते आ रहे हैं।

इस समय प्रदेश में यूनियन की संख्या में दूसरा व सदस्य संख्या में तीसरा स्थान होने के बावजूद भी भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व देने में सरकार आनाकानी कर रही है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मजदूरों को गुमराह करने वाले और सरकार को अकारण परेशान करने वाले महासंघों के प्रतिनिधियों को सरकार प्रश्रय तथा प्रोत्साहन दे रही है।

आगामी योजना

निकट भविष्य में ही क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के शिक्षण वर्ग लगाने की योजना है तथा संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्षेत्रीय व जिला इकाइयों की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

प्रदेशाध्यक्ष श्री वरभेइवर पाण्डेय एडवोकेट प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता कर रहे थे।

—X—

भारत ने ऐसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को विकसित किया, जिसने कर्म को भगवत्पूजा का पवित्र रूप बना दिया। इस व्यवस्था में मन्दी के समय भी काम की गारन्टी थी। प्रत्येक व्यक्ति 'शत हस्त समाहर सहस्र हस्त समाकिर' अर्थात् सौ हाथों से एकत्रित करो और हजार हाथों से वितरित करो, के आदर्श से प्रेरित होता है।

किसी तत्व की अपेक्षा राष्ट्र जीवन की रक्षा अधिक महत्व का है।

भारतीय मजदूर संघ के ७ वें वार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन के
अवसर पर बरेली (खण्डेलवाल धर्मशाला) में

दि० २ अक्टूबर, १९६३ को भारतीय

मजदूर संघ के महामन्त्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

आज भारत के श्रमिक क्षेत्र में चारों ओर असंतोष की लहर फैल रही है, स्वर्णकारों पर सरकार द्वारा कृठाराघात, गलत जीवन निर्देशांक, मूल्यवृद्धि, कर वृद्धि, आदि कारणों से श्रमिक जनता आज अतीव पीड़ित है। विनांक ३ नवम्बर १९६२ के औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव को मालिकों ने तथा सरकार ने भी स्थान स्थान पर ठुकरा दिया है, संकटकालीन परिस्थिति के नाम पर मजदूरों के जायज अधिकार छीनने का आज षड्यन्त्र चल रहा है, 'जबर्बस्त मारे, रोने न दे' यही अवस्था मजदूरों की हो गई है।

इस परिस्थिति से हमारे लिये यह गौरव का विषय है कि सम्पूर्ण परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन करते हुये भारतीय मजदूर संघ ने ही सर्वप्रथम आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सरकार द्वारा प्रकाशित जीवन निर्देशांक 'कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स नम्बर' का आधार अशास्त्रीय है, और उसकी शास्त्रीय पद्धति से पुनर्रचना होनी चाहिये, तभी मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में राहत मिल सकती है, इस विषय में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सबसे पहले हमारे ही प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करने के लिये बुलाया, और हमारे रचनात्मक कार्यपद्धति की प्रशंसा की, तत्पश्चात् अन्य श्रमिक संस्थाओं ने इस प्रश्न को उठाया, आज तो यह प्रश्न श्रमिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण मांग बन चुका है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हर एक राज्य में मजदूरों के फेमिली बजट की फिर से जांच की

जाय और उसके आधार पर शास्त्रीय निर्देशांक निश्चित करने का कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

मंहगाई भत्ते का सीधा सम्बन्ध निर्देशांक से रहना चाहिये—यह सिद्धान्त तो सर्व मान्य ही है । मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिये अलग निर्देशांक निश्चित करना—कहाँ तक यथोचित होगा, यह एक विवाद का विषय है । किन्तु इस विषय में सरकार ने जो आँकड़े एकत्रित किये हैं, वे प्रकाशित होने चाहिये ।

ठीक ढंग से निर्देशांक निकालने का काम पूरा होने से कुछ समय लगेगा, तब तक विद्यमान मूल्यों को ध्यान में रखते हुये मजदूरों को अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिये । जहाँ जहाँ मंहगाई भत्ते की पद्धति चल रही हो, वहाँ वहाँ मंहगाई भत्ते में उतनी मात्रा में वृद्धि की जाय, और जहाँ जहाँ 'कान्सालीडेटेड बैजेज' चल रहे हों, वहाँ वहाँ उनमें भी उतनी वृद्धि हो ।

यह हर्ष का विषय है कि गरीब कर्मचारियों की दृष्टि से अनिवार्य बचत योजना को समाप्त कर दिया गया है, वैसे हम बचत के तो पक्ष में हैं किन्तु अनिवार्यता के विरोध में हैं । अनिवार्यता तानाशाही की परिचायक है । मजदूरों तथा सभी लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत कर उन्हें स्वार्थत्याग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये—यह कार्य जागरण के द्वारा हो जबदंस्ती से नहीं । फिर आज मजदूर बचत करने की क्षमता भी तो नहीं रखता वैसे भी वह कर्ज के बोझ के नीचे दबा पड़ा है । उसके लिये अनिवार्य बचत का मतलब होगा, कर्ज में अनिवार्य वृद्धि, यह बात तो सर्वथा निन्दनीय ही थी ।

जहाँ कि एक ओर हम स्वीकार करने हैं, कि राष्ट्रीय संकटकालीन परिस्थिति में हर एक नागरिक को देश के लिये अत्यधिक त्याग करना ही चाहिये, वहाँ दूसरी ओर हम इस बात का समर्थन नहीं कर सकते कि स्वार्थ त्याग के कार्य को केवल मजदूर ही करें और उच्च पदस्थ सरकारी नेतागण नहीं, यह क्रम तो ठीक विपरीत होना चाहिये था । किन्तु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय संकट के विषय में जितनी सतर्कता पिछले दिनों मजदूरों ने दिखाई, उतनी हमारे प्रधान मंत्री जो ने भी नहीं दिखाई—इसलिये मजदूरों को इस विषय में उपदेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

आज की हमारी दुर्बस्था का सबसे बड़ा कारण है—गलत योजनाएं । भारत की आवश्यकताएं तथा परिस्थिति विशेष को ध्यान में न रखते हुये ये हवाई योजनाएँ बनाई गयी हैं । जो कि देश में बेरोजगारी तथा अर्धबेकारी को तेजी से बढ़ा रही है । योजनाएं इसी प्रकार से यदि चलती रहीं तो बेकारी, अर्धबेकारी, मूल्य-

वृद्धि, कर वृद्धि, भूखमरी, आत्महन्यार्ये आदि सब बातों में निरंतर वृद्धि होती जायेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिये हम मांग करते हैं कि योजना में आमु-लाप्र परिवर्तन हो और भारत की श्रम प्रधान अर्थनीति की पृष्ठभूमि पर जनता के सहयोग से वास्तविकतावादी योजना उत्क्रान्त की जाय।

सरकारी नीतियों के कारण निमित्त असन्तोष को संबैधानिक तथा लोक-तान्त्रिक पद्धति से प्रकट करने का कार्य श्रमिक क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय शक्तियों को करना चाहिये। अन्यथा यह कार्य कम्यूनिस्टों को अपने हाथ में ले लेना आसान हो जायगा, जो कि देश के लिये सब से अधिक खतरनाक होगा। श्रमिक क्षेत्र की राष्ट्रीय शक्तियां जहां इस बात के लिये एकत्रि होती है—वहां कम्यूनिस्टों को मुंह की खानी पड़ती है। बम्बई की राष्ट्रवादी मजदूर संघर्ष समिति ने कामरेड डांगे को उनकी 'होम कान्स्टीचुएन्सी' में किस तरह से परास्त किया, यह सब जानते हैं। हर एक प्रदेश तथा स्थान पर राष्ट्रवादियों का संयुक्त मोर्चा बनना असम्भव है यह सोचकर कम्यूनिस्ट 'भारत बन्व' की घोषणा कर रहे हैं। फिर देशद्रोही कम्यूनिस्टों के सबसे बड़ा आधार हैं पंडित नेहरू। नेहरूजी ने कम्यूनिस्टों के साथ मित्रता निभाने के लिये पिछले कई वर्षों से जो कार्य कलाप चलाये हैं—उससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि नेहरू जी स्वयं अपने को कांग्रेसी सरकार के अन्तिम प्रधान मंत्री तथा कम्यूनिस्ट सरकार के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह उनकी अकांक्षा पूरी न हो यह देखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रवादी शक्तियों की है। इसलिये क्षुद्र आपसी मत-भेदों को भूलकर मजदूरों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिये सभी राष्ट्रवादी केन्द्रीय श्रम संस्थायें एकत्रित होकर नेहरू-डांगे षड़यन्त्र को असफल बनावें—यही राष्ट्रीयता की मांग है। हम घोषित करना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम कम्यूनिस्टों की 'भारत बन्व' योजना को सफल नहीं होने देंगे।

रचनात्मक तथा संबैधानिक ढंग से मजदूरों की सेवायें, और पूरी शक्ति लगा करके कम्यूनिस्टों का मुकाबला इस द्विविधि उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें सजग तथा सक्रिय रहना होगा। इस कार्य में जहां जहां सम्भव हो हम अन्यान्य राष्ट्रवादी शक्तियों को साथ में लेकर संयुक्त मोर्चे के रूप में खड़े होने का प्रयास करें। विपुद्ध राष्ट्रवादी तथा मजदूर हित की भावना इन के आधार पर निर्माण हुये मजदूर मोर्चे, मजदूर तथा देश को कम्यूनिस्टों के भय से बचाने में समर्थ होंगे, इसमें संदेह नहीं है।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के सातवें वार्षिक अधिवेशन
पर बरेली में दिनांक ३ अक्टूबर ६३, के दिन
नव-निर्वाचित प्रान्ताध्यक्ष

श्री विनयकुमार मुखर्जी का भाषण

प्रतिनिधिगण एवं प्रिय साथियों,

सर्व प्रथम मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूँ कि आप सब को एवं माननीय अध्यक्ष को इस बात के लिये धन्यवाद दूँ कि इस अवसर पर आप सब को सम्बोधित करने का गौरव प्रदान किया। आप को यह भली प्रकार विदित है कि भारतीय मजदूर संघ की सेवा करने वाले कार्यकर्त्ताओं की पंक्ति में मैं नया जुड़ा हूँ। इस सुअवसर का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होने के कारण मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। मुझे विश्वास है आपने अपनी ही शक्ति पर भरोसा रख कर मेरे वृद्ध कंधों पर प्रदेश का गुरुतर भार डाला है, इसके लिये आप सबको मेरी बधाई है।



भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ अनेकों बार विचार विमर्श के पश्चात् मैंने इस संगठन की सदस्यता स्वीकार की है और मैं यह भी अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी चिरसंचित अमिलाषाओं को मजदूर-संघ के संविधान और नीतियों के रूप में एक योग्य स्थान प्राप्त हो गया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रमिक आन्दोलन अब अवश्यमेव देश में एक सही और योग्य स्थान प्राप्त करने में सफल होगा, यद्यपि देश का प्रत्येक राजनैतिक नेता प्रायः श्रम के महत्त्व की

बात तो करता है, किन्तु वह इस तत्त्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मजदूर ही देश की वास्तविक सम्पत्ति के उत्पादक हैं। मजदूरों की गरीबी, नौकरी की असुरक्षा और समाज में एक दयनीय स्थान जिसको दूर करने के निमित्त भारतीय मजदूर संघ प्रयत्नशील है, अपने सक्रिय सदस्यों के सहयोग से आगे भी करता रहेगा।

शीघ्र अति शीघ्र अपने इस कठिन संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिये मजदूर संघ ने प्रत्येक स्वस्थ पुरुष और स्त्री को काम देने की माँग की है और एक मंच पर एक झण्डे के नीचे श्रमिक आन्दोलन में भाग लेने के लिये सभी राष्ट्रीय शक्तियों को आवाहन किया है। बेकारी और फूट-मजदूरों के संकट के दो प्रमुख कारण हैं। राजनैतिक दलों के अनेक विरोधों के बाद भी जब तक ये कारण दूर नहीं होते तब तक अपने देश में किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधार की आशा व्यर्थ है। वर्तमान-नेता गण सर्वे हमें समाजवादी ढाँचें का समाज बनाने का अपना लक्ष्य बताते हैं, किन्तु यह कभी नहीं बताते कि इस शब्द का मतलब क्या है? जो भी हो हमें उनके व्यवहार में यह दिखाई देता है कि वे उस नारे का उपयोग श्रमिकों और किसानों के शोषण के लिये एक कारगर साधन के रूप में करते हैं। इस कारण मजदूरों के संगठनों और स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन आन्दोलन करने वालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मजदूरों को इस बात की शिक्षा दें ताकि वे राजनैतिक लाभ के लिये दिये गये नारों के जाल में न फँसें।

भारतीय मजदूर संघ चाहता है कि मजदूर के द्वारा ही राज्य की ससस्त आर्थिक गतिविधियों पर नियन्त्रण और निर्देशन हो। क्योंकि वही संपत्ति का वास्तविक उत्पादक हैं। आप सभी मली भाँति जानते ही हैं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के कारण अपने देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो चुका है। इसी कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् मजदूरों का निर्दयतापूर्ण शोषण न केवल नियोजकों द्वारा वरन् राजनैतिक दलों द्वारा भी हो रहा है, और वे व्यक्ति भी जो अभी मजदूरों की माँगों और इच्छाओं के विरुद्ध थे, मजदूर संगठनों में उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं और अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार राजनैतिक शोषण के द्वारा न केवल श्रमिक संगठनों का ह्रास होता है अपितु उत्पादन एवं क्षमता में भी कमी होती है। अतः शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करके ट्रेड यूनियन आन्दोलन के भेदा भेद समाप्त कर मजदूरों की एकता स्थापित करना आवश्यक है।

मजदूरों की इस एकता और उनकी खोई हुई शक्ति तथा स्थान प्राप्त करने की दशा में भारतीय मजदूर संघ प्रयत्न कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। किन्तु राजनैतिक नेताओं ने मजदूर क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के अलग तरीके अपनाये हैं और ट्रेड यूनियन एकता को धोका देकर वे हमारी प्रगति को अवरुद्ध करना चाहते हैं। पर राजनैतिक दलों और मजदूरों के हिमायती संगठनों के अनेक विरोधों के बावजूद अगस्त के अन्त में बम्बई में श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय नेताओं की सफल एकता की शक्ति प्रदर्शन के हमारे प्रयत्न में सम्पूर्ण देश के स्थल पर मजदूर के इस प्रकार के शक्ति शाली प्रदर्शन के लिये मार्ग साफ कर दिया है। बम्बई ट्रेड यूनियन एक दिन की हड़ताल द्वारा सरकार को बाध्य कर दिया कि वह अनिवार्य बचत योजना को वापस ले लें और सार्वदेशिक स्तर पर इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन द्वारा वर्तमान सरकार के ट्रेड यूनियन विरोधी और कम्युनिष्ट समर्थक रवइये में भी अबश्य ही परिवर्तन लाया जा सकता है।

राजनैतिक स्वार्थों एवं कठिनाइयों की परवाह न करते हुये मजदूरों को भारतीय मजदूर संघ के झन्डे के नीचे अपनी लक्ष्य को प्राप्त के लिये आगे बढ़ना होगा और मेरा यह बृहद विश्वास है कि सत्य की जीत होती है और इस संघर्ष में मजदूर विजयी होंगे।

सामूहिक सौदे बाजी जो कि एक ट्रेड यूनियन का सर्वप्रथम कार्य है एवं सार्वकालिक कार्य है और इस कारण संघर्ष के लिये एक अनन्त काल तक चलने वाला मार्ग है। इसके कारण ट्रेड यूनियनों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ट्रेड यूनियनों में एकता होने के बाद भी हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा। अपितु यह एकता हमें उन तत्त्वों के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करेगी जो समाज में हमारी गरीबी और दयनीय दशा के वास्तविक कारण हैं। बेकारों की एक इतनी बड़ी सेना रखने के बाद भी पूँजीपतियों द्वारा पोषित यह कांग्रेस सरकार उत्पादकों को इस कार्य में सहायता दे रही है कि वे मजदूरों की स्थितियों को मिला मंगों से भी बदतर बना दें। बिना किसी सुविधा के थोड़ी मजदूरी और उस पर भी नौकरी की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं देना ही बेकारी के फल है।

मजदूरों की स्थिति तो सदैव उपलब्ध होनेवाली उन निर्जाब पदार्थों की तरह हो गई है जो किसी भी समय उत्पादकों द्वारा पैसे पर खरीदा जासकता है। यद्यपि

सरकार प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जिम्मेदार होती है, किन्तु हमारे देश की यह सरकार इस जिम्मेदारी के प्रति भी लापरवाह है और सरकार अपने कार्यों द्वारा स्पष्ट इन्कार कर रही है कि बेकारों को काम देना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में ट्रेड यूनियनों का यह कर्तव्य है कि वे मजदूर हित में सरकार को बाध्य कर दें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को काम एवं उसको उचित वेतन प्राप्त हो सके।

भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि सबको काम मिले और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक श्रमिकों की आज की दुर्वस्था में कोई भी सुधार सम्भव नहीं है। आज देश की महती आवश्यकता है अधिकाधिक उत्पादन हो। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि सम्पूर्ण मानव शक्ति और अन्य साधनों का देश की अस्मिता के लिये पूरा उपयोग करें। परन्तु जब तक आज के सत्ताधारी नेता स्वार्थ का त्याग कर सेवा वृत नहीं अपनाते, तब तक वर्तमान शासन से उसकी अपेक्षा व्यर्थ है। सरकार की इस मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिये ट्रेड यूनियन को सुदृढ़ और संगठित होना पड़ेगा तथा उसके सदस्यों को अपनी ईमानदारी और अपनी कर्मठता से अपनी मांग के पीछे शक्ति खड़ी करनी होगी। अतः हमारा नारा है सबको काम। जिस प्रकार मजदूर संघ के संविधान की इस विशेषता से मैं आकर्षित हुआ, उसी प्रकार मेरा विश्वास है कि अनेक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता भी इस स्वतंत्र ट्रेड यूनियन संगठन में शामिल होंगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हें उनके उद्देश्यों और विशेषताओं से अवगत कराया जावे। भारतीय मजदूर संघ के मुकाबले कम्युनिस्ट और अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा किया गया विरोध कोई मानी नहीं रखता है। हमारे विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विषय में कुछ कहना अनावश्यक है। क्योंकि देश के दुश्मनों के द्वारा लगाये गये आरोपों का हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई भी असर नहीं हो सकता। आप विश्वास रखें कि कम्युनिस्टों द्वारा की गई भर्त्सना हमारे लिये एक प्रमाण पत्र सिद्ध होगी और मजदूरों को यह विश्वास विलायगी कि भारतीय मजदूर संघ ही श्रमिकों की एक मेव प्रतिनिधि संस्था है। अतः आइये समय की गति पहचान कर कन्धे से कन्धा लगाकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा निर्दिष्ट गन्तव्य की ओर आगे बढ़ें और मार्ग में आने वाले बाधाओं को ठीकर मारकर देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के ७ वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर बरेली (खण्डेलवाल धर्मशाला) में दि० २ व ३ अक्टूबर ६३ के दिन प्रदेश महामंत्री

श्री रामनरेश सिंह द्वारा वृत्त निवेदन

वर्तमान स्थिति

उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ का स्थान यूनियनों की दृष्टि से दूसरा व सदस्य संख्या की दृष्टि से तीसरा है। सन् १९६० की १९ दिसम्बर से मान्यता प्राप्त इस महासंघ से आज ११२ यूनियनें सम्बद्ध हैं, जिनकी वर्तमान सदस्य संख्या साढ़े सत्रह हजार है।

प्रदेश में डिफेन्स, रेलवे, रोडवेज, शूगर, टेक्सटाइल, इन्जीनियरिंग, लेडर, आयल, केमिकल, इलेक्ट्रिक आदि उद्योगों के कर्मचारियों से लेकर रिक्शाचालक व दूकान मजदूरों तक की यूनियनें इस महासंघ से सम्बन्धित हैं।

बड़े उद्योगों की यूनियनों की विधिवत् संगठित करने की दृष्टि से चार औद्योगिक महासंघों की स्थापना की गई है, इस प्रकार चौदह यूनियनें उत्तर प्रदेश बीनी मिल मजदूर संघ से, तेरह यूनियनें उत्तर प्रदेश दूकान कर्मचारी संघ से, आठ यूनियनें उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ तथा आठ यूनियनें उत्तर प्रदेश इन्जीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन से सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण

देश की वर्तमान संकटकालीन स्थिति में मजदूरों को पंचगामी, विदेशी एजेंटों से बचाने के लिये प्रदेश में सभी प्रमुख स्थानों पर राष्ट्रीय मजदूर मोर्चे का निर्माण किया गया है। कानपुर में तो सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं को बुला कर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी लिया जा चुका है। मोर्चे के माध्यम से मजदूरों को चेतन्य व जागृत रखने की योजनाएं बनाई गई हैं। संकटकालीन स्थिति की आड़ लेकर मिल मालिकों ने भी मजदूरों को पर्याप्त शोषण व परेशान किया है।

अतः इसको को ध्यान में रखकर भारतीय मजदूर संघ ने देश हित के साथ मजदूर हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील रह कर संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है ।

रोजी व रोटी से मुहताज स्वर्णकार बन्धुओं को सहयोग

समूचे देश में सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ ने ही देहरादून में १० फरवरी को स्वर्णकारों का प्रादेशिक अधिवेशन बुला कर जिसमें प्रदेश के कोने कोने से कुल तीन सौ प्रतिनिधि आये थे, उनकी समस्याओं को प्रदेश स्तर पर उठाया और जिले जिले में स्वर्णकारों को संगठित करते हुये न केवल उनको रोजी व रोटी दिलाने की जोरदार मांग की अपितु नए कार्यों में उन्हें लगवा कर सहकारी दूकानें दिलवाने में मदद की, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीक्षा दिलाने का प्रयत्न किया और इतना ही नहीं तो उनकी रोजी व रोटी की लड़ाई में कमर कस कर तैयार होने का सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ ने ही विगुल बजाया । हर्ष की बात है कि आज सत्याग्रही स्वर्णकार बिना शर्त रिहा कर दिये गये और उनकी बहुत कुछ मांगें पूरी करने का सरकार ने एलान भी कर दिया ।

दूकान अधिनियम में संशोधन

भारतीय मजदूर संघ ने दूकान कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिये दूकान अधिनियम में संशोधन की मांग लेकर दिनांक ३० अगस्त १९६२ के दिन प्रदेशव्यापी आन्दोलन किया । प्रत्येक जिले में श्रम कार्यालयों के सम्मुख कर्मचारियों ने बड़े बड़े प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया । श्रमायुक्त और श्रम मंत्री से मजदूर संघ का शिष्ट मंडल मिल कर अधिनियम में संशोधन करने के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया । सौभाग्य की बात है कि अधिनियम में संशोधन होकर २० दिसम्बर ६२ से लागू हुआ है जिससे कर्मचारियों को बहुत कुछ राहत मिल चुकी है ।

आटोरिक्सा का विरोध

प्रदेश के हजारों रिक्सा व तांगाचालकों की रोटी व रोजी छीनने वाली राज्य सरकार की घोषणा पर जिसमें कि उसने बड़े नगरों में आटोरिक्सा साने का निर्णय किया है, भारतीय मजदूर संघ ने गत १२ मई १९६३ के दिन हरिद्वार में रिक्सा, तांगा चालकों का प्रादेशिक सम्मेलन बुलाया और विरोध किया। तथा एक निर्णय लेकर बड़े नगरों में संगठित रूप से आन्दोलन करने का निश्चय किया । हजारों प्रतिनिधियों के बीच मांगों के ज्ञापन में सरकार से यह निवेदन

किया है कि रिक्शा, तांगा चालकों को बिना अन्य रोजी दिये आटोरिक्शा लाने का निर्णय वह स्पष्ट कर दे। उस सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बढ़ती हुई बेकारी में एक आटोरिक्शा आकर एक सौ रिक्शाचालकों को बेकार कर देगा। अतः अमानुषिकता की वृहद्देकर हजारों परिवारों के पेट पर वह लात न मारे। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है, कि बड़े नगरों की मोड़ में आटोरिक्शा जान लेवा यन्त्र ही सिद्ध होगा। अस्तु उसको लाना सर्वथा अनुपयुक्त है।

राष्ट्रीय श्रम दिवस का आयोजन

विश्वकर्मा जयन्ती पर प्रदेश के सभी प्रमुख स्थानों पर राष्ट्रीय श्रम दिवस का आयोजन किया गया। न केवल छोटे छोटे संस्थानों के मजदूरों में अपितु प्रदेश के बड़े बड़े कारखानों में भी इस दिवस को मानने का वृहद् पैमाने पर समारोह किया गया। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, देहरादून आदि प्रमुख श्रमिकों केन्द्र पर बड़े सज्जधज के साथ यह दिवस मनाया गया। कानपुर की बड़ी बड़ी मिलों एलगिन व म्योर मिल आदि के अतिरिक्त आई० आई० टी०, एच० वी० टी० आई० आदि इन्स्टीट्यूटों में तथा गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे वर्कशाप आदि में बड़े धूमधाम से यह दिवस मनाया गया है। श्रम दिवस के उपलक्ष में औद्योगिक केन्द्र कानपुर में पांच हजार मजदूरों का विशाल जलूस निकला और परेड के मैदान की मजदूर रैली में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी व श्री विनय कुमार मुकर्जी के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय नेताओं के भी भाषण हुए। इस प्रकार श्रमिक क्षेत्र में भी भारतीय मजदूर संघ ने भारतीय अस्मिताओं को जगाने का अति पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया है, जो कि उत्तरोत्तर बढ़ कर राष्ट्रीय नींव को सुदृढ़ बनाएगा।

श्रम विभाग का पक्षपातपूर्ण रवैया

ट्रेड यूनियन्स रजिस्ट्रार आफिस का पक्षपातपूर्ण रवैया, फलस्वरूप इन्टुक के इशारे पर सत्रहवें श्रम सम्मेलन का भी उसके द्वारा उलंघन हो रहा है। यूनियनों को जहां तीन मास के अन्दर रजिस्टर्ड कर देने का श्रम सम्मेलन ने निर्णय किया है, वहाँ रजिस्ट्रेशन देना तो दूर रहा, चार चार मास तक उन यूनियनों की जांच भी की नहीं जाती। आज भी छँ छँ और नौ नौ मास की यूनियनों बिना रजिस्टर्ड हुए रजिस्ट्रार आफिस की फाइलों में दबी कराह रही है। इन्टक के अतिरिक्त अन्य यूनियनों को श्रमिक कल्याणकारी कार्यों के निमित्त आर्थिक सहायता देने में भी रजिस्ट्रार आफिस भेदभाव बरत रहा है।

आज तो रजिस्ट्रार आफिस ही नहीं तो अपितु समूचा श्रम विभाग भ्रष्टाचार का केन्द्र बनता जा रहा है। श्रम हितकारी केन्द्रों, व राज्य बीमा चिकित्सालयों की भी दशा सौचनीय है।

विवादों की दशा भी बड़ी दयनीय है। संराधन बोर्ड से रिफरेन्स में आनेवाले विवादों के लिये उचित अनुचित की उतनी बात नहीं रह गई है जितनी प्रभावी सोर्स की। छोटे-छोटे संस्थानों के मजदूरों के लिये सिनेमा तथा दूकान एवं वाणिज्य कर्मचारियों आदि के विवाद यदि संराधन बोर्ड न सुलझा सका तो उसका दाखिल दफ्तर होना अनिवार्य सा हो गया है। आज अन्याय ही न्याय हो गया है।

सम्पूर्णानन्द पंच निर्णय व शूगर वेज बोर्ड की शिफारिशों को पूर्णतया लागू कराने में श्रम विभाग असमर्थ रहा है। प्रतीत होता है कि पूंजीपतियों के इशारे पर समूचा श्रम केन्द्र ही घूम रहा है। अब देखना यह है कि जूट उद्योग के वेज बोर्ड की शिफारिशों को लागू करने में कितना विलम्ब किया जाता है ?

हम क्या करें ?

एक ओर मजदूरों को मड़काने में कम्युनिष्ट एड़ी चोटी का पसीना एक किये हैं। उसको गुमराह करने के लिये वे खुल खेल रहे हैं तथा १३ सितम्बर के दिल्ली के प्रदर्शन में जाने के लिये स्वतन्त्र कहीं जाने वाली आल इंडिया बैंक इम्प्लोईज एशोसियेशन की ओर से २ ६० प्रति व्यक्ति देने की कम्युनिष्ट घोषणा करा पाने में सफल होते हैं, दूसरी ओर श्रम विभाग की टालू नीति व उसमें पनपते हुये भ्रष्टाचार मजदूरों को और भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर संघ ने इन सबका जबर्दस्त प्रतिकार करने का निश्चय किया है। कम्युनिस्टों की देशघाती नीतियों का मन्डाफोड़ कर तथा श्रम विभाग के भ्रष्टाचार का पोलखाता खोल कर चौराहे पर रखने का यही समय है। इसके साथ ही इन्ट्रक व मिल मालिकों के भ्रष्ट गठबन्धन के मन्डाफोड़ करने का भी यही उप-युक्त अवसर है।

मजदूरों की समस्याओं की तह में जाकर हम समझें और उसकी हर कठिनाई के निराकरण के हेतु जुटें, तथा उसको गुमराह होने से बचावें। उसको हम साहस और हिम्मत दें, साथही उसे हम एक राष्ट्रीय दृष्टि भी दें, तभी हमारा यह प्रयास सफल होगा।

सम्पन्न किये गये उल्लेखनीय कार्य

सैद्धान्तिक पहलू

भारत के श्रमिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 'सबको-काम' (आजीविका), उसका पहला नारा है। इसके लिये उसने 'श्रम-बचाऊ यंत्र' नहीं, 'श्रम-खपाऊ योजना' की मांग रखी है। वह विशाल पैमाने पर लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना चाहता है। उसका कहना है—मजदूरों को केवल रोटी ही नहीं अपितु सम्मानित जीवन भी चाहिये। मजदूर क्षेत्र में उसने स्वदेश भक्ति के जागरण का मार्ग प्रस्तुत किया है। उसे 'राम और रोटी' दोनों चाहिये। 'पैसे के समान पसीने का शेर' निश्चित करने का उसका आग्रह है। वह मजदूर को मालिक की स्थिति में बैठाने पर तुला हुआ है। राष्ट्रीयकरण उसे सह्य नहीं है। इस सरकारीकरण से तो मजदूर गुलामों का भी गुलाम हो जावेगा। उसका कहना है—उद्योगों को पूँजीपतियों से निकालकर मजदूरों के हाथ में सौंपो।

राष्ट्रीय दृष्टि

विश्वकर्मा दिवस पर 'राष्ट्रीय श्रम दिवस' की योजना करके उसने विदेशी, फूट परक और झगड़ों को जन्म देने वाले 'मई दिवस' को हटाने का शुभ संकल्प किया है। प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में इस दिवस को मनाने में उसने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला शेष हो, जहाँ यह दिवस नहीं मनाया जाता। इस वर्ष पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर के वर्कशाप में, कानपुर के टेकनिकल इन्स्टीच्यूटों में, म्योर व एलगिन आदि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलों में हजारों कर्मचारियों के मध्य इस दिवस को धूम धाम से मनाया गया तथा कानपुर की सम्बद्ध २६ यूनियनों के लगभग ५ हजार मजदूरों का एक विशाल जुलूस निकाला गया और परेड मैदान पर होने वाली सभा में महा-मंत्री श्री ठेंगड़ी व प्रदेशाध्यक्ष श्री विनयकुमार मुखर्जी तथा अन्य महासंघों के नेताओं के भाषण हुये। हर्ष की बात है कि इस वर्ष से उत्तर रेलवे के लखनऊ वर्कशाप में विश्वकर्मा जयन्ती पर सवेतन अवकाश स्वीकार कर लिया गया है।

भारतीय मजदूर संघ को भारतीयता प्रिय है। पश्चात्त बुराइयों को भारत के मजदूर क्षेत्र में न पनपने देने का उसने निश्चय किया है। तथा उसने पंचमांगी कम्युनिष्टों को मजदूर क्षेत्र से निर्मूलन करने का व्रत लिया है। 'एक उद्योग में—एक राष्ट्रवादी मोर्चे की स्थापना के लिये वह प्रयत्नशील है।

इस संकटकालीन स्थिति में प्रदेश के सभी प्रमुख केन्द्रों—कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, आगरा एवं देहरादून आदि स्थानों में 'राष्ट्रीय मजदूर संयुक्त मोर्चे' की स्थापना कराने में मजदूर संघ ने सफलता पायी है। इस मोर्चे के माध्यम से विशाल मजदूर रैली एवं अन्य कार्यक्रमों की योजनायें सम्पन्न की हैं तथा अवांछनीय तत्वों से मजदूरों को सजग और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखने का कार्यक्रम अपनाया है।

प्रदेश व्यापी आन्दोलन

दुकान व वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन कराने के लिये भारतीय मजदूर संघ ने ३० अगस्त, ६२ के दिन प्रदेश व्यापी प्रदर्शन एवं सभाओं का आयोजन किया। कुल ४३ प्रमुख स्थानों पर जिलाधीश एवं स्थानीय श्रमाधिका-रियों को ज्ञापन भेंट किये गये। इस अधिनियम में संशोधन कराने का अधिकांश श्रेय भारतीय मजदूर संघ को प्राप्त है।

स्वर्ण नियंत्रण के फल स्वरूप बेकार हुये प्रदेश के हजारों स्वर्णकारों की समस्याओं को सर्व प्रथम प्रदेश मजदूर संघ ने ही उठाया। १० फरवरी, ६३ के दिन देहरादून में प्रादेशिक अधिवेशन बुलाकर उसने एक मांग तालिका निश्चित की और जिले जिले में संगठित होकर संघर्ष करने का विगुल बजाया। प्रदेश के कोने कोने से कुल ३५० स्वर्णकार प्रतिनिधियों ने उक्त अधिवेशन में उपस्थित होकर जो निश्चय पारित किये, उसी का अनुसरण करते हुये अन्य संख्याओं ने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया है।

आज कई वर्षों से प्रति वर्ष १० प्रतिशत रिक्सा घटाने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है, जिसका समूचे प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ ने जबरदस्त विरोध किया और यह मांग रखी कि 'जब तक दूसरी रोजी न दी जा सके, रिक्सा चालकों को वर्तमान रोजी से अलग नहीं किया जाना चाहिये।' फलस्वरूप आज तक प्रदेश की कोई भी पालिका रिक्साओं के घटाने का दुःसाहस नहीं कर सकी है।

आटो रिक्सा लाने के विरोध में भी भारतीय मजदूर संघ ने १२ मई, ६३ के दिन हरिद्वार में रिक्सा-तांगा चालकों का अधिवेशन बुलाया और अपनी नीति

स्पष्ट करते हुये राज्य सरकार से यह मांग रखी कि रिक्सा-तांगा चालकों को दूसरा विकल्प दिये बिना 'आटो रिक्सा' लाने की विंशा में पग न उठाया जाय ।

संसद व विधान सभा में

लोक सभा व राज्य सभा में, केन्द्रीय विशेषकर रेल कर्मचारियों की समस्याओं को उठवाकर आम हड़ताल के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अनेक धांधलियों का निवारण कराया गया है तथा हड़ताल के कारण निष्कासित कर्मचारियों को काम दिलाया गया है ।

गत बजट सत्र के समय राज्य विधान सभा में विरोधी दल के तत्कालीन नेता श्री यादवेन्द्रदत्त दूबे के माध्यम से मजदूरों की तमाम समस्याओं को उठाने में भारतीय मजदूर संघ ने सफलता पायी है । विधान सभा में अलग से श्री कानपुर की केसा, कूपर एलेन, चुर्क सीमेंट एवं रेणुकोट अल्युमिनियम फॅक्टरी के कर्मचारियों की समस्याओं को विशेष रूप से उठाया गया है । विधान सभा के सदस्य श्री ताम्ब्रे श्वर प्रसाद व श्री रक्षपाल सिंह के प्रयास से सम्पूर्णानन्द एवार्ड को पूर्णतया लागू करने एवं स्थायी वेतन आयोग की स्थापना कराने के लिये एक अलग का महत्वपूर्ण विषय बनाकर विधान सभा ने विचार करने का समय दिया, जिसका श्रेय भारतीय मजदूर संघ को ही है ।

मजदूर विरोधी धाराओं का विरोध

संविधान के अनुच्छेद ३११ की उपधारा २ तथा ३ के संशोधनार्थ भारतीय मजदूर संघ ने सर्वप्रथम आवाज उठायी तथा विरोध में स्थान स्थान पर प्रदर्शन आयोजित किये । केन्द्रीय सरकार व विरोधी दल के नेताओं के सम्मुख उक्त अनुच्छेद में संशोधन कराने की मांग रखी तथा पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के प्रधान व भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री ज्ञानचन्द्र द्विवेदी एडवोकेट ने पूरे पृष्ठ की टिप्पणी देकर देश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण करते हुये विरोध प्रकट किया ।

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये प्रस्तावित 'संयुक्त सलाहकार परिषद' (ड्विटले कौन्सिल) का बाराणसी सम्मेलन में महामन्त्री श्री ठेंगड़ी द्वारा विशद स्पष्टीकरण किया गया तथा कर्मचारियों के मौलिक अधिकार 'हड़ताल' पर पाबन्दी लगाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया । जहाँ कुछ धाराओं की प्रशंसा करते हुये उसमें संशोधन का सुझाव प्रस्तुत किया गया, वहाँ ही मजदूर संगठनों के बाहरी नेताओं

को उसमें स्थान न देने की निन्दा की गयी, साथ ही मजदूरों को यह चेतावनी भी दी गई कि कहीं वे अपने अफसरों की मर्जी व दया पर ही निर्भर न रह जाय ।

सम्बन्धित यूनियनों द्वारा कार्य

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने इस अल्पावधि में भी श्रमिकों को उनकी अनेक उचित सुविधायें दिलाने में सफलता प्राप्त की है । भारतीय मजदूर संघ के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश विधायक निवास कर्मचारीगण रविवार एवं अन्य पर्वों पर छुट्टी की सुविधा प्राप्त करने के आंदोलन में सफल हुये हैं । पुखरायाँ टाउन एरिया में नौकरी से अनुचित तरीके से बर्खास्त किये गये मेहतरों को पुनः काम पर लाने को बाध्य किया गया है । वाराणसी के सिल्क मिल श्रमिक संघ ने २०० श्रमिकों को फ़ैक्टरी ऐक्ट की सुविधायें दिलाने एवं सिल्क की मिलों के श्रमिकों को बोनस दिलाने तथा चार सिल्क मिलों में जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत १०० श्रमिकों को सुविधायें दिलाने में भी सफलता प्राप्त की है ।

कानपुर नागरथ पेन्ट्स मिल में समस्त निकाले गये श्रमिकों एवं यू० पी० रोलिंग मिल कानपुर के १२ लोहा मजदूरों को सवेतन काम पर वापस बुलाने में सफलता पायी है साथ ही ४ आने मूल वेतन की दर से बोनस दिलाई है । इसी भांति सोलर केमिकल्स में दो बार बोनस देने को बाध्य किया है ।

कानपुर के मिश्रा होजरी के प्रबंधको की चालबाजियों का पर्दाफाश कर वहाँ के श्रमिकों को एवं जनता-पावा इन्डस्ट्रीज के श्रमिकों को फ़ैक्ट्री ऐक्ट की सुविधायें प्राप्त करायीं हैं । ब्रुशवेयर कर्मचारी यूनियन, कानपुर श्रमिकों के बोनस को साक्षीदारों को दिए जाने वाले वार्षिक लाभ के प्रतिशतांश से संबंधित कराने में तथा लाभ न होने की अवस्था में भी १५ दिन का मूल वेतन बोनस स्वरूप दिलाने में सफलता प्राप्त की है ।

सिल्क मिल श्रमिक संघ, वाराणसी ने लखनऊ और जौनपुर के भीषण बाढ़ में नियोजकों के माध्यम से पीड़ितों को धन की सहायता भेजी है । रसायनिक मजदूर संघ, वाराणसी ने साहूपुरी स्थित साहू केमिकल्स व फर्टीजाइलर्स उद्योग में सेवा सम्बन्धी ग्यायोचित शर्तों को लागू कराने में सफलता पाई है तथा श्रम हितकारी केन्द्र में चलने वाली धांधलियाँ दूर कराई है । मंहगाई भत्ता, ग्रेड स्केल तथा अवकाश आदि कई महत्वपूर्ण मांगों को संराधन अधिकारी के समक्ष रखकर

पूर्ण कराने में सफल हुआ है। ७ फरवरी ६२ की भीषण दुर्घटना में उद्योग के सभी यूनियनों व कर्मचारियों को साथ लेकर घायलों की उचित सेवा उपलब्ध कराने एवं मृत कर्मचारियों के परिवारों को समुचित मुआवजा दिलवाने में सफलता पाई है। यांत्रिक श्रमिक संघ, वाराणसी ने गत मास में दी मेटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी में समस्त मजदूरों को १२ दिनों का बोनस दिलवाया है। ड्राई क्लीनर्स श्रमिक संघ, वाराणसी ने 'बनारस ड्राईक्लीनर्स' कम्पनी में राज्य वीमा, प्राविडेंट फण्ड एवं फैक्टरी एक्ट की अधिकांश सुविधायें लागू कराई हैं तथा बोनस दिलाया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी की ६ और ड्राईक्लीनर्स कम्पनियों में काम के घंटे, समय पर वेतन वितरण तथा अवकाश के घंटे निश्चित कराने में सफल हुआ है।

कानपुर की ब्रुश बेयर कर्मचारी यूनियन ने ब्रुश बेयर लि० में हर श्रमिक को प्रतिवर्ष तरक्की दिलाने में सफलता पायी है। सिकौडिया ट्रेड्स, दार्जिलिंग ब्रिजल मर्चेन्ट, मुकुन्दलाल एण्ड सन्स आदि उद्योगों में १५ मामले यूनियन ने लड़ी तथा मजदूरों को कुल २ हजार रुपये दिलवायी है। ब्रुश बेयर लि० द्वारा निकाले गये १८ श्रमिकों को पुनः काम पर नियुक्ति करायी तथा अनुचित बैठकी का भी पैसा दिलाया है। आरा मशीन मजदूर यूनियन, कानपुर ने लकड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का वेतन २० प्रतिशत वृद्धि कराने में सफलता पाई है। यूनियन के प्रयास से इस उद्योग के १९ प्रबन्धकों ने एक मास का वेतन बोनस के रूप में बांटा है। विभिन्न प्रतिष्ठान से निकाले गये ८० मजदूरों में से यूनियन ने ६५ को पूर्ववत् काम पर लगवा दिया तथा शेष १५ को भी मुआवजे का कानूनी हक दिलाने में सफलता पायी है। इसके अतिरिक्त ३ दुर्घटनाओं में पौने तीन हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिलवायी है। चार आरा मशीनों में फैक्ट्री एक्ट लागू करायी है। बीमारी आकस्मिक व सवेतन अवकाश दिलाने में यूनियन ने सफलता प्राप्त की है तथा काम के १० व ११ घंटे के स्थान पर ८ घंटे निश्चित कराई है। कानपुर की नागरथ पेन्ट्स मिल मजदूर संघ ने पेन्ट्स के कारखानों में कोई वेतन क्रम न रहने पर भी मजदूरों को हर वर्ष तरक्की दिलाई है। नागरथ पेन्ट्स कारखाने ने जो लगातार ३ वर्ष के बोनस को रिट करके रोक रक्खा था, यूनियन ने उक्त सभी वर्षों का कुल ४ हजार रुपये बोनस दिलाने में सफलता पाई है तथा कारखाने में प्रेच्युटी स्कीम भी लागू कराई है। ठेलिया पल्लेदार मजदूर संघ, कानपुर द्वारा पुलिस के नाजायज चालान रोके गये तथा हजारों की संख्या में ठेलिया वालों का जुलूस निकाल कर जिलाधीश को ज्ञापन

दिया गया। सड़कों से उठाकर ठेलियों को लेजाने वाली नगरपालिका की गाड़ियों (ट्रकों) के सामने धरना देकर इस अनुचित कार्यवाही पर रोक लगाई गयी। फेक्ट्री एक्ट से बचने के लिये मिश्रा होजरी के प्रबन्धकों ने अलग अलग नामों से काम प्रारम्भ किया था, यूनियन ने लड़ाई लड़कर उन सभी को मिलाकर एक कारबार तथा टेम्परेरी कर्मचारियों को मुस्तकिल कराने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय केमिकल्स मजदूर संघ, कानपुर के माध्यम से केमिकल्स फॅक्टरियों में भट्टी पर काम करने वाले मजदूरों को वर्दी, कपड़े व दूध की व्यवस्था कराई है तथा प्रतिवर्ष बोनस व तरक्की दिलाई है। कानपुर की टेक्सटाइल, इन्जीनियरिंग, चमड़े व कूपर एलेन मिलों से सम्बन्धित हजारों विवादों को यूनियनों ने सुलझाया है तथा मजदूरों को पैसे विलाये हैं।

लखनऊ स्थित डेरी वर्कर्स यूनियन ने निष्कासित ८५ मजदूरों को पुनः काम पर लगवाया साथ ही उस दुग्ध सहकारी संस्था में सेवा की शर्तें लागू कराने में सफलता प्राप्त की है। मुद्रण व प्रकाशन कर्मचारी संघ, लखनऊ ने कर्मचारियों को १५ दिन का बोनस दिलवाया है।

मिरजापुर स्थित रेणुकोट अल्युमिनियम फॅक्टरी के मजदूरों की आवास एवं जल व्यवस्था की पूर्ति में व उनके जले हुये सामान व झोपड़ियों की मुआवजा दिलाने में अल्युमिनियम कर्मचारी यूनियन ने सफलता प्राप्त की है।

गोखपुर के नाविक जल मजदूर संघ के तत्वावधान में हजारों मजदूरों की आजीविका का प्रबन्ध किया गया है तथा सहकारी संस्थाओं के निर्माण द्वारा अन्य सुविधायें दिलाई गयी हैं। जिला निषाद धीवर फेडरेशन, बांदा के प्रयास से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये भूरागढ़ ग्राम में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी पाठशाला प्रारम्भ हुई है।

पिलखुआ कर्मचारी संघ, पिलखुआ (मेरठ) ने अपने बाजार में इस वर्ष से दुकान व वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम लागू कराने में सफल हुआ है। रामनगर व्यवसायी कर्मचारी संघ, रामनगर (नैनीताल) द्वारा अनेक विवादग्रस्त मामले तय किये गये हैं तथा दुर्घटना से घायल आरा मशीन के एक मजदूर को ३५२८६० मुआवजे के रूप में दिलाया है।

सहारनपुर में संयुक्त मोर्चे द्वारा महापालिका के कर्मचारियों तथा लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल के मजदूरों की वेतन व अन्य सुविधायें दिलाने में भारतीय मजदूर संघ को सफलता मिली है। हरिद्वार रिक्शा चालक संघ के माध्यम से जहाँ एक ओर पालिका व पुलिस की ज्यादाती रोकी गई है वहाँ ही रिक्शाचालकों

में श्री पर्याप्त मात्रा में अनुशासन व नागरिकों की सुख सुविधा सम्बन्धी अनेक बातों के पालन के लिये जोर दिया गया है।

श्रमिक संघ चीनी मिल, बलरामपुर ने सैकड़ों विवाहों में सफलता प्राप्त की है। मसौधा चीनी मिल (फँजाबाद) के मजदूरों की तमाम समस्याओं का निराकरण करने में भारतीय मजदूर संघ सफल हुआ है। चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, कठकुइया (देवरिया) के जबरदस्त विरोध के कारण 'मान्य छुट्टी के दिन साप्ताहिक अवकाश पड़ जाने पर एक दिवस के अतिरिक्त वेतन न देने का निश्चय' बदलना पड़ा है। एक फिटर को चोट लग जाने पर यूनियन ने ६० रुपये मुआवजा दिलाया है। अभिनवीकरण के नाम पर निकाले गये कर्मचारियों का विवाद श्रमायुक्त के यहाँ प्रस्तुत कर यूनियन ने पुनः उन्हें बहाल कराया है।

भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ, पड़रौना में मिल में जाने के रास्ते पर प्रकाश की व्यवस्था कराने में सफल हुआ है। एक कार्यकर्ता के निष्कासन का विरोध करके यूनियन ने पुनः उसकी नियुक्ति कराई है। फँजाबाद स्थित मसौधा चीनी उद्योग कर्मचारी संघ ने वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत एक सदस्य को ११५२ रुपये विलाने में सफल हुआ है।

डुकान कर्मचारी संघ, गोरखपुर ने वेतन व काम से पृथक किये जाने सम्बन्धी कुल ५० विवाहों में सफलता पाई है। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, गोरखपुर द्वारा एक दातव्य औषधालय, सस्ते व उचित दामों पर उपलब्ध राशन की दो दुकानें तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सह-समितियों की स्थापना की गई है। यूनियन ने वर्कशाप के एक फोरमैन के अमर व्यवहार के कारण उनका स्थानान्तरण कराया है। डी० ई० एन० गोंडा ने बहुत से कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया था, श्रमिक संघ ने प्रयास करके उन्हें काम पर पुनः नियुक्त कराया तथा क्वार्टर्स के बड़े किराये को स्थगित कराया है।

बरेली बाजार कर्मचारी संघ ने अब तक के कार्यकाल में १३ कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लगवाया तथा १७ कर्मचारियों के समुचित वेतन व अन्य मुआवजे दिलाने में सफल हुआ है। एक मजदूर के हाथ टूट जाने पर न्यायालय द्वारा ११०० रुपये मुआवजे के रूप में दिलाया। संघ ने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में कुल ११३७ रुपये ५० नये पैसे भेंट की है।

रेलवे कुली संघ, सीतापुर ने कुलियों से बेगार लेना बन्द कराया। स्टेशन पर रहने के लिये उनके आश्रय स्थान की व्यवस्था करायी। राज मजदूर संघ, सीतापुर द्वारा १५ निष्कासित मजदूरों को पुनः नौकरी पर रखाया गया।

प्रेस कर्मचारी संघ, गाजियाबाद ने ४ प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर रखाने में सफलता पाई है तथा ८ मजदूरों को वेतन दिलाने व ६ मजदूरों को पुनः नियुक्ति कराने में सफल हुआ है।

मेरठ जिला इन्जीनियरिंग मजदूर यूनियन, गाजियाबाद के प्रयास से रवि इन्जीनियरिंग के ११, सुभाष इन्जीनियरिंग के ८, पिलखुआ व हिन्द कॅलेन्डरिंग तथा भारत वक्स के एक एक मजदूरों को पुनः काम पर नियुक्त कराया गया और बैठकी का पैसा दिलाया गया। इन्जीनियरिंग के ६ कारखानों में यूनियन ने बोनस दिलवायी। हिन्द कॅलेन्डरिंग वक्स पिलखुआ में मजदूरों के बकाये का १२५० रुपये दिलाया गया।

देहरादून स्वर्णकार संघ की ओर से ९ कारीगरों को १५० रुपये से लेकर ९०० रुपये तक हिसाब के अनुसार मुआवजा दिलाया गया। देहरादून की ट्रंक मेकर्स एवं ब्लैक स्मिथ्स यूनियन ने तीन बार हड़तालें करके मजदूरों के वेतन बढ़ाने में सफलता पाई है। तांगा चालक संघ, देहरादून ने पीड़ित तांगा चालकों को पुलिस की बेगार से बचाया तथा शहर में स्थान स्थान पर तांगा स्टैंड बनवाने में सफलता प्राप्त की। रेलवे अधिकारियों द्वारा लगाये जा रहे नाजायज टैक्स को पार्ल्यामेंट में प्रश्न उठाकर समाप्त कराया, घोड़ों की छाया के लिये टीनें दिलवायीं। दुर्घटना आदि से क्षति हुये मामले में १०० रुपये से ६०० रुपये तक मुआवजा दिलवाया। देहरादून आरा मशीन कर्मचारी संघ की ओर से अब तक लगभग १ दर्जन मुकदमों में सफलता प्राप्त करके दुर्घटनाओं के कारण क्षति पूर्ति के फलस्वरूप २५० रुपये से लेकर ९०० रुपये तक का मुआवजा दिलवाया गया है। टेलर्स वर्कर्स यूनियन, देहरादून ने अपने अल्प समय में ही मजदूरों की २५ प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने में सफलता प्राप्त करली है।

देहरादून भारतीय मजदूर संघ का एक गढ़ है जहाँ हर एक मजदूर उसकी शरण में आकर सुरक्षित रहता है। श्री नित्यानन्द स्वामी के नेतृत्व में अनेकानेक आन्दोलन वहाँ सफल हुये हैं। ननकू पासी नामक मजदूर का प्रसिद्ध मुकदमा स्मरणीय है। जिसे पुलिस ने हिरासत में बन्द करके मारा पीटा था और उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस प्रश्न को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया जिसकी गूँज कई बार राज्य विधान सभा में भी हुई। सरकार ने इस मामले को तीन-तीन बार दबा देने की साजिश की पर लगातार संघर्ष करके बोधी पुलिस को इस वर्ष दंड दिलाने में भारतीय मजदूर संघ को सफलता मिली है।

विशेष तिथियाँ

॥ भारतीय मजदूर संघ ॥

- १- भारतीय मजदूर संघ की स्थापना—'यूनियन के रूपमें' (१५ नवम्बर, ५३)
- २- " " " " " 'महासंघ के रूपमें' (२४ फरवरी, ५७)
- ३- " " " " " को मान्यता प्राप्त (१९ दिसम्बर, ६०)
- ४- मान्यता प्राप्त के पूर्व—'प्रथम, द्वितीय व तृतीय वार्षिक अधिवेशन एवं प्रतिनिधि सम्मेलन'—कानपुर में ।
- ५- चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन—कानपुर (नारायणी धर्मशाला) २२, २३ अक्टूबर, ६० प्रतिनिधि सम्मेलन—वाराणसी (टाउन हाल) ६-७ मई, ६१
- ६- पंचम वार्षिक अधिवेशन आगरा (अचल भवन) १४-१५ अक्टूबर, ६१ प्रतिनिधि सम्मेलन—देहरादून (जैन धर्मशाला) १२-१३ मई, ६२
- ७- षष्ठ वार्षिक अधिवेशन—गोरखपुर (नगरपालिका—पुस्तकालय भवन) १९, २० व २१ अक्टूबर, ६२ । प्रतिनिधि सम्मेलन—गाजियाबाद (सरस्वती शिशु मन्दिर) २६, २७ व २८ अप्रैल, ६३
- ८- सप्तम वार्षिक अधिवेशन—बरेली (लण्डेलेवाल धर्मशाला) २-३ अक्टूबर ६३

औद्योगिक महासंघ

- १- उत्तर प्रदेश दुकान कर्मचारी संघ की स्थापना २१ सितम्बर, ६२
- २- उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ की स्थापना २१ अक्टूबर, ६२
- ३- उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना २३ मार्च, ६३
- ४- उत्तर प्रदेश इन्जीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन की स्थापना १७ मार्च, ६३
- ५- पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की स्थापना २६ मार्च, ६२

प्रदेश व्यापी आन्दोलन

- १- दुकान अधिनियम में संशोधन की मांग—३० अगस्त, ६२
- २- राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण—९ दिसम्बर, ६२
(राष्ट्रीय जागरण के लिये तथा पंचमांगियों के विरोध में)
- ३- स्वर्णकार सम्मेलन (स्वर्ण नीति के विरोध में) १० फरवरी, ६३
- ४- रिक्सा-तांगा चालक सम्मेलन (आटो-रिक्शा के विरोध में) १२ मई, ६३

सम्बद्ध यूनियनें

उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित ११८ यूनियनें हैं, जिनकी सदस्य संख्या १८ हजार के लगभग है। उद्योगों के अनुसार मजदूर यूनियनों की नामावली यहां दी जा रही है—

टेक्सटाइल उद्योग

१—कपड़ा मिल कर्मचारी संघ, कानपुर २—सिल्क मिल्स श्रमिक संघ, बाराणसी ३—सूती मिल मजदूर संघ, सहारनपुर ४—सूती मिल कर्मचारी संघ, हाथरस ५—पिलखुआ कपड़ा कलेन्डरिंग मशीन वर्कर्स यूनियन, गाजियाबाद ६—हेन्डलूम वर्कर्स यूनियन, गाजियाबाद ७—जूट मिल श्रमिक संघ, कानपुर ८—भारतीय होजरी मजदूर संघ, कानपुर।

चीनी उद्योग

१—श्रमिक संघ चीनी मिल, बलरामपुर २—गन्ना कर्मचारी संघ, महोली (सीतापुर) ३—चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, कठकुइयां (देवरिया) ४—भारतीय चीनी मजदूर संघ, पड़रौना (देवरिया) ५—भारतीय चीनी मिल कर्मचारी संघ, सिसवा (गोरखपुर) ६—मसौधा चीनी मिल कृषि विभाग श्रमिक संघ, फंजाबाद ७—भारतीय चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, छितौनी (देवरिया) ८—भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ, खेतान मिल्स, रामकोला (देवरिया) ९—चीनी मिल कर्मचारी संघ, शामली (मुजफ्फरनगर) १०—भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ (पी), रामकोला (देवरिया) ११—भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ, पिपराइच (गोरखपुर) १२—भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ, घुघली (गोरखपुर) १३—चीनी मिल श्रमिक संघ, बुलन्दशहर १४—चीनी मिल कर्मचारी संघ, सेवरही (देवरिया) १५—गन्ना श्रमजीवी संघ, शामली (मुजफ्फरनगर) १६—मसौधा चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, मोतीनगर (फंजाबाद) १७—श्रमिक संघ चीनी मिल, तुलसीपुर (गोंडा)।

केन्द्रीय कर्मचारी

१—पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, गोरखपुर २—नवीन प्रगतिशील इन्सपेक्टरेट श्रमिक संघ, कानपुर ३—उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन (केन्द्रीय कार्यालय-दिल्ली)।

विश्वविद्यालय

१—यूनिवर्सिटी इम्प्लाइज यूनियन, गोरखपुर २—गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय कर्मचारी यूनियन, हरिद्वार ३—लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, लखनऊ ४—विद्यालय कर्मचारी संघ, कानपुर ५—रुड़की विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रुड़की।

इन्जीनियरिंग उद्योग

१—भारतीय आइरन एण्ड इन्जीनियरिंग मजदूर संघ, कानपुर २—सिंह प्लेट मिल्स कर्मचारी यूनियन, कानपुर ३—राज मजदूर संघ, सीतापुर ४—मेरठ जिला इन्जीनियरिंग मजदूर यूनियन, मेरठ ५—लोह इस्पात इन्जीनियरिंग मजदूर संघ, गाजियाबाद ६—लोह इस्पात मजदूर संघ, मुजफ्फरनगर ७—कानपुर आइरन एण्ड स्टील इम्प्लाइज यूनियन, यू० पी०, कानपुर ८—यांत्रिक श्रमिक संघ, वाराणसी ९—ट्रंक मेकर्स एण्ड ब्लैकस्मिथ्स यूनियन, देहरादून १०—साइकिल कर्मचारी संघ, कानपुर ११—गाजियाबाद जनरल इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० मजदूर यूनियन, गाजियाबाद।

आरा मशीन

१—आरा मशीन मजदूर यूनियन, कानपुर २—आरा मशीन कर्मचारी संघ, देहरादून ३—आगरा आरा मशीन मजदूर संघ, आगरा ४—फर्नीचर मेकर्स कर्मचारी संघ, देहरादून।

दुकान कर्मचारी

१—दुकान कर्मचारी संघ, गोरखपुर २—ऋषिकेश कर्मचारी संघ. ऋषिकेश ३—दुकान कर्मचारी संघ काशीपुर ४—बरेली बाजार कर्मचारी संघ, बरेली ५—बलरामपुर दुकान कर्मचारी संघ, बलरामपुर ६—दुकान कर्मचारी मजदूर संघ प्रयाग ७—पिलखुआ कर्मचारी संघ, पिलखुआ (मेरठ) ८—हलुवाई एवं होटल कर्मचारी संघ, वाराणसी ९—रामनगर व्यवसायी कर्मचारी संघ, रामनगर नैनीताल १०—शामली दुकान कर्मचारी संघ शामली (मुजफ्फरनगर) ११—होटल वर्कर्स यूनियन, बरेली १२—जिला जालौन बाजार कर्मचारी संघ जालौन १३—हापुड़ कर्मचारी संघ, हापुड़ मेरठ १४—दुकान एवं वाणिज्य कर्म-चारी, कानपुर।

मुद्रण व प्रकाशन

१—मुद्रण कर्मचारी संघ, वाराणसी २—गवर्नमेन्ट प्रेस मजदूर यूनियन, लखनऊ ३—प्रेस कर्मचारी संघ, गाजियाबाद ४—मुद्रण व प्रकाशन कर्मचारी संघ, लखनऊ ५—प्रेस कर्मचारी संघ, रायबरेली ६—प्रेस कर्मचारी यूनियन, कानपुर ।

केमिकल्स

१—भारतीय केमिकल मजदूर संघ, कानपुर २—रासायनिक मजदूर संघ, वाराणसी ३—केमिकल्स पेन्ट्स मजदूर यूनियन, गाजियाबाद ।

कोल्ड स्टोरेज

१—आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी संघ, कानपुर २—कोल्ड स्टोरेज इम्प्लाइज यूनियन, उ० प्र० कानपुर ३—कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस वर्कर्स यूनियन गाजियाबाद ।

रिक्सा, तांगा चालक

१—हरिद्वार रिक्सा चालक संघ, हरिद्वार २—रिक्सा चालक संघ, फिरोजाबाद ३—भारतीय रिक्सा चालक संघ, गोरखपुर ४—टांगा चालक संघ, देहरादून ५—रिक्सा चालक संघ, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) ६—रुड़की रिक्सा चालक कमेटी, रुड़की (सहारनपुर) ।

चमड़ा उद्योग

१—आगरा शू मजदूर संघ, आगरा २—लेदर इन्डस्ट्रीज इम्प्लाइज यूनियन, कानपुर ३—कूपर एलेन मजदूर कमेटी, कानपुर ४—सी० ए० एण्ड एन० डब्लू० टी० टेकनिकल एण्ड सुपरवाइजरी स्टाफ यूनियन, कानपुर ।

धातु उद्योग

१—अल्यूमिनियम कर्मचारी यूनियन, रेणुकूट (मीरजापुर) २—कांच एवं चूड़ी उद्योग मजदूर संघ, फिरोजाबाद ३—पीतल मजदूर यूनियन, हापुड़ (मेरठ)

मिल उद्योग

१—मिल मजदूर संघ, अतर्रा (बांदा) २—बलरामपुर राइस, दाल तथा

आटा मिल मजदूर यूनियन, बलरामपुर ३-कानपुर आयल मिल्स इम्प्लाइज यूनियन, उ० प्र० कानपुर ।

ठेलिया पल्लेदार

१-ठेलिया पल्लेदार मजदूर संघ, प्रयाग २-ठेलिया पल्लेदार मजदूर संघ, कानपुर ।

रेलवे कुली

१-एन० ई० आर० पोर्टर्स एसोसिएशन, गोरखपुर २-रेलवे कुली संघ, सीतापुर ।

सिनेमा

१-सिनेमा इम्प्लाइज यूनियन, यू० पी०, कानपुर २-जिला सिनेमा इम्प्लाइज यूनियन, बलरामपुर (गोंडा) ।

स्वायत्त विभाग

१-नगरपालिका जलवाहक संघ, सीतापुर २-टाउन एरिया कर्मचारी संघ, पुखरायां (कानपुर) ३-जलकल कर्मचारी संघ, बांवा ४-नगर क्षेत्र समिति कर्मचारी संघ, तुलसीपुर (गोंडा) ५-कानपुर महापालिका कर्मचारी संघ, कानपुर ६-सफाई मजदूर संघ, सासनी (अलीगढ़)

नाविक जल मजदूर

१-नाविक जल मजदूर संघ, गोरखपुर २-जिला धीवर निषाद फेडरेशन, बांवा ।

राज्य कर्मचारी

१-राजकीय रोडवेज कर्मचारी सुरक्षा संघ, बरेली २-विधायक निवास कर्मचारी संघ, लखनऊ ३-राजकीय यांत्रिक कृषि क्षेत्र मजदूर संघ, सैदपुर (सांसी)

स्वर्णकार

१-श्री स्वर्णकार संघ, हाथरस (अलीगढ़) २-आगरा स्वर्णकार मजदूर संघ, आगरा ।

विविध

१-ब्रह्म वेयर कर्मचारी यूनियन, कानपुर २-नागरथ पेन्ट्स मिल मजदूर संघ, कानपुर ३-डैरी वर्कर्स यूनियन, लखनऊ ४-ड्राई क्लीनर्स श्रमिक संघ, वाराणसी ५-हरिजन कर्मचारी यूनियन, रामनगर (नैनीताल) ६-एन्टी वायो-टिक्स प्रोजेक्ट कर्मचारी संघ, ऋषिकेश ७-गत्ता कागज मजदूर यूनियन, गाजियाबाद ८-टेलर्स वर्कर्स यूनियन, देहरादून, ९-उत्तर सण्ड बन कर्मचारी संघ, तुलसीपुर (गोंडा)

उक्त यूनियनों के अतिरिक्त ४ औद्योगिक महासंघों की स्थापना की गई है। वे हैं-

१-उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ २-उत्तर प्रदेश बुकान कर्मचारी संघ ३-उत्तर प्रदेश इन्जीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन तथा ४-उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ ।

इन महासंघों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय व प्रेस कर्मचारी तथा रिक्सा चालक यूनियनों के औद्योगिक महासंघों की भी स्थापना करने की योजना बनायी गयी है ।



“कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहिताः ॥”

‘दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है तो सफलता बायें हाथ में रखी है।’

-अथर्ववेद

सभी यन्त्रों का—

हँसिया का और हथौड़ा का,

हल का और चक्र का,

चरखे का तथा स्पुटनिक का,

सृजनकर्ता

मानव का अँगूठा ।

संगठन की रूप रेखा

प्रदेश के कार्य की देख-रेख प्रदेश कार्यसमिति करती है, जिसमें २५ सदस्य हैं। कार्यसमिति ने पूरे प्रदेश को—(१) कानपुर (२) लखनऊ (३) गोरखपुर (४) प्रयाग (५) आगरा (६) बरेली तथा (७) मेरठ—कुल ७ क्षेत्रों में विभक्त करके क्षेत्रीय संगठनों की नियुक्तियां की हैं। वे अपने क्षेत्र का दायित्व वहन करते हैं तथा जिला संयोजक की नियुक्तियां व जिला समितियों की स्थापना करके उन्हें भी सक्रिय करने का प्रयत्न करते हैं।

इस प्रकार सम्बन्धित सभी यूनियनों न केवल प्रदेश से अपितु क्षेत्रीय व जिला इकाइयों से भी नियंत्रित होती हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर औद्योगिक महासंघों की स्थापना व उद्योग प्रमुखों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। वे अपने विशिष्ट उद्योग के प्रति जिम्मेवार रहकर सम्बन्धित मजदूर समस्याओं के निराकरण का उपाय ढूँढ़ेंगे तथा कार्य का विस्तार करेंगे।

किसी भी देश की पूंजी श्रम ही हुआ करती है। श्रम और श्रमिकों के स्थान पर सोने चांदी को महत्व देना या चांदी के टुकड़ों के लालच में श्रमिकों की उपेक्षा करना, सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को हलाल करने के समान है।



हमारी अर्थ रचना की सफलता के लिये श्रम बचाऊ यंत्र नहीं, श्रम खपाऊ योजना चाहिये।

भारतीय मजदूर संघ क्यों ?

भारत की औद्योगिक एवं श्रमिक समस्या

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की आज की विशेषता यह है कि उद्योगों की रचना, औद्योगिक सम्बन्धों का स्वरूप तथा औद्योगिक कानून—इन सब का स्वरूप अमरतीय है। भारत की प्रकृति, परम्परा तथा परिस्थिति के बिलकुल प्रतिकूल है। गत शताब्दी के मध्य यूरोप में भाप (Steam) के आधार पर यंत्रयुग का विकास हुआ। भाप का विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता था। अतः बड़े बड़े कारखाने स्टीम के आधार पर चले। होने वाले उत्पादन की प्रक्रियाओं का भी विकेन्द्रीकरण नहीं हो सका। अस्तु, मजदूरों का केन्द्रीकरण हुआ। सरमाया का केन्द्रीकरण हुआ। अर्थात् श्रम एवं पूँजी दोनों का केन्द्रीकरण अपरिहार्य हो गया। फलस्वरूप सम्पत्ति के केन्द्रीकरण से श्रमिकों में पृथक्त्व की भावना तथा मालिक मजदूर संघर्ष का वातावरण निर्माण हुआ, जो आज भी जैसा का तैसा सतत विद्यमान है।

यह अन्धानुकरण

एक ओर जहाँ पश्चिम इस प्रकार के यन्त्रीकरण एवं केन्द्रीकरण के दुष्परिणामों से मुक्ति नहीं पा सका तो भी दूसरी ओर गत शताब्दी में ही धन के लोभ में आकर हमारे यहां के उद्योगपतियों ने पश्चिमी उद्योगों का बिना सोचे समझे अन्धानुकरण किया और उधर की उद्योग रचना इधर भी लाई। इसी का परिणाम है—“अमरतीय स्वरूप के औद्योगिक सम्बन्ध तथा औद्योगिक कानून।” इस औद्योगिक कानून का आधार हमारी परम्परा, प्रकृति या परिस्थिति नहीं वरन् *British Common law and Equity, law of Master and Servant* तथा *British Industrial Legislation* है। यही कारण है कि ये कानून हमारी परिस्थिति में ठीक नहीं बैठते और हमारी समस्याओं का समाधान अथवा हल नहीं कर सकते।

जो वेतनभोगी नहीं हैं

एक छोटा-सा प्राथमिक उदाहरण ही लीजिये—मजदूर किसको कहा जाय ? हमारे यहां कहा गया है—“कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीबिषेत् शतंसमाः” अर्थात् हर

एक व्यक्ति को कर्म करते ही रहना चाहिये । इस सांस्कृतिक अर्थ में हर एक व्यक्ति श्रमिक है । किन्तु आज के कानून के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति श्रमिक नहीं समझा जाता । एक तो वह वेतन-भोगी (*Wage earner*) होना चाहिये दूसरी बात यह कि उसका मासिक वेतन पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये तथा तीसरी बात यह है कि उसके काम का स्वरूप व्यवस्थापकीय न हो । ये तीनों शर्तें जिन पर लागू होंगी, वे ही *Worker* या मजदूर कहे जायेंगे । अर्थात् पांच सौ रुपये से अधिक माहवार कमाने वाले व्यक्ति कितने ही परिश्रमी क्यों न हों, उन्हें श्रमिक नहीं कहा जायगा और श्रमिक के लिये निश्चित सुविधाओं से वे व्यक्ति स्वयं परिश्रमी होते हुये भी वंचित रहेंगे । क्या व्यवस्थापकीय स्वरूप का कार्य करने वाले व्यक्तियों को कम श्रम करना पड़ता है ? नहीं । फिर भी उन्हें कानून की आंखों में "श्रमिक" नहीं कहा जायेगा । इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ दें तो भी भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे कारीगरों की है, जो परिश्रम तो आठ घण्टे से अधिक करते रहते हैं, किन्तु वेतनभोगी नहीं हैं । हमारे बढ़ई, लुहार, स्वर्णकार, दर्जो, नाई, धोबी, राज आदि कारीगर जो किसी भी कारखाने के मजदूर की अपेक्षा कम काम नहीं करते, कानून इन्हें 'श्रमिक' नहीं समझता ।

विभिन्न क्षेत्रों में

हमारे बाबू लोग जो केवल ८ घण्टे काम करते हैं, कानून की दृष्टि में श्रमिक बन जाते हैं । औद्योगिक कानून ऐसे बाबू लोगों को संरक्षण देता है, पर वास्तविक परिश्रमी कारीगरों को नहीं । क्योंकि बढ़ई के मन में कभी नहीं आता कि हमारे *Working hours* कितने हैं ? चित्रकार बीस बीस घण्टे काम करता है, उसे उसमें रस आता है । जो उसका काम है वही विश्राम हो जाता है । तभी उस काम में, उस कला में विकास भी होता है तथा वे सिद्धहस्त, निपुण एवं विशेषज्ञ बनते हैं । मेघ आने पर मयूर जब नृत्य करने लगते हैं—*Working hours* नहीं जोड़ा करते । उसी प्रकार दिन रात काम करने वाले बिना चिल-पों मचाये मस्ती के साथ जुटने वाले ये ही हमारे कारीगर वास्तव में सच्चे श्रमिक (*Worker-in-fact*) हैं । बाबू लोग तो केवल कानून के अन्तर्गत 'श्रमिक' (*worker-in-law*) हैं । मजाक में ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह *father in-law* कभी भी *father* नहीं बन सकता उसी प्रकार *workers-in-law* को भी परिभाषा बनाई जा सकती है । इस विनोद को छोड़ भी दें तो भी आज का कानून *worker-in-fact* को "worker" के नाते मान्यता देने की

तैयार नहीं है। अर्थात् सच्चे श्रमिकों को संरक्षण न देने वाला भारत का औद्योगिक कानून है।

सच्चे श्रमिकों को संरक्षण नहीं

जिन श्रमिकों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध भी है, वहां उस कानून के अन्तर्गत निर्माण हो सकने वाली मशीनरी का उपयोग अधिकतर संगठित उद्योगों के श्रमिकों को ही होता है—असंगठित उद्योगों में बिखरे हुए असंख्य श्रमिकों को नहीं। गृहोद्योग तथा *Small-Scale-industries* में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक तथा पांच करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिये इन औद्योगिक कानून द्वारा निर्माण हो सकने वाली विविध मशीनरियों का उपयोग कर लेना असम्भव है। इनके लिये कानून भी अप्रयुक्त हैं। जो बने भी हैं उसका पालन होना सम्भव नहीं होता। बड़े उद्योग या बड़ी सेवाओं में काम करने वाले छोटे *Catagories* के श्रमिकों का हित भी आज आँखों से ओझल होता जा रहा है। पेन्शनर्स की संख्या भी आज देश में बहुत है। आज उनकी ओर ध्यान देने का विचार सरकार या यूनिवर्स को होना को चाहिये था, पर ऐसी प्रेरणा प्रदत्त करने वाला भाव आज के उस औद्योगिक कानून में नहीं है। संगठित बड़े उद्योगों में भी जिसकी आवाज जनता, सरकार और प्रेस को सुनना पड़ता है—दो सेक्टर हैं, एक *Public* और दूसरा *Private* दोनों के मजदूरों की वशा एवं दुर्दशा हम जानते ही हैं। पश्चिम का सम्पूर्ण ढाँचा इसमें खड़ा किया गया है। केवल 'लाम के लिये उत्पादन' (*Profit Motive*) इनका उद्देश्य रखा गया है। अपनी कमजोरी एवं हीन भावना के कारण जो ब्रिटिश कानून यहां लाया गया है—उसका पालन करने में वहां की पूरी पूरी नकल भी नहीं की गई है ये सारी बातें हमें बताती हैं कि औद्योगिक कानून अभारतीय होनेके कारण सच्चे श्रमिकोंको संरक्षण देने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है।

यद्यपि 'भारतीय मजदूर संघ' भारतीय-समाज रचना अर्थात् भारतीयता को अन्तिम उद्देश्य मानता है तो भी जब तक भारतीय विशेषताओं से युक्त 'भारतीय समाज-व्यवस्था' के पुनर्निर्माण का प्रयत्न सफल नहीं हो जाता—उसे वर्तमान ढाँचे में ही काम करना है।

आज दुनिया का औद्योगिक क्षेत्र विकेन्द्रित हो सकता है, क्योंकि स्टीम का स्थान *Power* (बिजली) ने ले लिया है। अस्तु, उत्पादन साधनों का विकेन्द्रीकरण औद्योगिक समस्या का प्रथम हल है।

मांगे असीमित नहीं

लोग कहते हैं मजदूरों को कितना ही वो उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकतीं पर क्या पूंजीपतियों को कितना ही धन प्राप्त हो उनकी 'हविस' पूरी होती है ? हमारा कहना है मजदूरों की मांगे सीमित हैं असीमित नहीं । उनकी मांगों की 'लक्ष्मण रेखा' निर्धारित है आज से नहीं वरन् परम्परा से ही । अंग्रेजी के अधिक नामों से लोग घबड़ा से जाते हैं । जैसे बेसिक वेजेज, वर्किंग आवर, वर्कलोड, ले आफ, डियरनेस एलाउन्स, पेन्शन, ग्रेच्युइटी, प्राविडेन्ट फण्ड, सोशल सिक्युरिटी, वर्कमेन्स कम्पन्सेशन, रिटायरमेन्ट बेनीफीट, हार्डसिंग आदि पचासों नाम प्रयोग में लाये जाते हैं । पाश्चात्य देशों में कहना तो बहुत पर समझना कुछ ही अथवा अधिक कहने में कुछ तो समझ में आवेगा ही इस पर उनका विश्वास है । अपने यहां 'सूत्र' का स्थान है । उसका भाष्य लोग करते रहते हैं । "आहार, निद्रा, मय मैथुनं च ।" इन चार बातों में ही समस्त सूत प्राणियों की आवश्यकता के समान हमारे मजदूर की भी सभी मांगे आ जाती हैं । जीवन की ये न्यूनतम आवश्यकतायें पूर्ण होनी ही चाहिए । कम से कम वह सुविधा चाहता है । (१) आहार (रोटी) के लिये वेतन (२) निद्रा अर्थात् आराम, 'अवकाश' (३) मय या असुरक्षा से छुटकारा अर्थात् 'नौकरी की गारण्टी' तथा (४) मैथुन अर्थात् 'न्यूनतम सुख-सुविधायें' उसे अपेक्षित हैं ।

रोजी का हक मिलना ही चाहिए

आहार मतलब रोटी उसे मिलना ही चाहिये । रोटी यानी रोजी का हक मिलना चाहिए । 'Right to work' चाहिये । निद्रा अर्थात् आराम (अवकाश) सप्ताह में एक दिन छुट्टी होनी ही चाहिये । प्रति दिन ८ घण्टे से ऊपर काम नहीं । जो काम करते हैं—वह बर्दास्त करने योग्य हो । अर्थात् *Right to rest* चाहिये । मय यानी डर अथवा आशंका अर्थात् काम करते करते बूढ़ा हो गया तो हमारा क्या होगा ? हमारे बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा ? मेरा हाथ अथवा पैर कहीं कट जाय अथवा काम करते करते मेरी मौत भी हो जाय—उस अवस्था में कुछ प्रबन्ध तो चाहिये ही । कई कानून इस सम्बन्ध में बने हैं । प्राविडेन्ट फण्ड की योजना है । बीमा योजना है । मुआवजा की योजना है । इसी को कहा गया है—सामाजिक सुरक्षा । अन्त में आवश्यकता है—रहने के लिये मकान की, पढ़ने के लिये पुस्तकों की, खेल एवं कूद तथा मनोरंजन के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था की । इस प्रकार की सारी योजनाओं को अर्थात् मैथुनं च

की संज्ञा से हम समझ सकते हैं। केवल रोटी के लिए फिरते रहना धर्म नहीं है पर बिना रोटी के धर्म कार्य भी सम्भव नहीं है। "भूले मजन न होय गोपाला"—तो संतुष्ट होकर भगवान की पूजा के लिये तत्पर। इस रोजी-रोटी की व्यवस्था से निश्चिन्त होकर शुद्ध विचार, 'संस्कृति' की ओर हम अग्रसर होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं—इन चार प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त 'संस्कृति' तथा आवश्यकताओं की पूर्ति न होना "विकृति" है।

पैसा और पसीने का सिद्धांत

आज इन मार्गों के लिये भी मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ता है। पश्चिम में देश को, राष्ट्रीय भावनाओं को, देशमक्ति को प्रथम स्थान देते हैं। हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं है। न तो मालिक का राष्ट्रीय दृष्टिकोण है न ही मजदूर का। दोनों अपना अपना विचार करते हैं। राष्ट्रीयता के अभाव के कारण समस्याओं का सुलझना नहीं हो पाता। साथ ही मजदूरों के मन में 'यह मेरी *industry* है'—का भाव निर्माण नहीं हो पाता। 'पैसा और पसीना' दोनों के *Share* का सिद्धांत जब तक लागू नहीं होता—यह भाव सम्भव नहीं, अस्तु दो प्रकार के *Share holders* होने ही चाहिए। दोनों मालिक रहेंगे। एक पैसे वाला और दूसरा पसीने वाला अर्थात् मालिकत्व में मजदूरों की साम्प्रदायिक अनिवाय रूपसे होनी ही चाहिये। तभी औद्योगिक शान्ति स्थापित हो सकेगी। "दोनों राष्ट्र के सिपाही हैं"—का वास्तविक भाव निर्माण करने में उपयुक्त सिद्धान्त अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होगा।

राष्ट्रीयकरण—एक रोग

'राष्ट्रीयकरण'—समस्याओं का उपचार नहीं यह तो महाभयंकर 'रोग' है। समाजवाद के नाम पर समाजद्रोह की यह क्रिया है। उसका सीधा अर्थ है—लोगों के अधिकार छीन लेना और गुलाम बना कर रखना। राष्ट्रीयकरण से मजदूर खुशहाल नहीं होता। हमारे सामने *Life Insurance Corporation* का उदाहरण प्रस्तुत है। ६ महीने में ही उन मजदूरों को हड़ताल करना पड़ा। गत वर्ष केन्द्रीय कर्मचारियों को हड़ताल हमारे सामने है। जहां कहीं भी सरकार अपने हाथ डाले—यही दशा होती है। आज तो मजदूरों के मौलिक अधिकार—"हड़ताल के अधिकार" पर नौबत आ खड़ी हुई है। राष्ट्रीयकरण से सारी शक्ति शासन चलाने वाली पार्टी के प्रमुख—जो भी दो, तीन, एक होंगे—उनके हाथ में आ जाती है। हिटलर एव स्टालिन से भी बढ़ कर तानाशाह को हम इस पद्धति

से जन्म देते हैं। जैसे हम टाटा, बिड़ला को प्रधान मन्त्री नहीं बनाना चाहते, उसी प्रकार प्रधान मन्त्री को भी सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके हजार टाटा, बिड़लाओं से भी सम्पन्न पूँजीपति नहीं बनाना चाहते। आज संसार के सबसे बड़े उद्योगपति खूँदचेव हैं, जिनके इंगित पर हजारों एवं लाखों को इस दुनियाँ से छुटकारा मिलता रहता है। यह है एक उदाहरण जिससे हम को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

भारत में ऐसी अनेक विचार धाराओं एवं व्यवस्थाओं का विकास हुआ, जो अनेक अंशों में अनुलनीय है। पश्चिम के नवीन उत्पन्न राष्ट्र अभी भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के हल करने में परीक्षण और स्वलन की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु भारतीयों को इस बात का विशेष सौभाग्य प्राप्त है कि इन लोगों को धर्म के अंगभूत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ठोस और मौलिक सिद्धान्तों का साक्षात्कार हुआ। हम सभी श्रमिक आज कल प्रारम्भिक पारिश्रमिक, मँहगाई-भत्ता, बोनस, वृद्धि, कार्यकाल, कार्यभार, अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण आदि विषयक अनेक मांगों को रख रहे हैं। ये सभी मांगे निस्संदेह उचित एवं आवश्यक हैं। किन्तु इस मांग-तालिका से केवल छिद्रावरोध मात्र का कार्य होता है। इस प्रकार समस्या का स्थाई हल नहीं हो पाता। संसार के श्रमिकों को तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक न्याय, समानता और सद्भाव के आधार पर आश्रित किसी उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का उदय नहीं हो जाता। क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम पश्चिम के किसी अपूर्णवाद को अपना लें।

उत्पादन लाभ के लिये नहीं

हम "लाभ के लिये उत्पादन" सिद्धान्त पर आधारित पूँजीवाद को नहीं अपना सकते। इसमें 'मांग और पूर्ति' का नियम कार्यशील रहता है जिससे मूल्य से उत्पादन को नियंत्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार हम कम्युनिज्म को भी नहीं अपना सकते। इसमें व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति के स्थान पर सरकारी प्रयोग की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में राजकीय अधिकारियों के हाथ में समस्त आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है। अर्थात् राज्याधिकारियों के ही हाथों में उत्पादन एवं वितरण का समस्त अधिकार चला जाता है। एक मात्र राज्य ही उत्पादन-व्यवस्था, वेतन एवं भत्ता आदि के देने, उत्पादन तथा उपभोग में समन्वय स्थापन के व्याज से मूल्य निर्धारणादि का अधिकारी हो

जाता है। ये दोनों ही व्यवस्थाएँ असमाजिक हैं एवं कटु आलोचना के पात्र हैं। यद्यपि अनेक कारणों में "योग्यतानुसार काम एवं आवश्यकतानुसार पूर्ति" का सिद्धान्त प्रत्यक्ष रूपमें आकर्षक प्रतीत होता है, किन्तु इसमें उत्पादन एवं विभाजन पर पूर्व अधिकार रखने वाले सर्वग्रासी राज्य की सत्ता अनिवार्य है।

एक कठिन प्रश्न

'योग्यतानुसार काम' के अनुसार काम लेने वाला कौन होगा ? योग्यता का निर्धारण कौन करेगा ? सबकी आवश्यकता का निर्धारण कौन करेगा ? हर एक को आवश्यकतानुसार देने वाला कौन होगा ? और यदि किसी मानवीय निमित्त द्वारा यह सबसे महत्वपूर्ण काम पूर्ण भी हो जाय तो क्या वह निमित्त उन सबका स्वामी नहीं बन जायगा जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके द्वारा होती है ? इस सर्वातिशय शक्तिशाली निमित्त का नियन्त्रण कौन करेगा ? क्या सर्वशक्ति सम्पन्न राज्य के लिये यह सम्भव है कि वह समस्त मानवीय अवयवों से वैज्ञानिक दबाव के द्वारा अधिकतम सम्भव कार्य करा ले या मनुष्य की सतत् वृद्धिगत समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे ?

जनतंत्र (*Democracy*) में रिक्त स्थान (*Vacancy*) के अनुसार किसी को काम मिलता है। कम्युनिस्ट देशों में पहले लोगों के लिये *job* तैयार किया जाता है, पश्चात् उनकी नियुक्ति होती है तथा हमारे यहां भारत में गुणकर्म के अनुसार जन्म से ही रोजी की व्यवस्था है। यहां यह विश्वास है कि अपनी नियमित रोजी के बिना किसी का जन्म ही नहीं हो सकता।

भारत ने ऐसे सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को विकसित किया, जिसने कर्म को भगवद् पूजा का पवित्र रूप बना दिया। इस व्यवस्था में मन्दी के समय भी काम की गारण्टी थी। प्रत्येक व्यक्ति 'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त समाकिर' अर्थात् सौ हाथों से एकत्रित करो और हजार हाथों से वितरित करो के आदर्श से प्रेरित होता है। समाज की विशेष आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति की शक्ति सम्बद्ध रहती है। गुणकर्मनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व के विभाजन के स्वयंमेव अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो गया एवं व्यक्ति स्वातन्त्र्य और सामाजिक नियम में उपयुक्त संतुलन स्थापित हुआ, जिससे जनतन्त्रीय अनुशासन और अनुशासित आर्थिक जनतन्त्र की उत्पत्ति हुई। यही एकमेव मार्ग है—जिस पर चलने के लिये हम प्रयत्नशील हों।

एक ऐतिहासिक आवश्यकता

भारतीय मजदूर संघ के निर्माण के पूर्व भारत के श्रमिक क्षेत्र में प्रमुख रूपसे दो प्रवाह—एक साम्यवादियों द्वारा संचालित ए० आई० टी० यू० सी० का तथा दूसरा कांग्रेसी नेता द्वारा संचालित इंटक का—चल रहे थे। इनमें से साम्यवादियों का कार्य अधिक पुराना एवं प्रभावी था और इसका कारण यह था कि सन् १९४७ के पूर्व सभी राष्ट्रवादी नेतागण अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में रत होने के कारण इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित न कर सके। दूसरी ओर साम्यवादियों के राष्ट्र-विरोधी, रूस-परक दृष्टिकोण एवं दुलमुल नीति के कारण भारत के जनमानस में उनके लिये कोई स्थान न था। फलतः उन्होंने अपने कार्य को अशिक्षित एवं त्रसित श्रमिक-वर्ग में ही केन्द्रित किया। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि किसी भी सुवृद्ध राष्ट्र में, जहां पर श्रमिक पढ़ा लिखा, सम्पन्न एवं राष्ट्र-भक्ति के गुणों से युक्त है वहां कम्युनिज्म के लिये कोई स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि कम्युनिज्म जर्मनी, इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे औद्योगिक राष्ट्रों में न फैल कर सर्वप्रथम रूस की मरुभूमि में ही विकसित हुआ।

साम्यवादी टेकनिक

रूस में सर्वप्रथम कम्युनिज्म का आना और आज भी अर्धविकसित एवं औद्योगीकरण में पिछड़े हुये राष्ट्रों में उसका पनपना इस बात का परिचायक है कि जहां भी औद्योगीकरण बढ़ जाता है और श्रमिक ट्रेड-यूनियनिज्म के आधार पर संगठित हो जाता है वहां इनकी दाल नहीं गलने पाती। इसी तथ्य को हृदयंगम कर भारतीय साम्यवादी दल ने सर्वप्रथम श्रमिक-क्षेत्र में प्रविष्ट होने की चेष्टा की और लेनिन के कथनानुसार ट्रेड यूनियन को 'A school of Communism' में परिवर्तित करने के प्रयास में लग गये।

साम्यवादी प्रभाव

सन् १९४७ के पूर्व राष्ट्रवादी तत्वों का इस ओर ध्यान न दे पाना और साम्यवादियों का अपने कार्य को श्रमिक-क्षेत्र में केन्द्रित करते हुये पैर जमाना

बास्तव में एक *Historical accident* ही कहा जायगा। किन्तु फिर भी यह न समझना चाहिये कि इन पंचमांगी तत्वों को इस क्षेत्र में उचित सफलता प्राप्त हुई है।

वास्तविकता तो यह है कि इस क्षेत्र में साम्यवादियों ने जितनी प्रचुर मात्रा में नेता, समय और पैसा लगाया—उस तुलना में उन्हें सफलता नहीं मिली और इसलिए मजदूर-क्षेत्र में उन्हें जो *dividends* प्राप्त हुये वे निराशाजनक ही कहे जायेंगे। इसीलिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जब ३ मई १९४७ को इंटक का निर्माण हुआ तब वह शीघ्र ही देश का प्रमुख श्रमिक-संगठन बन गया।

इंटककी इस प्रगतिसे राष्ट्रवादी तत्वोंका अत्यधिक आनंदित होना स्वाभाविक था क्योंकि साम्यवादियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। किन्तु शीघ्र ही यह आशा धूमिल पड़ गई। इसका कारण यह था कि इंटक श्रमिकों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सर्वत्र असफल रही और सरकार की चेरी, तथा कांग्रेस की दासी बनकर रह गई। इस प्रकार इंटक ने मिल-मालकों से समझौता एवं मजदूर-आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने का ही कार्य किया।

एक प्रश्न चिन्ह

फलतः कुछ ऐसे तत्वों द्वारा जो श्रमिकों के हितैषी होने के साथ ही साम्यवादियों की भांति पंचमांगियों के पार्ट अदा करने को तैयार न थे, एक अन्य अखिल भारतीय श्रमिक-संगठन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। इन राष्ट्रवादी तत्वों के अनुसार यह नवीन संगठन ऐसा होना चाहिये था जो कि श्रमिक-क्षेत्र से पंचमांगी साम्यवादी तत्वों का निष्कासन करने के साथ ही श्रमिक-हितों के लिये मालिकों से संघर्ष भी कर सके। अतः इस आवश्यकता को अनुभव कर ये नेतागण लोकमान्य तिलक के पावन जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक २३ जुलाई १९५५ को भोपाल में एकत्रित हुये और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ नामक नवीन राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की।

भा० म० संघ का दार्शनिक आधार

अब प्रश्न उठता है कि भा० म० संघ का दार्शनिक आधार क्या है? इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी वामपन्थी श्रमिक-संस्थाएँ मार्क्स को अपना मसीहा मानने के कारण वर्ग-संघर्ष द्वारा वर्गहीन और राज्य-विहीन समाज की स्थापना में विश्वास करती हैं। कांग्रेस द्वारा समाजवाद की स्वीकार

किये जाने से इंटक का भी दार्शनिक-आधार वही हो जाता है। किन्तु भारतीय मजदूर संघ राज्य-विहीन समाज की कल्पना को, जो कि मूलतः भारतीय है, मानते हुये भी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता। इसी भांति भा० म० संघ इतिहास की आर्थिक व्याख्या को मनाने को भी तत्पर नहीं। इसके विपरीत उसका मत है कि सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का मूलाधार आर्थिक न होकर मनोवैज्ञानिक है। दूसरे शब्दोंमें इतिहास मानव-मस्तिष्क की हलचलों का परिणाम है और आर्थिक संस्थायें आदि उसी मनोवैज्ञानिक अन्तर्द्वन्द्व का बाह्यरूप हैं। यहाँ तक कि संघर्ष, जो कि द्वन्द्ववाद की प्रमुख विशेषता है, वह आदर्शवाद के रूपमें वैचारिक जगत में पहले प्रारम्भ होता है और आर्थिक जगत पर उसकी प्रतिक्रिया उसके पश्चात् होती है। यह भी सत्य है कि किसी देश की संस्कृति भी वैचारिक संघर्ष को प्रभावित करने वाली मूलाधार है और भा० म० संघ उसे स्वीकार करता है।

इस प्रकार भा० म० संघ न तो 'दक्षिण पन्थी' है और न 'वामपन्थी'। उन लोगों के लिये, जो वास्तव में 'राष्ट्रवाद' से उत्पन्न आर्थिक व्याख्याओं से अनभिज्ञ हैं, भा० म० संघ किसी भी वाद से बधा न होकर 'वास्तव-वादी' है।

विशेषता

हड़ताल कम्प्युनिस्टों के लिये प्रथम शस्त्र है और इंटक उसे स्पर्श करना भी नहीं चाहती। भारतीय मजदूर संघ न तो हड़ताल अस्पर्श ही समझता है और न प्रथम शस्त्र ही। अन्य संवैधानिक मार्गों को अपनाने के पश्चात् यदि वे फलदायी न हुये तो भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अन्तिम शस्त्र के रूप में अपनाता है।

जहाँ एक ओर कम्प्युनिस्ट वर्ग-संघर्षवादी हैं और इण्टक वर्ग-समन्वयवादी, वहाँ भारतीय मजदूर संघ वर्गवाद में ही विश्वास नहीं रखता। वह आर्थिक असमानता को दूर करना चाहता है। देश के सम्पूर्ण समाज को एक परिवार के रूपमें स्वीकार करता है, और सभी को भारत माता की संतान मानता है।

भारतीय मजदूर संघ का मत है कि सरकार का नियन्त्रण उतना ही हो रहना चाहिये कि कोई स्वतन्त्र कीमत का निर्धारण न कर सके और न अवैध रीति से कोई व्यापार ही कर सके। वह न्याय विभाग को भी शासन से स्वतन्त्र रखने का हिमायती है।

वह सिद्धान्तों की शुद्धता के साथ ही साथ हर हालत में कार्यकलापों की भी शुद्धता रखनेका विश्वासी है। हिंसा उसे किसी भी बुनियाद पर सह्य नहीं है।

किया है ।

अधिक से अधिक लोगों को काम देने की दृष्टि से कुटीर एवं लघु उद्योग को उचित संरक्षण देने का इसने तय किया है ।

न्यूनतम वेतन दर निश्चित कर देने का उसका आग्रह है और स्थायी रूपसे वेतन समिति नियुक्त करने का उसका सुझाव है । जो समय समय पर सभी उद्योगों में मूल्यदारों के अनुपात में वेतन दरोंकी भी घोषणा करती रहेंगी ।

यांत्रिकता के लिए अभिनवीकरण के नाम पर छटनी का वह विरोधी है ।

उत्पादन की वृद्धि का लाभ पूँजी, भ्रम तथा उपभोक्ताओं में समान रूपसे वितरित कराने का वह पक्षपाती है ।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण

भारतीय मजदूर संघ ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय विशेषताओं के साथ मजदूर क्षेत्र में पदार्पण किया है । राष्ट्र के प्रतीक ही उसके संगठन के प्रतीक हैं । मजदूर संघ ने भगवाध्वज अपनाया है । उसका निशान मानव अंगूठा है । उसका भ्रम दिवस विश्वकर्मा जयन्ती का दिन है । इन सबकी मान्यताओं में मजदूर समस्याओं के समाधान का भाव भी छिपा हुआ है । राष्ट्रहित, औद्योगिक शान्ति, मजदूर समस्याओं का निराकरण एवं देशद्रोही तत्वों से मजदूरों को बचाने की भूमिका लेकर भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक क्षेत्र में पदार्पण किया है । उसकी सफलता का रहस्य भी यही है ।

भा० म० संघ का संक्षिप्त परिचय

- १—राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ।
- २—रचनात्मक-प्रवेश ।
- ३—अवसरवादिता नहीं आदर्शवाद ।
- ४—लोकतांत्रिक उपायों में आस्था ।
- ५—संस्था का अराजनीतिक स्वरूप ।
- ६—जाति, लिंग, पंथ और समाज का विचार न कर प्रत्येक भारतीय को प्रवेश ।

७—वर्गवाद की कल्पना भ्रममूलक ।

८—भ्रमिक-हित और राष्ट्रीय-हितों में साम्य की मान्यता ।

९—पूँजीवाद एवं साम्यवाद दोनों से अलग मजदूर वर्ग को ले जाने का निश्चय ।

१०—संस्थान में पैसे और पसीने के शेयर का आग्रह तथा कर्तव्य एवं अधिकार का समन्वय ।

११—अधिकतम उत्पादन तथा बराबर-बराबर लाभ ।

१२—अन्य सभी वैधानिक मार्गों की असफलता पर हड़ताल का अन्तिम शस्त्र के रूप में उपयोग ।

१३—परमेश्वर ही समस्त पूँजी का स्वामी है, यह दृढ़ विश्वास ।

१४—पश्चिम की मान्यतायें, परिभाषायें एवं आदर्शवाद की बौद्धिक दासता से छुटकारा ।

१५—भारतीय समाज-व्यवस्था की वैज्ञानिकता एवं अन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास ।

१६—राष्ट्रीय प्रतिभा द्वारा समाज-व्यवस्था एवं दार्शनिक सिद्धांत के विकास की योग्यता पर विश्वास ।

१७—भारतीय एवं वैज्ञानिक आधार पर वर्ग रहित संघीय स्वायत्त उद्योग समूहों की स्थापना की मान्यता ।

१८—वेतन-आयोग की स्थायी रूपसे स्थापना की मांग ।

१९—कम्युनिस्टों के विरुद्ध सभी राष्ट्रवादी भ्रम संघटन एक होकर भ्रमिक समस्याओं के सुलझाने का विश्वास ।

२०—कोई भी यूनियन, सम्बन्धित फंड्टी की अन्य यूनियनों के परामर्श लेकर ही अपने पग उठाये, का हिमायती ।

साईं इतना दीजिए, जामें कुटुम्ब समाय ।


मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

—कबीर



पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम ।

दोहू हाथ उलीचिए, यही सयानों काम ॥



जिनके मार्ग दर्शन में

भारतीय मजदूर संघ

प्रगति कर रहा है

वक्तोपन्त ठेंगड़ी

“स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है” की घोषणा करने वाले लोकमान्य तिलक के पावन जन्म दिवस पर २३ जुलाई, १९५५ के दिन भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। उस दिन अखिल भारतीय सम्मेलन में श्री वक्तोपन्त ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करते हुए ‘काम पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है’ की घोषणा करके इस नवोदित महासंघ का एक ही वाक्य में समूचा उद्देश्य रख दिया। आज उनके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ प्रगति करता हुआ, देश के श्रमिक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि संगठन बन चुका है।

विश्वकर्मा जयन्ती पर राष्ट्रीय श्रम दिवस का आयोजन करके उन्होंने श्रमिक क्षेत्र में जहाँ स्वदेश भक्ति व भारतीयता की अलख जगाकर मजदूरों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया, वहाँ ही ‘काम और आराम (हड़ताल) दोनों मौलिक अधिकार हैं, उनका छीना जाना सहन नहीं किया जा सकता’ की गर्जना करके श्रमिकों के व्यापक अधिकार की रक्षा का दायित्व भी ग्रहण किया है।

वे सारे देश में ‘पैसे के समान पसीने का शेयर’ निश्चित कराने का अलख जगा रहे हैं और मजदूर को मालिक की स्थिति में बैठाना चाहते हैं। उनका कहना है ‘राष्ट्रीयकरण नहीं उद्योगों का श्रमकीकरण करो, क्योंकि राष्ट्रीयकरण में तो केवल मालिक ही बदलते हैं, मजदूर तो फिर भी गुलाम ही रहता है।’ इस सम्बन्ध में श्री ठेंगड़ी जी का सूत्र यह है कि राष्ट्र का उद्योगीकरण; उद्योगों का श्रमकीकरण तथा श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण।

(*Nationalise the Labour; Labourise the Industry, Industrialise the Nation*) गरीबी और बेकारी से मुक्ति पाने के लिये 'पूँजी प्रधान के स्थान पर श्रम-प्रधान अर्थ रचना' की मांग करके उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के उद्देश्यों के सभी पहलुओं को व्यक्त किया है।

उपयुक्त विश्लेषणों से जहाँ श्री ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में भारतीय मजदूर संघ का सैद्धान्तिक परिचय मिलता है, वहाँ उनका भी संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है।

वर्धा जिले के आरबी गाँव में श्री दत्तोपन्त का जन्म हुआ। उनके पिता स्व० श्री वापूराव दाजी ठेंगड़ी वर्धा जिले के प्रसिद्ध वकील थे। पिता ने सन् १९२० के १० नवम्बर को जन्म लेने वाले इस बालक को पढ़ा-लिखा कर अपने समान वकील बनाया और उनसे बहुत सी अपेक्षाएँ रखीं। परन्तु उनके इस मितभावी पुत्र को छल-प्रपंचयुक्त दुनियादारी और उसके बंचक रास्ते किञ्चिद्दृष्टि आकर्षित न कर सके। अतः उस भोगवादी जीवन से पराङ्गमुख हो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूपमें अपना तन-मन सभी राष्ट्र-सेवा में अर्पित कर दिया।

अनेक वर्षों तक मद्रास, केरल एवं बंगाल प्रान्तों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में श्री ठेंगड़ी जी ने कार्य किया। सन् १९५० में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् विदर्भ प्रान्त के अध्यक्ष हुये और साथ ही इन्टुक के विभिन्न श्रमिक यूनियनों के उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्त रहे। सन् १९५०-५१ के कार्यकाल में आप इन्टुक के प्रादेशिक संगठन-मन्त्री मनोनीत किये गये और इसी बीच इन्टुक के अखिल भारतीय प्रतिनिधि (जनरल कोन्सिलर) भी चुने गये।

अनेकांगी योग्यताओं के कारण आगे चल कर श्री ठेंगड़ी जी को मध्य प्रदेशीय हस्त-कर्धा-उद्योग-कान्फ़ेस' के परामर्शदाता (ऐडवाइजर) के रूपमें मनोनीत किया गया तथा १९५३ से १९५५ की अवधि में मध्य प्रदेश किरायेदार संघ के संगठन मन्त्री के रूपमें भी इन्होंने कार्य किया। सन् १९५४-५५ के कार्यकाल में आप 'सेन्ट्रल रेलवे मेल सर्विस यूनियन' के अध्यक्ष चुने गये और उसी अवधि में आपने 'मध्य प्रदेशीय नागरिक स्वाधीनता समिति' नामक संस्था भी संगठित की। सन् १९५९ में श्री ठेंगड़ी जी को जीवन बीमा निगम के फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

भारतीय इतिहास, दर्शन, अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति आदि विषयों के पारंगत तथा संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी एवं बंगाली आदि भाषाओं पर पूरा अधिकार रखने वाले, इस अत्यन्त सरल व मृदुभाषी नेता को आज भारत के कोने कोने में समान रूपसे आदर प्राप्त है ।

श्री ठेंगड़ी जी के अत्रिशान्त एवं ध्येयनिष्ठ जीवन से स्फूर्ति लेकर आज एक विशाल कारवां चल रहा है । वह दिन दूर नहीं, जिस दिन भारत का मजदूर, विदेशी नेतृत्व से मुक्त होकर राष्ट्रीय नेतृत्व में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता हुआ अपने स्वत्व को प्राप्त करेगा और सन्तुष्ट, सुखी तथा सम्मानित जीवन व्यतीत करते हुये भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व निष्ठावर कर देगा ।



‘देश के लिये लड़ने वाला सैनिक अपने जीवन की बाजी अर्थ की कामना से नहीं लगाता । अर्थ का लालच उसे देशद्रोह सिखा सकता है, देशभक्ति नहीं । स्त्री के सतीत्व का अपना मूल्य है, उसे अर्थ की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । वैद्य रोगी की चिकित्सा के बदले में अर्थ किन मूल्यों के आधार पर ले सकेगा ? अध्यापक विद्यादान का मूल्य नहीं लगा सकता । सरकारी कर्मचारी किस आधार पर एक फाइल को आगे सरकाने के लिये मूल्य लेगा ? दुर्बल की रक्षा करने वाली पुलिस जब अपनी सेवाओं का मूल्य मांगे, तब या तो दुर्बल की रक्षा ही नहीं हो पायेगी अथवा शरीर-शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमा कर अपनी रक्षा का मूल्य चुकायेगा । श्रम का, चाहे शारीरिक हो या मानसिक यद्यपि दृश्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं में हुआ है तो भी रुपये पैसे में मूल्य आंकना असम्भव है ।’

... शक्ति, सत्ता और अधिकार ...
... जिनके पास शक्ति, सत्ता और अधिकार नहीं है, वे न्याय की भीख मांगते ही रहते हैं।

... न्याय ही शक्ति, सत्ता और अधिकार है ...

न्याय और अन्याय के गीत गाने से क्या लाभ ?
अपनी दुर्बलता के अतिरिक्त और अन्याय है भी क्या ?
न्याय है शक्ति,
न्याय है सत्ता,
और
न्याय है अधिकार ।
जिनके पास शक्ति, सत्ता और अधिकार नहीं है,
वे न्याय की भीख मांगते ही रहते हैं ।

... न्याय ही शक्ति, सत्ता और अधिकार है ...
... जिनके पास शक्ति, सत्ता और अधिकार नहीं है, वे न्याय की भीख मांगते ही रहते हैं।

वह पथ क्या, वह पथिक कुशलता क्या,

जिस पथ में बिखरे शूल न हों ।

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,

यदि धारायें प्रतिकूल न हों ॥